खण्ड-206, अंक-9
गुरूवार, 5 भाद्रपद, शक संवत् 1881
(27 अगस्त, 1959 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 206 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २७ अगस्त, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविंद खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३७२

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुललतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफरी, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमदबख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलेश चन्द्र, श्री
कलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री

गयाबख्शसिंह, श्री
गयूरअली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बकेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री

पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बैचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुल नबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनपांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटी हारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री

राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्र दत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वज्ररंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भू दयाल, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)

श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

एडवोकेट जनरल, श्री कन्हैयालाल मिश्र भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २७ अगस्त, १९५९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ को आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने में विलम्ब

**१--श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर), तथा श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--क्या यह सत्य है कि "नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज लखनऊ" के विद्यार्थियों को सरकार की ओर से इस आशय का आश्वासन दिया गया है कि उनके कालेज का एफिलियेशन किसी विश्वविद्यालय से किया जायगा ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि यह एफिलियेशन का कार्य कब तक सम्पन्न हो जायगा ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)--सरकार ने यह कहा था कि होम्योपैथिक कालेज के एफिलियेशन के लिये आगरा विश्वविद्यालय से कोशिश की जा रही है। कोशिश अब भी जारी है परन्तु यह कहना सम्भव नहीं है कि एफिलियेशन का कार्य कब तक सम्पन्न हो जायगा।

**२--श्री मदन पांडेय तथा श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या यह सत्य है कि उक्त कालेज के विद्यार्थी एफिलियेशन होने तक के लिये परीक्षा में स्थगित किये जाने की मांग कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी हां, मांग की है परन्तु क्योंकि affiliation के विषय में अभी कोई निश्चय नहीं हुआ है इसलिये मांग पर किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री मदन पांडेय---क्या यह सत्य है कि विद्यार्थियों की तरफ से यह प्रार्थना सरकार से की गयी है कि जब तक एफिलिएशन न हो जाय प्रथम वर्ष से चतुर्थ वर्ष तक के इम्तहान ले लिये जायं और पांचवें वर्ष का इम्तहान जब एफिलिएशन हो जाय तब लिया जाय ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---जी हां, उन्होंने ऐसी दरख्वास्त दी थी और उनके गार्जियन भी मिले थे, लेकिन बाद में विद्यार्थियों ने जो इम्तहान के फार्म भरे वे जला दिये, लिहाजा वह मामला खत्म हो गया ।

श्री मदन पांडेय---क्या विद्यार्थियों की उस प्रार्थना को अब भी माननीय मंत्री जी स्वीकार करेंगे कि प्रथम वर्ष से चतुर्थ वर्ष तक की परीक्षायें हो जायं और पांचवें वर्ष की परीक्षा तब हो जब एफिलिएशन हो जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अगर छिन-छिन में राय न बदले तो अवश्य ही इस पर विचार करेंगे ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्होंने विद्यार्थियों को कब आश्वासन दिया था ? तब से आज तक एफिलिएशन करने में कौन-सी दिक्कतें रहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---आश्वासन नहीं दिया था, यह कहा था कि कोशिश करेंगे । प्रतिदिन जो विद्यार्थियों के झगड़े होते रहते हैं उनके कारण आगरा यूनिवर्सिटी भी घबरा रही है कि उसको एफिलिएट करें या न करें ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि आगरा यूनिवर्सिटी में होम्योपैथिक की कोई फैकल्टी नहीं है इसलिये दिक्कत पड़ रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह भी और दिक्कतों में से एक है ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि माननीय मंत्री जी को यह सूचना किस प्रकार हुई कि विद्यार्थियों ने अपने फार्म भर कर जला दिये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---प्रश्नकर्ता महोदय और दूसरे महानुभावों ने मुझको यह बताया था ।

पुलिस कमीशन की नियुक्ति का आश्वासन

**३---श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा घोषित पुलिस कमीशन की नियुक्ति कब तक हो जावेगी तथा उसके विचारणीय विषय क्या-क्या होंगे ?

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---पुलिस कमीशन की नियुक्ति शीघ्र ही की जायगी । कमीशन द्वारा विचार किये जाने वाले विषयों का प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह प्रश्न कब तक विचाराधीन रहेगा और क्या यह संभव हो सकेगा कि इसकी घोषणा अगले सेशन से पूर्व ही हो जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव---२ महीने के अन्दर ही उसके अन्तिम आदेश हो जाने की सम्भावना है ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---यह प्रश्न विचाराधीन है या इस घोषणा के हाउस में करने के बाद निश्चय होगा कि कौन-सी बात विचाराधीन हो ?

श्री अध्यक्ष---इसके बारे में तो उन्होंने बता दिया ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या सरकार यह बतायेगी कि उस पुलिस कमीशन के कितने सदस्य होंगे और-कौन कौन होंगे ? यह बात तय हो चुकी है या यह भी विचाराधीन है ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह अभी तय नहीं हुआ है। यह और टर्म्स आफ रेफेरेन्स पर विचार हो रहा है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---जो विचारणीय विषय हैं उनमें क्या इस पर भी विचार हो रहा है कि जो लोकलबोर्ड्स हैं, जैसे जिला परिषदें हैं, उनके हाथ में पुलिस की व्यवस्था दे दी जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह प्रश्न तो पुलिस कमीशन से संबंधित है। उसके टर्म्स आफ रेफरेंस क्या होंगे यह विचाराधीन है, जैसा कि मैंने निवेदन किया ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मंत्री जी का ऐसा भी विचार है कि स्काटलैन्ड यार्ड या कहीं के बाहरी एकाध एक्सपर्ट को भी इस पुलिस कमीशन में शामिल किया जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव---स्काटलैन्ड यार्ड के किसी सदस्य को शामिल करने का विचार नहीं है। यह तो अपने प्रदेश का कमीशन होगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन सदस्यों की सूची में विरोधी पक्ष का कोई सदस्य भी लिया जाय, इस सम्भावना पर सरकार ने विचार किया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह तो मैंने निवेदन किया कि यह प्रश्न विचाराधीन है और सभी बातों पर विचार किया जायगा ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पुलिस कमीशन को किन-किन विषयों पर विचार करने की आज्ञा दी जायगी, इस सम्बन्ध में उनके विभागीय अधिकारी विचार कर रहे हैं या सरकार किसी बाहरी एक्सपर्ट से जांच करा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---सरकार विचार कर रही है। पहले भी एक रिपोर्ट पुलिस रिआर्गनाइजेशन की आ चुकी है। उसी के आधार पर पुलिस कमीशन बनने वाला है। उसकी एक प्रश्नावली भी जारी हो गयी है ।

सचिवालय के लोअर डिवीजन क्लर्कों की स्पेशल परीक्षा का फल

****४---श्री मलिखानसिंह** (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के लोअर डिवीजन लिपिकों की स्पेशल परीक्षा के सम्बन्ध में सरकार ने पहले यह आदेश जारी किया था कि उक्त परीक्षाफल कर्मचारी की योग्यता के अनुसार घोषित किया जावेगा परन्तु अब सरकार ने इस परीक्षाफल को सीनियारिटी के हिसाब से घोषित कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि ऐसा करने का क्या कारण है ?

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)---परीक्षाफल किस प्रकार घोषित किया जाय इस विषय पर सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किये । फिर भी सुविधा के अनुसार परीक्षाफल रोल नम्बर के हिसाब से घोषित कर दिया गया है ।

श्री मलिखानसिंह---क्या सरकार को यह पता है कि यह परीक्षाफल जूनियर क्लर्क्स के लिये जो नोटीफिकेशन हुआ, उसमें यह दिया गया था कि सीनियारिटी और जूनियारिटी से न लेकर क्वालिफिकेशन के आधार पर योग्यता से व्यक्तियों को लिया जायगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--इम्तहान किस तरह से होगा, इस बात के साथ योग्यता पर इम्तहान लेने की बात थी, लेकिन जो यहां इम्प्लाइज का एसोसिएशन है उसकी ओर से और इस विधान सभा के एक माननीय सदस्य श्री नारायणदत्त तिवारी की ओर से भी गवर्नमेंट को यह सुझाव आया कि अगर आप योग्यता के आधार पर इस इम्तहान को करेंगे तो उसमें बहुत पुरानी-पुरानी सर्विस में लोग हैं जो एक ही काम करते आ रहे हैं, जैसे रेफरेंस क्लार्क्स हैं जिनको नोटिंग ड्राफ्टिंग से कभी साबका ही नहीं पड़ा है, ऐसे बहुत से कारण थे जो एसोसिएशन की तरफ से आये। इसलिये पब्लिक सर्विस कमीशन को यह सुझाव भेजा गया कि आप इस पर अपनी राय दें कि क्या इसको बजाय कम्पिटीटिव के क्वालिफाइंग टेस्ट रख दिया जाय। पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस राय को स्वीकार कर लिया और इसलिये कर्मचारियों के हितों को दृष्टि में रखते हुए, उनकी मांगों को दृष्टि में रखते हुए, और व्यावहारिकता को दृष्टि में रखते हुए सरकार ने यही निर्णय किया कि क्वालिफाइंग टेस्ट ही रखा जाय, कम्पिटीटिव टेस्ट न रखा जाय।

श्री मलिखानसिंह--क्या सरकार बतलायेगी कि यह नोटिस निकलने से पहले इस पर क्यों नहीं विचार किया गया?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--एक रिसपांसिबिल सरकार का यह कर्त्तव्य होता है कि यदि उसने कोई आज्ञा प्रसारित की है और उस पर कोई उज्र आये तो वह उस पर विचार करे और उचित कार्यवाही करे। इसमें हमारा कोई कसूर तो है नहीं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या यह सही है कि परीक्षार्थियों ने जितने अंक प्राप्त किये थे वे उनको नहीं बतलाये गये?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--सही बात यह है कि वह क्वालिफाइंग टेस्ट था इसलिये पब्लिक सर्विस कमीशन ने नम्बर भेजने से इन्कार कर दिया और हमको उन्होंने कोई नम्बर नहीं भेजे।]

श्री प्रतापसिंह--जिस परीक्षा फल का जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया वह दो साल पहले हुई थी, तो दो साल बाद परीक्षा फल निकालने का क्या कारण है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मान्यवर, परीक्षा फल निकालने में देरी नहीं हुई। जब पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से उसका फल आया तभी उसे घोषित कर दिया गया। लेकिन इस मामले में देर इसलिये हो गयी कि सर्विस कमीशन से इस बीच में बहुत दिनों तक इस संबंध में बात चलती रही। २०० नम्बर इंटरव्यू के थे, पब्लिक सर्विस कमीशन चाहता था कि उन लोगों का कैरेक्टर रोल देखा जाय। इन सब तफसील में परामर्श लेने में समय लगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने परीक्षा फल कब भेजा था?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--इस की निश्चित तिथि तो सरकार के पास नहीं है, लकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया था कि हम ने उस की घोषणा १ अप्रैल, १९५९ को की थी और उस के कुछ ही पहले वह आया होगा, निश्चित तिथि के लिये नोटिस चाहिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि इन लिपिकों के चुनाव में क्या सरकार के सामने यह भी चीज रहती है, जैसा कि घोषित किया गया है कि उनकी योग्यता ग्रेजुएट से कम न हो?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जो कम से कम योग्यता इन पदों के लिये निर्धारित है उस में कोई शैक्षिक योग्यता का एग्जम्पशन नहीं दिया गया।

तारांकित प्रश्न

राज्य के श्रम निरीक्षकों का कार्य तथा चाय उद्योग के मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने की प्रार्थना

*१--श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य में ३१-१२-५८ को Region-wise कितने Labour Inspectors कार्य कर रहे थे?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--राज्य में दिनांक ३१ दिसम्बर, १९५८ को कुल ७६ श्रम निरीक्षक (Labour Inspectors) कार्य कर रहे थे जिनका Region-wise विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८२९-८३० पर)

*२--श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य में month-wise १-७-५८ से ३१-१२-५८ तक प्रत्येक Region-wise प्रादेशिक संराधन क्षेत्र Labour Inspectors ने कितने inspections किये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८२९-८३० पर)

*३--श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बागान मजदूरों को समान वेतन देने के प्रस्ताव के बारे में केंद्रीय सरकार को राज्य सरकार ने १-१-५८ से १५-३-५९ के बीच में जो जवाब दिया है उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उत्तर प्रदेश के चाय बाग उद्योग की आर्थिक स्थित ऐसी नहीं है कि वेतन वृद्धि के रूप में अधिक बोझ सहन कर सकें तथा भारतीय स्तर पर एक वेज बोर्ड की स्थापना करना इस प्रदेश के चाय बाग उद्योग के लिये लाभदायक न होगा।

*४-६--श्री मदन पांडेय राजा यादवेंद्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर), श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी), श्री गेंदासिंह, श्री कोतवाल सिंह भदोरिया (जिला फर्रुखाबाद), श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया), श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--[२४ अगस्त, १९५९ को प्रश्न १०-१२ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

ललितपुर सब-डिवीजन में तालबेहट परगना की विकास योजना

*७--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५७ अथवा १९५८ में सरकार ने जिला झांसी के पिछड़े हुए क्षेत्र ललितपुर सब-डिवीजन के विकास के लिये कोई योजना स्वीकार की है?

नियोजन उप-मंत्री (श्री सुल्तानआलम खां)--जी हां।

*८--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त योजना के अन्तर्गत तालबेहट परगना के विकास के लिये कौन-कौन सी योजना स्वीकार की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुल्तानआलम खां--सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८३१ पर)

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त योजना के अन्तर्गत ललितपुर सब-डिवीजन में किन-किन योजनाओं पर कितना-कितना रुपया खर्च करने का निश्चय किया गया है ?

श्री सुल्तानआलम खां---कोई अलग सूची तो नहीं है लेकिन सरकार ने बुन्देलखंड और उस के अलावा और जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनके लिये स्कीम बनाकर सन् १९५७-५८ में प्लानिंग कमीशन को भेजी थी कि १८ करोड़ ५० लाख और दिया जाय उस में से इस साल २ करोड़ मिला है और आशा की जाती है कि २ करोड़ अगले साल और ऋण की सूरत में मिलेगा। इस में से ३० लाख रुपया बुन्देलखंड पर व्यय कर रहे हैं और आशा है कि इतना ही अगले साल भी खर्च होगा।

इन्जीनियरिंग के डिप्लोमा कालेज खोलने की योजना

*९---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)---क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने इंजीनियरिंग पर्सोनल कमेटी की सिफारिश के अनुसार प्रदेश की सरकार से तीन नई डिप्लोमा संस्थायें वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्थापित करने को कहा है और क्या इसे प्रदेशीय सरकार ने मान लिया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी हां।

*१०---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---यदि हां, तो उक्त डिप्लोमा संस्थायें प्रदेश में कहां-कहां स्थापित होंगी और उस पर कितना धन व्यय होगा ? क्या सरकार उक्त डिप्लोमा संस्थाओं की स्थापना के स्थान निश्चित करते समय सीतापुर में भी एक डिप्लोमा संस्था स्थापित किये जाने पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---यह संस्थायें कानपुर, मिर्जापुर तथा फैजाबाद में स्थापित की जावेंगी और इन संस्थाओं पर कुल लगभग ७० लाख रुपया व्यय होने की संभावना है। उपरोक्त संस्थाओं के स्थान भारत सरकार की सहमति से निश्चित हो चुके हैं अतः सीतापुर में एक संस्था स्थापित करना अब संभव नहीं है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मंत्री जी इंजीनियरिंग पर्सोनल कमेटी की सिफारिशों को बताने की कृपा करेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---उस की सिफारिश थी कि तीन स्थानों पर डिप्लोमा कालेज खोले जायं---सिविल इंजीनियरिंग, मेकेनिकल इंजीनियरिंग और एलेक्ट्रकल इंजीनियरिंग के लिये। यह कालेज कानपुर में २४० लड़कों के लिये, मिर्जापुर में १८० लड़कों के लिये और फैजाबाद में १२० लड़कों के लिये खोले जायेंगे।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि स्थान निश्चित करते समय किन-किन बातों पर विचार किया गया था ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---प्रदेश बहुत बड़ा था, इस की विभिन्न कमिश्नरियों और जिलों की सब बातें देखते हुए यह स्थान चुने गये थे। पहले देखा गया कि उस स्थान को लिया जाय कि जो उद्योग की दृष्टि से आगे हो या दूसरे ऐसे स्थान को जो इस दिशा में पिछड़े हुये हों, दोनों दृष्टियों से स्थान चुने गये। कानपुर को उद्योग की दृष्टि से लिया गया, मिर्जापुर को इस दृष्टि से लिया गया कि वहां उस के पास उद्योग विकास हो रहा है, और फैजाबाद को इस दिशा में पिछड़ा हुआ होने की वजह से लिया गया।

श्री मोतीलाल अवस्थी---कानपुर में जो डिप्लोमा कालेज खोलने का विचार है वह कोई नया कालेज खोला जायगा या जो इस तरह के कोई और कालेज चल रहे हैं उन्हीं में से किसी का कुछ इम्प्रूवमेंट कर के खोलने का विचार है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इस वक्त जो वहां इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। नया खुलेगा २४० लड़कों के लिये।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह तीनों डिप्लोमा इंस्टीट्यूशंस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वितीय चरण में खुलेंगे या तृतीय पंचवर्षीय योजना में ? और इन पर कितना रुपया खर्च होगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---७० लाख रुपये की लागत से चलेंगे। इसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में १७ लाख रुपये तक खर्च हो पायेंगे। जमीन लेने की कार्यवाही शुरू हुई है। अन्दाज है कि १७ लाख रुपये तक खर्च हो पायेगा, शेष ५३ लाख तीसरी पंचवर्षीय योजना में केंद्रीय सरकार ने अभी से स्वीकार कर लिया है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या सरकार भविष्य में इसी तरह की कोई और संस्था खोलने पर, सीतापुर में वह संस्था खोलने का विचार करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को एक सूचना दे दूं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में केंद्रीय सरकार की तरफ से और प्लानिंग कमीशन की तरफ से ऐसा कुछ विचार आया है कि हर जिले में एक-एक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन कर सकें तो अच्छा हो। वह टेक्नीशियंस कोर्स होगा या डिप्लोमा कोर्स होगा, यह सारी बातें बाद में सामने आयेंगी, लेकिन इस प्रदेश के सभी जिलों में कुछ न कुछ इस प्रकार की संस्था खोलने का विचार जरूर है।

तन्तुवाय व सूत्रकार कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड, मऊरानीपुर को रिबेट

*११---**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला तन्तुवाय व सूत्रकार कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड, मऊरानीपुर (जिला झांसी) को सन् १९५५-५६, १९५६-५७ और १९५७-५८ तथा १९५८-५९ में कितना रुपया रिबेट दिया गया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जिला तन्तुवाय व सूत्रकार कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड, मऊरानीपुर, जिला झांसी को सन् १९५५-५६, १९५६-५७, १९५७-५८ तथा १९५८-५९ में निम्नलिखित रिबेट दिया गया :

			रु० न०पै०
१९५५-५६	..	..	७,८०७·००
१९५६-५७	..	..	१,८८३·४५
१९५७-५८	..	..	१,८८१·९०
१९५८-५९	..	..	६,४४३·८६
योग	..	..	१८,०१६·२१

म्योर मिल, कानपुर में छटनी तथा मजदूरों के प्रावीडेंट फंड का बकाया

*१२---**श्री उमाशंकर शुक्ल** (जिला कानपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या म्योर मिल, कानपुर के Management ने २ नवम्बर, १९५७ से जून, १९५९ तक का मजदूरों का प्राविडेंट फंड का पैसा सरकारी कोष में नहीं जमा किया है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ? और सरकार ने उक्त मिल के मालिकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—नवम्बर, १९५७ से मार्च, १९५९ तक की अवधि का प्रावीडेंट फंड का धन, सरकारी कोष में मिल मालिकों द्वारा जमा किया जा चुका है। अप्रैल, १९५९ से जून, १९५९ तक का बकाया रुपया अभी जमा नहीं किया गया है जिसके लिये मिल के व्यवस्थापकों को कानूनी नोटिस दी जा चुकी है। व्यवस्थापकों ने बकाया रकम शीघ्र जमा करने का वचन दिया है। वायदे के अनुसार यदि बकाया शीघ्र प्राप्त नहीं हुआ तो कर्मचारी प्रावीडेंट फंड अधिनियम, १९५२ व योजना की व्यवस्था के अन्तर्गत वसूली के लिये कानूनी कार्यवाही की जायगी।

*१३—**श्री उमाशंकर शुक्ल**—सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या म्योर मिल, कानपुर के Management ने १९५७ से १९५९ के बीच करीब १,२०० मजदूरों की छटनी कर दी है और निकाले गये मजदूरों को कानून के मुताबिक मुआवजा नहीं दिया है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी नहीं।

१९५७ से ३१ जुलाई १९५९ तक मिल मालिकों द्वारा केवल ६० श्रमिकों की सेवायें समाप्त की गई हैं जिनमें से २९ श्रमिकों को कानून के मुताबिक मुआवजा दिया जा चुका है। शेष ३१ श्रमिकों के मामलों का विवरण इस प्रकार है :

(१) ११ श्रमिकों के देय धन की वसूली के लिये कार्यवाही की जा रही है।

(२) १५ श्रमिकों के संबंध में श्रम न्यायालय को भेजे गये मामलों में सेवा-योजकों द्वारा रिट दायर कर दी गई है।

(३) ३ श्रमिकों के मामलों में समझौता हो गया है।

(४) १ श्रमिक ने अपना मामला वापस ले लिया है।

*१४—**श्री उमाशंकर शुक्ल**—क्या सरकार को यह विदित है कि सन् १९५७-५८ के आर्थिक वर्ष में म्योर मिल, कानपुर के मिल मालिकों ने मजदूरों का प्राविडेंट फंड का पैसा काटकर भी सरकारी कोष में नहीं जमा किया था और निकाले गये मजदूरों को उस अदा की की गई रकम से भी वंचित कर दिया है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मिल मालिकों ने केवल मई, १९५७ से अक्टूबर, १९५७ तक का प्रावीडेंट फंड का रुपया सरकारी कोष में नहीं जमा किया। छटनी किये गये कर्मचारियों के प्रावीडेंट फंड के दावे व्यवस्थापकों से प्राप्त धन के अनुसार निबटाये गये। बकाये रकम की व्यवस्थापकों से वसूली होने के बाद ही अन्य दावे निपटाये जा सकेंगे।

श्री उमाशंकर शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रावीडेंट फंड के साथ-साथ वहां के मजदूरों के वेतन का भी पैसा बकाया है? यदि हां, तो कितना और सरकार ने उसे दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, सवाल सिर्फ प्रावीडेंट फंड का था। लेकिन सिर्फ अपनी याददाश्त से कह सकता हूं कि कुछ पैसा बकाया जरूर है और हमारी कोशिश है कि यह पैसा उन्हें मिल जाय।

श्री उमाशंकर शुक्ल—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिन मजदूरों की सेवायें समाप्त की गई हैं उनको मालिकों ने मजबूर किया कि त्याग-पत्र दे दें और जिन्होंने देने से इन्कार किया उनको मालिकों के गुंडों ने पीट-पीट कर त्याग-पत्र लिखवाया?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—यह बात यदा कदा सरकार के सामने कही गई कि मालिकों ने मजदूरों की मरजी के खिलाफ उनसे इस्तीफा लिया, लेकिन इसका कोई सबूत हमारे सामने नहीं आया। इसलिय कुछ नहीं कह सकता।

श्री उमाशंकर शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी भविष्य में इस बात की कोशिश करेंगे कि मजदूरों में यह भावना पैदा हो कि कानून की अवहेलना करने वाले मालिकों के साथ भी सरकार सख्ती का बर्ताव करती है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी हां, बराबर ऐसी कोशिश हो रही है और ऐसा खयाल भीहै और किया भी ऐसा ही जाता है।

डाक्टर जयगोपाल (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार यह कोशिश करेगी कि मजदूरों का प्राविडेंट फंड का रुपया, जो उन्होंने सरकारी कोष में जमा नहीं किया है उसे वह अपने पास से जमा कर दे और बाद में मिल से वसूल कर ले ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—ऐसा होना संभव नहीं, लेकिन कुछ रुपया जमा हो गया है, हमारे पास ऐसी खबर आई थी।

राज्य में उत्तम वस्तु निर्यात करने के स्थान

*१५—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तम वस्तु छाप योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष १९५६–५७, १९५७–५८, १९५८–५९, १९५९–६० के १५ जुलाई सन् १९५९ ई० तक सरकार द्वारा कितना माल निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा उक्त प्रत्येक वर्षों में प्राप्त हुई ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—उत्तम वस्तु छाप योजना (क्वालिटी मार्किंग स्कीम) के अन्तर्गत सरकार की ओर से कोई निर्यात नहीं किया जाता वरन् उत्पादकों द्वारा स्वयं यथा-शक्ति निर्यात किया जाता है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इन उद्योगों द्वारा कितना-कितना माल निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा उक्त वर्षों में प्राप्त हुई ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इसका तो बहुत लम्बा-चौड़ा हिसाब है। आगरे के जूते हैं, बनारस का सिल्क है, फर्रुखाबाद का प्रिन्ट है, भदोही के कालीन हैं, सब का रुपया अलग-अलग निकालना संभव नहीं है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि ऐसे कितने स्थान हैं जहां से माल बाहर निर्यात किया जाता है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मुरादाबाद के ब्रासवेयर, फर्रुखाबाद के प्रिन्ट, भदोही के कालीन, वाराणसी की सिल्क, आगरे के चमड़े के जूते इस तरह के बहुत सारे सामान हैं जो हमारे देश से क्वालिटी मार्किंग स्कीम के अन्तर्गत लगे हुए उद्योग बाहर भेजते हैं।

एक से अधिक पदों पर कार्य करने वाले गजटेड अधिकारी

*१६—**श्री रामशरण यादव** (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में इस समय कितने गजटेड अधिकारी ऐसे हैं जो एक से अधिक पदों पर कार्यभार संभाल रहे हैं और वह ऐसे सभी पदों के लिये वेतन या एलाउन्स पा रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसे १७ अधिकारी हैं।

*१७—**श्री रामशरण यादव** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायगी कि उक्त अधिकारी कब से और किन-किन विभागों या पदों पर हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८३२-८३४ पर)

जिलाधीशों के कार्यालयों के मुहाफिजखानों स पुराने गजट हटाने की राजाज्ञा

*१८—**श्री हरिदत्त काण्डपाल** (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि सन् १९५८-५९ में ऐसी कोई राजाज्ञा जारी की गई है जिसके अनुसार जिलाधीशों को यह आदेश दिया गया कि वे सन् १९३७ के पूर्व के तमाम गजटों की प्रतिलिपियों और अन्य सरकारी रिपोर्टों की प्रतिलिपियों के संग्रह को नीलाम कर दें? यदि हां, तो क्यों?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जिलाधीशों के कार्यालयों के मुहाफिजखानों में अधिक स्थान उपलब्ध कराने के लिय भविष्य में केवल पिछले बीस वर्षों तक के गजट सुरक्षित रखने तथा शेष गजटों को निकाल देने के आदेश दिए गए थे। यह आदेश अन्य सरकारी रिपोर्टों के विषय में नहीं थे।

*१९—**श्री हरिदत्त काण्डपाल**—उपरोक्त राजाज्ञा के अनुसार जिलों के प्रधान कार्यालयों में रखे उन संग्रहों को हटा देने से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों की ओर क्या किसी जिलाधीश ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी हां, एक जिलाधीश ने। क्योंकि समस्त गजट, कमिश्नर व जिला जज के कार्यालयों में उपलब्ध रहेंगे इसलिए किसी विशेष कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पाई गई।

*२०—**श्री हरिदत्त काण्डपाल**—क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त संग्रहों में ऐसे भी लेखे हैं जो और कहीं उपलब्ध नहीं होते? यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में अन्य क्या व्यवस्था की है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—प्रश्न संख्या १८ और १९ के उत्तर को देखते हुए इसका प्रश्न नहीं उठता।

श्री मथुरासिंह, डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, के विरुद्ध उच्च न्यायालय इलाहाबाद की प्रतिकूल अभियुक्तियां

*२१—**श्री मदन पांडेय तथा श्री सजीवनलाल** (जिला उन्नाव)—क्या सरकार का ध्यान जस्टिस आर० एन० गुर्टू और जस्टिस ए० एन० मुल्ला द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के Cr.A.No. 484 of 1957 में १३ मई, १९५८ को दिये गये निर्णय की ओर गया है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि—

"On the conclusions that we have reached, we have no doubt that Sri Mathura Singh has fabricated every bit of evidence in this case. Who will now conduct the inquiry against Sri Mathura Singh, and if an officer is found to conduct an inquiry against Sri Mathura Singh, what is the guarantee that he will not be an improvement even upon Sri Mathura Singh? The police force seems to consists of so many undependable officers that it is almost impossible to investigate their misdeeds. Where the twigs are found to be decayed one hopes that the branches are safe but where the branches have also become rotten one begins to doubt that even the trunk is sound. The rule of law cannot be maintained so long as the so called guardians of "law and order" are mostly composed of this class. Unless the State thinks that to fabricate a false case in the interest of the prosecution is excusable, there seems to be no reason why Sri Mathura Singh should not be put on the mat and made to explain how he explains the fictious evidence which he produced in this case."?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी हां।

*२२—**श्री मदन पांडेय तथा श्री सजीवनलाल**—यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उस सम्बन्ध में उसने क्या कार्यवाही की ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—श्री मथुरा सिंह, डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस से इस सम्बन्ध में जवाब तलब किया गया था किन्तु आगे की कार्यवाही इस कारण स्थगित कर दी गई कि हाईकोर्ट से इन प्रतिकूल अभ्युक्तियों (adverse remarks) को काट देने के लिये निवेदन किया गया है और उनके निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

*२३—**श्री मदन पांडेय तथा श्री सजीवनलाल**—क्या सरकार पुलिस विभाग से भ्रष्टाचार हटाने के लिये किसी नवीन योजना पर विचार कर रही है जिस से विधि का शासन rule of law सुरक्षित रह सके ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—सरकार ने पुलिस विभाग के संगठन पर विचार करने के लिये एक कमीशन नियुक्त करने का निश्चय किया। इस कमीशन के सन्मुख सम्भवतः पुलिस से भ्रष्टाचार निवारण करने का प्रश्न भी आयेगा।

श्री मदन पांडेय—अध्यक्ष महोदय, जो उद्धरण दिया गया है उसका एक अंश इस प्रकार है:

"The police force seems to consist of so many undependable officers that it is almost impossible to investigate their misdeeds. Where the twigs are found to be decayed one hopes that the branches are safe but where the branches have also become rotten one begins to doubt that even the trunk is sound".

इस अंश में हाई कोर्ट द्वारा जो चीज रेफर की गई है वह सरकार की जो पुलिस विभाग की नीति है उससे सम्बन्धित है और इस विभागीय नीति की आलोचना जज द्वारा की गयी है, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है, इस पर माननीय मंत्री जी प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, जहां तक पुलिस और उसकी नीति का सम्बन्ध है यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि खराब और अच्छे लोग सब जगह मौजूद होते हैं। सारे पुलिस फोर्स को यह कह देना कि उसमें सारे लोग खराब हैं शायद फोर्स के साथ, जो समाज की सुरक्षा के लिये है, उचित नहीं होगा। इसलिये सरकार ने इस उद्धरण को, जिस प्रकार यह लिखा गया है, स्वीकार करने में अपनी असमर्थता प्रकट करने के लिये ही हाई कोर्ट के सामने अपील की है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—हाई कोर्ट के जजमेंट में जो ऐडवर्स रिमार्क्स और कमेंट्स हैं उनको निकाले जाने के लिये अपील किस की ओर से की गयी और क्यों की गयी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, मैं बड़े अदब से कहूंगा कि हाई कोर्ट ने जो कुछ लिखा है हमने उनसे निवेदन किया है कि यह आबिटर है लेकिन यह सारा मामला चूंकि विचाराधीन है इसलिये यह कहना कि हम ठीक हैं या नहीं उचित नहीं होगा। बहरहाल, हम उसे आबिटर मानते हैं, जजमेंट बेस्ड नाट आन एविडेन्स आन रेकार्ड। जहां तक मथुरा प्रसाद का सम्बन्ध है, उन्होंने अपील की है या नहीं इसकी सूचना मेरे पास इस वक्त नहीं है।

श्री सजीवनलाल—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह निवेदन किसकी ओर से किया गया है और क्यों ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब हो चुका है।

*२४—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—[हटा दिया गया।]

*२५—श्री कल्याणचन्द मोहिले—[गृह मंत्री से सम्बन्धित छठे शुक्रवार के लिये प्रश्न २८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२६—श्री प्रतापसिंह—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण सातवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

शाहजहांपुर में श्री मन्नीलाल के घर से मादक वस्तुओं की बरामदगी

*२७—श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या शाहजहांपुर नगर में एक व्यापारी के यहां बहुत बड़ी संख्या में स्प्रिट से बनी हुई शराब, उस के बनाने की आवश्यक सामग्री और कुछ जहरीली तथा नशीली वस्तुयें गत २३ जुलाई, १९५९ को बरामद हुई हैं?

परिवहन मंत्री (डाक्टर सीताराम)—जी हां।

*२८—श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार को विदित है कि उक्त व्यापारी के विरुद्ध इस प्रकार की शिकायतें स्थानीय एम० एल० ए० ने Excise Commissioner तथा Excise Minister से १९५७, १९५८ और १९५९ में निरन्तर की थी?

डाक्टर सीताराम—जी हां, १७ जुलाई, सन् १९५८ तथा २ जुलाई, सन् १९५९ की आबकारी स्थायी समिति की बैठक में स्थानीय एम० एल० ए० (श्री देवनारायण भारतीय) ने उक्त व्यापारी, श्री मन्नीलाल के विरुद्ध मौखिक शिकायतें की थीं।

*२९—श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या स्थानीय Excise विभाग ने उक्त बरामदगी के समय तक कोई कदम उक्त व्यापारी के तस्कर व्यापार को रोकने के लिये उठाया था या नहीं?

डाक्टर सीताराम—जी हां, इस प्रकार की शिकायतों के विरुद्ध सरकारी कर्मचारी सर्वदा प्रयत्नशील रहते हैं।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो बरामदगी २३ जुलाई, १९५९ को हुई वह पुलिस अधिकारियों के प्रयत्न से हुई अथवा उस प्रयत्न में एक्साइज विभाग के अधिकारियों का भी सहयोग था?

डाक्टर सीताराम—पुलिस अफसर तथा एक्साइज अधिकारी, दोनों थे।

श्री देवनारायण भारतीय—जुलाई, १९५८ में माननीय मंत्री जी और एक्साइज कमिश्नर साहब को यह सूचना दी गई कि उक्त तस्कर व्यापारी इस प्रकार का काम कर रहा है, तो तब से अब तक एक्साइज विभाग की ओर से उस तस्कर व्यापारी की देखरेख रखने अथवा उसको पकड़ने के क्या-क्या प्रयत्न एक्साइज विभाग की ओर से किये गये?

डाक्टर सीताराम—१७ जुलाई, १९५८ को स्टैंडिंग कमेटी में माननीय देवनारायण भारतीय जी ने यह आपत्ति उठायी थी कि वह व्यापारी ओपियम की स्मगलिंग करता है। उस पर इन्क्वायरी कराई गई और जिलाधीश ने सूचित किया कि यह चार्ज ठीक नहीं था बल्कि बेसलेस था। जहां तक शराब पकड़े जाने की बात है, मैं यह कहूंगा कि तभी से सरकारी कर्मचारी प्रयत्नशील रहे हैं कि किस प्रकार से तस्कर व्यापारी को पकड़ा जाय और उसके लिये वे कार्यवाही करते रहे।

श्री प्रतापसिंह---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि स्टैंडिंग कमेटी में इसके आने के बाद किसके द्वारा जांच कराई गई और उस की फाइंडिंग्स क्या हैं ?

डाक्टर सीताराम---अफीयम के बारे में जिलाधीश द्वारा जांच कराई गई और शिकायत बेसलेस पाई गई ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इतनी शिकायतों के बावजूद भी उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई या नहीं ?

डाक्टर सीताराम---शिकायत आने के पहले भी और बाद में भी सरकारी कर्मचारी बराबर प्रयत्नशील रहे और उसी का परिणाम हुआ कि मार्च, १९५९ में जहां इसकी मोनोपोली थी वहां इसको ६ के बजाय पांच दुकानों का लाइसेंस नहीं मिला। केवल एक दुकान का ही लाइसेंस मिला।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार को ज्ञात है कि १९५८ से ५९ तक अनेक बार पुलिस और एक्साइज दोनों विभागों की तरफ से इस तस्कर व्यापारी के यहां से अनुचित माल बरामद करने का प्रयत्न किया गया परन्तु निष्फल रहे। २३ जुलाई को अकेले पुलिस विभाग के अधिकारियों ने रेड किया और चीजें बरामद कर लीं तब एक्साइज विभाग को सूचना दी, इसलिये वह सफल हो गये ?

डाक्टर सीताराम---जहां तक मुझे सूचना है जिलाधीश की उसके अनुसार कह सकता हूं और कहता हूं कि पुलिस और एक्साइज विभाग के अधिकारियों ने सम्मिलित रेड किया था।

*३०-३१---**श्री भुवनेशभूषण शर्मा** (जिला इटावा)---[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण ३ सितम्बर, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

इन्दारा में चीनी मिल खोलने की प्रार्थना

*३२---**श्री झारखंडेराय**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दोहरीघाट पम्प नहर के चालू होने के बाद ईख की खेती बढ़ जाने के कारण, इंदारा (जिला आजमगढ़) में कोई चीनी मिल खोलने का प्रश्न तृतीय पंचवर्षीय योजना में उसके विचाराधीन है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में इस प्रदेश में नई चीनी मिलों के संस्थापन के लिये स्थानों की उपयुक्तता निश्चित किये जाने के विषय में अभी आँकड़े एकत्र किये जा रहे हैं।

*३३---**श्री झारखंड़ेराय**---यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---अभी प्रश्न नहीं उठता ।

श्री झारखंडेराय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि दोहरीघाट पम्प नहर के चालू होने के बाद और ईख की खेती बढ़ने के बाद इंदारा में चीनी मिल खोले जाने के प्रश्न पर सहानुभूति से विचार किया जायगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, इन्दारा में चीनी मिल खोलना सम्भव होगा या नहीं यह प्रश्न एक अधिकारी को सुपुर्द कर दिया गया है। वह स्टेटिस्टिक्स इक्ट्ठा करेगा। इसके बाद वर्किंग ग्रुप उसको देखेगा। चीनी मिल बनाने या न बनाने के सम्बन्ध में जो हाई पावर कमेटी है वह इसको देखेगी। फिर गवर्नमेंट तथा प्लानिंग कमीशन विचार करेगा।

यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स हजरतगंज में बिक्री की कमी

*३४—श्री बेचनरामगुप्त (जिला वाराणसी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत १ फरवरी, १९५९ से ३१ जुलाई, १९५९ तक हजरतगंज स्थित यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स में कितने रुपयों का विक्रय हुआ ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स शो रूम हजरतगंज में १ फरवरी से ३१ जुलाई सन् १९५९ तक ६२,१४९.०१ रुपयों का सामान विक्रय हुआ।

*३५—श्री बेचनरामगुप्त—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गतवर्ष में इन्हीं ६ महीनों में उक्त हैन्डीक्राफ्टस् में कुल कितने रुपयों का विक्रय हुआ था ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—गत वर्ष में १ फरवरी से ३१ जुलाई सन् १९५८ तक ९३,६९९.९० रुपये की बिक्री हुई थी।

श्री बेचनरामगुप्त—क्या सरकार बतायेगी कि इन ६ महीनों में ३१ हजार की बिक्री क्यों कम हुई ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, दुर्भाग्य से १० अक्तूबर १९५८ को जिस जगह हमारा शो रूम है उसमें बिजली के तार खराब होने के कारण आग लग गई। यह बहुत पुराना वाइरिंग था इसलिये रिवाइरिंग का सवाल सामने आया। यह एल० आई० सी० की बिल्डिंग है और बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा कि साढ़े २६ हजार का खर्चा बर्दाश्त करेंगे। पेट्रोमैक्स के सहारे बिक्री हुई। लेकिन उतनी बिक्री नहीं हुई जितनी कि होनी चाहिये। इसलिये सामान्य बिक्री तथा काम करने के घंटों दोनों पर असर पड़ा जिससे कम बिक्री हुई।

श्री बेचनराम गुप्त—क्या यह सत्य है कि १० साल से बराबर यू० पी० हैंडी क्राफ्ट्स म घाटा हो रहा है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, बहुत व्यापक सवाल है और इसका सवाल से सम्बन्ध भी नहीं है। मैं सूचना चाहूंगा।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि आग लगने से हैन्डीक्राफ्ट का कितना नुकसान हुआ ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—श्रीमन्, कुछ चीजें जलीं लेकिन क्या-क्या जलीं इस समय इसका मेरे पास ब्योरा नहीं है।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह सच है कि यू० पी० हैंण्डीक्राफ्ट्स एम्पोरियम की कई शिकायतें सरकार के पास आयी हैं और इसकी कुछ इनक्वायरी भी की गयी थी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, यह तो बिक्री का सवाल था, शिकायत का इससे तो कुछ सम्बन्ध है नहीं।

श्री बेचनराम गुप्त—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इन १० सालों के बीच में यू० पी० हैण्डीक्राफ्ट्स में कितनी बार आग लगी है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—कितनी बार आग लगी यह कह नहीं सकता। लेकिन वायरिंग जितनी पुरानी १० अक्तूबर, १९५८ को थी उससे कुछ कम पुरानी कुछ समय पहले भी रही होगी। दो एक बार पहले भी शायद आग लगी है, जहांतक मैं याददाश्त से कह सकता हूं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या ऐसी भी कोई शिकायत आयी है कि जब-जब आग लगती है तब तब रजिस्टर भी जल जाते हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी नहीं ।

श्री रामकृष्ण सारस्वत (जिला फर्रुखाबाद)---माननीय मंत्री जी आग लगने की जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, यह जांच के बाद ही मालूम हुआ। हमारे इण्डस्ट्रीज विभाग के अध्यक्ष ने जांच कराई ।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उन्हें इस बात की सूचना है कि यू० पी० हैण्डीक्राफ्ट्स के सम्बन्ध में पब्लिक एकाउंट्स कमेटी ने बहुत से सुझाव दिये थे, सरकार ने उनके अनुसार उसमें सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये या कदम उठाने के लिये सोच रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इस छोटे से सवाल में इतनी बड़ी कमेटी की चर्चा करना मेरे लिये सम्भव नहीं है ।

*३६-३७---**श्री नागेश्वरप्रसाद** (जिला जौनपुर)---[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण सातवें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*३८---**श्री नागेश्वरप्रसाद**---[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण ३ सितम्बर, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

हाथरस में चालू उद्योगों के सम्बन्ध में जानकारी

*३९---**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)---क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस में चल रहे राजकीय चाकू तथा अन्य उद्योग केन्द्र पर किस-किस विभाग के चलाने की योजना चल रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

*४०---**श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ** (अनुपस्थित)---क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त उद्योगों में किन-किन उद्योगों का कार्य अभी तक आरम्भ नहीं हो सका और उसके लिये कितने व्यक्ति ऐसे वहां नियुक्त हैं कि जो कोई अभी काम न होने के कारण बिना कोई कार्य किये ही मासिक वेतन पा रहे हैं और कब से ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

*४१---**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (अनुपस्थित)---क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों में अलग-अलग इस उद्योग केन्द्र पर कितना व्यय हुआ है और कितनी-कितनी आय-खर्च काट कर हुई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

*४२---**श्री भुवनेशभूषण शर्मा**---[सहकारिता मंत्री से सम्बन्धित ३१ अगस्त, १९५९ के लिये प्रश्न ४४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*४३-४४---**श्री मुक्तिनाथ राय** (जिला आजमगढ़)---[स्वायत्त शासन मंत्री से सम्बन्धित नवें बुधवार के लिये प्रश्न १-२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*४५-४६---**श्री देवकीनन्दन विभव** (जिला आगरा)---[गृह मंत्री से सम्बन्धित पांचवें शुक्रवार के लिये प्रश्न ९०-९१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

देवरिया जिले को मादक वस्तुओं के क्रय से आय

*४७--श्री उग्रसेन--क्या मंत्री परिवहन कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में १९५५-५६, १९५६-५७, १९५७-५८ तथा १९५८-५९ में आबकारी (गांजा, भांग, शराब) से सरकार को कितनी आय हुई ?

डाक्टर सीताराम--देवरिया जनपद में आबकारी गांजा, भांग तथा शराब से सरकार को १९५५-५६, १९५६-५७, १९५७-५८ तथा १९५८-५९ में निम्नलिखित आय हुई :

वर्ष	गांजा भांग (रुपयों में)	शराब (रुपयों में)	कुल आय (रुपयों में)
१९५५-५६ ..	४३,६७८.९४	७,७५,०७९.९६	८,१८,७५८.९०
१९५६-५७ ..	१६,३३०.९४	८,१०,७८०.८७	८,२७,१११.८१
१९५७-५८ ..	१६,१०७.४५	७६६,००९.११	७,८२,११६.५६
१९५८-५९ ..	१६,२४७.१०	७६२,४२१.६१	७,७८,६६८.७१

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९५५-५६ के मुकाबले में १९५६-५७, १९५७-५८, १९५८-५९ में गांजा, भांग की बिक्री में इतनी कमी क्यों पड़ गयी ?

डाक्टर सीताराम--प्राहिबिशन पालिसी के अनुसार १९५५-५६ में गांजा के लिये ३७ दूकानें थी। वह घट कर १९५६-५७, १९५७-५८, १९५८-५९ में सिर्फ पांच-पांच रह गयीं। इसलिये उनके आंकड़े रुपयों में भी कम हो गये।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि देवरिया जिले में नैपाल का गांजा स्मगलिंग से बहुत आता है इसलिये दूकानों पर सेल बहुत कम हो गयी ?

डाक्टर सीताराम--यह कहना कि स्मगलिंग का बहुत गांजा आता है बिलकुल गलत है क्योंकि रोकथाम के लिये गोरखपुर में एक स्क्वाड है। वह देख-रेख करता है। इसलिये यह प्वाइंट यहां पर एराइज नहीं होता कि गांजा की स्मगलिंग की वजह से बिक्री कम हो गयी।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जितना गांजा चोरी का पकड़ा गया है अगर पिछले तीन महीने का रेकार्ड देखा जाय तो वह ६-७ मन गांजा होता है ?

डाक्टर सीताराम--इसकी इस वक्त मुझे कोई सूचना नहीं है।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि दूकानों की तो कमी की जा रही है लेकिन आम जनता में इसका प्रचार अधिक है और लोगों को शिकायत है कि गांजा दूकानों पर नहीं बल्कि पब्लिक में बिक रहा है और दूकानों की कमी से कोई फायदा नहीं है ? तो इसकी रोकथाम का कोई इन्तजाम हो रहा है ?

डाक्टर सीताराम--यह कहना कि स्मगलिंग ज्यादा बढ़ रही है बिलकुल गलत है। इसकी रोकथाम आई० पी० सी० के अन्तर्गत पुलिस के अधिकारी करते हैं और एक्साइज ऐक्ट के अन्तर्गत एक्साइज के अधिकारी उनको पकड़ने का कार्य करते हैं।

श्री उग्रसेन--इस अवधि में जिसकी आमदनी की चर्चा मंत्री जी ने की है उस अवधि में स्मगलिंग के कितने केसेज का चालान विभाग ने किया ?

डाक्टर सीताराम--यह नया प्रश्न है । इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब दूकानों के ठेके दिये जाते हैं तो पिछले साल की आमदनी जो सरकार को हुई उस हिसाब से ही दिये जाते हैं या टेंडर जितने आ जाते हैं उनमें जिसका ज्यादा होता है उसको दिये जाते हैं ?

डाक्टर सीताराम--यह आक्शन होता है । जैसे आता हैं वैसे ही नहीं देते बल्कि आक्शन में जो हायेस्ट बिडर होता है उसको देते हैं, लोएस्ट को नहीं ।

बाराबंकी से फैजाबाद, नैपुरा घाट व बहराम घाट जाने वाली सड़कों पर बस सर्विस न होना

*४८--श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)--क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी की शहर से फैजाबाद व बाराबंकी से नैपुराघाट, हैदरगढ़ तथा बाराबंकी से बहरामघाट की सड़कों पर सरकारी बसें चलाने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर सीताराम--यह मामला विचाराधीन है ।

रोडवेज के कानपुर क्षेत्र में हरिजन कर्मचारी

*४९--श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर रोजन (रोडवेज), में कुल कितने कर्मचारी स्टेशन इंचार्ज, टी० आई०, ए० टी० आई०, कन्डक्टर ड्राइवर तथा क्लीनर व प्यून चौकीदार के पदों पर हैं ? उनमें से कितने हरिजन हैं ?

डाक्टर सीताराम--वांछित सूचना संलग्न सूची में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८३५ पर)

पूर्व-प्रसार खण्ड खोलने की योजना

*५०--श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश भर में बजट वर्ष १९५९-६० में कितने विकास खंड खोले जायेंगे ?

श्री सुल्तानआलम खां--बजट वर्ष १९५९-६० में इस प्रदेश में ७४ पूर्व-प्रसार (pre-extension) खंड खोलने तथा ५६ पूर्व-प्रसार खंडों को प्रथम श्रेणी (Stage I) के खंडों में परिवर्तित करने की योजना है ।

श्री अमरनाथ--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन ब्लाकों को खोलने की स्वीकृति दे दी गई है ?

श्री सुल्तानआलम खां--माननीय सदस्य को मालूम है कि ब्लाक अप्रैल में और अक्तूबर में खोले जाते हैं । इस साल में जो अप्रैल से ३४ ब्लाक खोले जाने वाले थे वह खोल दिये गए और अक्तूबर में दुबारा खोलने पर गौर किया जायगा । एक बात मैं और भी बता दूं कि एक फैसला अब यह कर दिया गया है कि जो ब्लाक नये खोले जायेंगे वह पहले एक साल प्री-एक्सटेंशन की स्टेज में रहेंगे, उसके बाद वह उस स्टेज में आयेंगे ।

श्री झारखंडेराय--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के सभी गांव किसी न किसी विकास खंड में आ जायं यह टार्गेट या यह उद्देश्य कब तक पूरा हो जाने की उम्मीद सरकार करती है ?

श्री सुल्तान आलम खां--पहले यह खयाल था कि सन् १९६१ तक हम सब सेचुरेट कर लेंगे लेकिन अब कुछ प्लान के स्टेगर होने की वजह से उसमें कुछ कमी हो गई है और अब ऐसी उम्मीद की जाती है कि सन् १९६३ तक सब सेचुरेट हो सकेंगे ।

श्री रामायणराय--कौन विकास खंड पहले खुलें और कौन बाद को खुलें इसका निश्चय किस सिद्धान्त के आधार पर किया जाता है ?

श्री सुल्तानआलम खां--पहले तो यह तय किया गया था कि हर जिले की जो प्लानिंग कमेटी है वह प्रायरिटी बनाकर भेज देगी । उसी के मुताबिक ब्लाक खुलते जायेंगे । अभी कुछ अरसा हुआ जबकि प्लानिंग कमीशन ने यह डाइरेक्टिव हमारे पास भेजा है कि ब्लाक्स का फिर अजसरे नौ सर्वे किया जाय और उन मुकामात पर पहले इनको खोला जाय जहां इरीगेशन की फैसिलिटीज और पोटेंशियलिटीज ज्यादा हों । तो उस जांच के बाद कुछ की पोजीशन वैसी ही रही, कुछ की कुछ नीचे हो गई और कुछ की कुछ ऊपर हो गई ।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय नियोजन मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५९-६० वित्तीय वर्ष में जो ब्लाक खोले जायंगे वह आबू कान्फ्रेन्स के आधार पर खोले जायंगे या इटावा प्रोजेक्ट के आधार पर ?

श्री सुल्तान आलम खां--यह तो ठीक नहीं मालूम कि ऐसा कोई निर्णय वहां किया गया है कि ब्लाक वहां खोले जायंगे लेकिन जैसा मैंने बताया जो प्लानिंग कमीशन की हाल ही में डाइरेक्टिव है वह यह है कि ब्लाक अब वहां पर खोले जांय जहां पर आबपाशी के साधन ज्यादा हों ।

हथियागढ़ विकास क्षेत्र अधिकारी के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*५१--श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में हथियागढ़ विकास क्षेत्र के विकास अधिकारी के विरुद्ध सरकारी या गैरसरकारी लोगों को पीटने की कितनी शिकायतें गत दो मास में विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जिलाधीश गोंडा और नियोजन अधिकारी के पास आई और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सुल्तान आलम खां--विकास-आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई । जिलाधीश व जिला नियोजन अधिकारी, गोंडा को एक ऐसी शिकायत गत मास के अन्तिम सप्ताह में प्राप्त हुई थी, जिसकी जिला नियोजन अधिकारी जांच कर रहे हैं ।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह--क्या सरकार को मालूम है कि बी० डी० ओ० महोदय ने कई किसानों की खड़ी धान की फसल इस वजह से उखड़वा दी कि वह लाइन में नहीं बोई गई थी ?

श्री सुल्तान आलम खां--ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं आई । सिर्फ एक शिकायत जिले में आई थी उसकी जांच हो रही है और जांच होने के बाद उस पर मुनासिब कार्यवाही की जायगी ।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह---जिस शिकायत का उन्होंने जिक्र किया है वह किस प्रकार की शिकायत है, क्या मंत्री जी बतला सकेंगे ?

श्री सुल्तान आलम खां---वह शिकायत इस प्रकार की है कि कोई शख्स वहां गया था और उसको थप्पड़ मारा गया और उसके साथ कुछ मारपीट की गई।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह---जिसको थप्पड़ मारा गया वह सरकारी कर्मचारी था या गैरसरकारी था ?

श्री सुल्तान आलम खां---कहा यह जाता है कि वह सहकारी संघ, मसकनवां का मुनीम था।

राजा वीरेन्द्रशाह---इस शिकायत की अहमियत को देखते हुए कि जनता और बी० डी० ओ० में सम्बन्ध खराब होते जाते हैं और वे पद का दुरुपयोग करते हैं, सरकार जांच करायेगी कि यह बात कहां तक सही है ?

श्री सुल्तान आलम खां---किसी मुलजिम को सजा उसी वक्त दी जा सकती है जब उसके खिलाफ जांच हो जाय और एक्प्लेनेशन ले लिया जाय। इसलिये जांच की जा रही है। जांच के बाद, जो उचित कार्यवाही होगी, वह की जायगी।

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो हथियागढ़ विकास क्षेत्र के अधिकारी नियुक्त हुए हैं ये पहले बलरामपुर में नियुक्त थे और वहां भी इस प्रकार की हरकत कर चुके हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां---मुझे इसकी कोई इत्तला नहीं है।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह एक ही आदमी के बारे में शिकायत आई है या आमतौर पर यह उनकी आदत है कि लोगों को पीटा करते हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां---मैं पहले इसका जवाब दे चुका हूं कि यहां विकास आयुक्त के पास कोई शिकायत नहीं आई। जिले में यह शिकायत आई थी उसकी जांच हो रही है।

गोरखपुर रोडवेज क्षेत्र में कण्डक्टरों व ड्राइवरों का स्थायीकरण तथा कण्डक्टरों की पदोन्नति

*५२---**श्री उग्रसेन**---क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर क्षेत्र में १९५७-५८ तथा १९५८-५९ में कितने कन्डक्टर्स तथा ड्राइवर्स स्थायी किये गये ?

डाक्टर सीताराम---गोरखपुर क्षेत्र में १९५७-५८ में ३ कन्डक्टर और २३ ड्राइवर और १९५८-५९ में २ कन्डक्टर और २ ड्राइवर स्थायी किये गये।

*५३---**श्री उग्रसेन**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर क्षेत्र में कितने कन्डक्टर्स हैं जिनकी पदोन्नति बुकिंग क्लर्क तथा जूनियर क्लर्क्स में हुई है, मगर वे जनवरी, १९५९ तक अस्थायी कन्डक्टर्स ही हैं ?

डाक्टर सीताराम---गोरखपुर क्षेत्र में २० कन्डक्टरों की पदोन्नति बुकिंग क्लर्कों व जूनियर क्लर्कों क पदों पर हुई।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर क्षेत्र में सन् १९५७-५८ और १९५८-५९ में कितने ऐसे कन्डक्टर और ड्राइवर थे जिनको स्थायी होना था?

डाक्टर सीताराम--सन् १९५५-५६ से लेकर १९५७-५८ तक कुल सैंक्शन्ड पोस्ट परमानेन्ट ड्राइवर्स की ८८ थी और कन्डक्टर्स की ३९ थी। इनमें से कितने स्थायी होने थे इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५८-५९ में केवल दो ही कन्डक्टर और दो ही ड्राइवर स्थायी किये गये? इसका क्या कारण है कि और नहीं किये गये?

डाक्टर सीताराम--सन् १९५५ में राज्यादेश के अनुसार कंफर्मेशन मेरिट्स के बेसिस पर होता था लेकिन १९५७ में राज्यादेश के अनुसार कंफर्मेशन सीनियारिटी सब्जेक्ट टु दि रिजेक्शन आफ दि अनफिट से होने लगा। इसलिये १९५८-५९ में कम कर्मचारी कंफर्म हुए। पहले के कंफर्मेशन में बहुत से आदमी बाईपास कर दिये गये थे, इसलिये उन सब का रेकार्ड बन रहा है और वह एक सेलेक्शन कमेटी के सामने जायगा। अभी यह सब विचाराधीन है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि गोरखपुर डिवीजन में कितने कन्डक्टर्स और ड्राइवर्स उनके पास सिफारिश के लिये आये हैं कि जिनको स्थायी करना है?

डाक्टर सीताराम--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

चमड़ा उद्योग में शिथिलता

*५४--श्री उमाशंकर शुक्ल--क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग सन् १९४८ की तुलना में १९५८ में ह्रास (डिक्लाइन) कर रहा है? यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री उमाशंकर शुक्ल--क्या सूचना प्राप्त होने पर मंत्री जी उसे सदन में रखने की कृपा करेंगे?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जी हां, यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो जरूर रख दूंगा।

कानपुर में अवैध मादक वस्तुओं के व्यापारियों की गिरफ्तारी

*५५--श्री उमाशंकर शुक्ल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५६-५७ और १९५७-५८ में कानपुर नगर में कितने व्यक्ति मादक वस्तुओं के अवैध व्यापार में पकड़े गये हैं?

डाक्टर सीताराम--कानपुर नगर में १९५६-५७ में कुल ४,००६ व्यक्ति तथा १९५७-५८ में कुल ४,०८९ व्यक्ति मादक वस्तुओं के अवैध व्यापार में पकड़े गये।

श्री उमाशंकर शुक्ल--क्या सरकार को जानकारी है कि जब से कानपुर में मद्य-निषेध लागू हुआ है टिंचर जिंजर का खुला व्यापार हो रहा है? और क्या यह एक्साइज के अन्तर्गत आता है?

डाक्टर सीताराम--टिंचर जिंजर ब्रिटिश फारमाकोपिया के अन्तर्गत आता है, एक्साइज के अन्तर्गत नहीं।

श्री उमाशंकर शुक्ल---जो लोग अवैध व्यापार करते हुए इन सालों में पकड़े गये उनमें से कितनों ने सजा पायी और कितने मुक्त हो गये ?

डाक्टर सीताराम---१९५६-५७ में ४,००६ पकड़े गये, ३,९६२ को सजा या जुर्माना हुआ और ४४ छोड़ दिये गये। १९५७-५८ में ४,०८९ पकड़े गये जिनमें ४,०३६ को जुर्माना या सजा हुई और ५३ छोड़ दिये गये।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---चूंकि टिंचर जिंजर शराब की जगह इस्तेमाल होता है इसलिये क्या मंत्री जी उस पर कोई रोक लगाने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम---शराब की जगह इस्तेमाल होता है, कहना गलत है। वह तो मेडिसिनल परपजेज़ के लिये इस्तेमाल किया जाता है।

श्री गेंदासिंह---अवैध मादक वस्तुओं का इस्तेमाल करने वालों की संख्या दिन-प्रति दिन बढ़ती जाती है इसका कारण क्या गवर्नमेंट की एफीशियेन्सी है या पीने वालों की संख्या ही बढ़ती जाती है ?

डाक्टर सीताराम---दिन प्रति दिन संख्या बढ़ती जाती है इस सूचना के लिये हमारे पास इस समय कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि कानपुर में अफीम के ट्यूब इंजेक्शन बना कर बहुत बड़ी संख्या में इस्तेमाल किये जा रहे हैं जिनसे जनता को नुकसान पहुंच रहा है ?

डाक्टर सीताराम---यह कहना कि बड़ी संख्या में इस्तेमाल किये जा रहे हैं, ठीक नहीं है।

न्योली चीनी मिल पर किसानों का बकाया

*५६---श्री टीकाराम (जिला बदायूं)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि न्योली शुगर मिल्स जिला एटा से जो मार्च में रुपया गन्ना उत्पादकों को पेमेन्ट करना था, वह पेमेन्ट नहीं करा के अल्पबचत योजना में डाला गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी नहीं।

श्री टीकाराम---क्या सरकार बतायेगी कि गन्ना उत्पादकों का कितना रुपया मिल पर था ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---सन् १९५८-५९ में इस मिल ने २०,४८,००० रुपये का गन्ना खरीदा। इस वक्त ३५,००० रुपया उस पर बाकी है।

श्री टीकाराम---यह ३५,००० रुपया जो किसानों का बाकी है यह कबतक उनको दिया जायगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, यह रुपया १ जुलाई, १९५९ तक बाकी था। उसके बाद की सूचना मेरे पास नहीं आयी है, लेकिन कोशिश हो रही है कि जल्दी पैसा दे दिया जाय।

कुमायूं डिवीजन में नये उद्योगों के लिये सहायता

*५७---श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी (जिला गढ़वाल)---क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विगत दो वर्षों के अन्दर कुमायूं डिवीजन के कितने व्यक्तियों एवं संस्थाओं ने नये उद्योग चालू करने के लिये सरकार से सहायता मांगी थी और कितनों को और कितनी सहायता अनुदान इत्यादि के रूप में अब तक दी जा चुकी है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---विगत दो वर्षों (१९५७-५८ व १९५८-५९) के अन्दर कुमायूं डिवीजन में १७० व्यक्तियों एवं संस्थाओं ने नये उद्योग चालू करने के लिये सहायता मांगी थी, जिनमें से ३३ को ८२,५०० रुपये तथा ९२ को ४२,२१७ रुपये अनुदान के रूप में वितरित किया गया ।

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी---क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जिन व्यक्तियों या संस्थाओं को सहायता नहीं दी गयी, उन्हें मुख्य कौन से कारण थे जिनकी वजह से सहायता नहीं दी गयी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---योजना के आधार को लेकर सहायता दी जाती है, अगर जरूरत नहीं होती तो नहीं दी जाती ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय उद्योग मन्त्री बतायेंगे कि जो धनराशि उन्होंने बतायी उसमें कितनी कोआपरेटिव्स को दी गयी और कितनी व्यक्ति विशेष को दी गयी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---अलग-अलग कहना तो सम्भव नहीं है, लेकिन काफी संस्थाएं इसमें कोआपरेटिव भी हैं। दोनों की सूची मेरे पास है।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी---क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जो सहायता सरकार ने दी है उससे अब तक कुल कितने उद्योग चालू किये जा सके हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इसी तरह की बातों की सूचना एकत्रित करने के लिये एवैलुएशन कमेटी हर कमिश्नरी में बनी है, उनकी रिपोर्ट आ जाने पर सूचना दी जा सकती है।

परिवहन विभाग की टैक्सियां

*५८---**श्री गनेशीलाल चौधरी** (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)---क्या मंत्री परिवहन यह बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन विभाग के पास कुल कितनी टैक्सियां हैं ?

डाक्टर सीताराम---पचास।

रोडवेज विभाग के ए० टी० आइज तथा जनरल क्लर्क

*५९---**श्री ब्रजनारायण तिवारी** (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में रोडवेज विभाग के अन्दर ए० टी० आइ० तथा जनरल क्लर्कों की अलग-अलग संख्या क्या है ?

डाक्टर सीताराम---उत्तर प्रदेश रोडवेज में २३६ ए० टी० आई० और १६१ जनरल क्लर्क काम कर रहे हैं।

*६०---**श्री ब्रजनारायण तिवारी** (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उक्त पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाहें क्या हैं और उनमें से कितने स्थायी तथा कितने अस्थायी हैं ?

डाक्टर सीताराम---ए० टी० आई० का वेतन-क्रम ७५---५-१०० रुपये प्रति माह तथा जनरल क्लर्क का वेतन-क्रम ८०---६---११० दक्षता प्रतिबन्ध (E. B.) ६---१४० रुपये प्रति माह है।

ए० टी० आईज में ६४ स्थायी तथा १७२ अस्थायी हैं और जनरल क्लर्कों में १०३ स्थायी तथा ५८ अस्थायी हैं।

श्री सीताराम शुक्ल द्वारा कांग्रेस दल से त्याग-पत्र देने के सम्बन्ध में सूचना

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)––माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी करना चाहता था कि सुनने में आया है कि श्री सीताराम शुक्ल, बस्ती के जो एम० एल० ए० हैं, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर हम लोगों की तरफ आने का विचार प्रकट किया है ?

श्री अध्यक्ष––उन्होंने मेरे पास एक सूचना भेजी है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने कांग्रेस दल से इस्तीफा दे दिया है और किसी दूसरे दल में जाने की बात उन्होंने नहीं कही, लेकिन जैसे आप स्वतंत्र हैं तो वह भी स्वतंत्र हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह––श्रीमन्, अगर छोटा-सा हो तो उसे पढ़ने की कृपा करें कि उन्होंने श्रीमन् को क्या लिखा है।

श्री अध्यक्ष––वह बहुत लम्बा है। बात यह है कि उसमें इस्तीफा देने के कारण इत्यादि हैं। अगर वह मिनिस्टर होते तो स्टेटमेंट की अनुमति देता मैं।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)––सारांश ही बतला दीजिये।

श्री अध्यक्ष––जी नहीं। वह स्वतंत्र हो गये हैं।

श्री रामायण राय को सजा होने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष––मैं एक सूचना देना चाहता हूं, यद्यपि संबंधित माननीय सदस्य यहां मौजूद हैं––

रामायणराय जी को श्री अग्निहोत्री, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, देवरिया ने दफा ४४७ और ३४१ आई० पी० सी० के मातहत सादा दो महीने की सजा दी है और एक महीने की सजा दी है दफा ३४१, आई० पी० सी० के मातहत और २४ अगस्त का फैसला है ।

यह मैंने सूचना दे दी।

साहू केमिकल वर्क्स, दुलहीपुर में मजदूरों की बिला नोटिस छटनी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष––मेरे पास दो काम रोको प्रस्ताव आये हैं, एक श्री राजनारायण का है और दूसरा श्री झारखंडेराय जी का है।

श्री राजनारायण जी का यह है "कि साहू केमिकल्स वर्क्स दुलहीपुर, वाराणसी में मिल मालिकों ने फैक्टरी कानून की पूर्णतः अवहेलना कर बिना मजदूरों को कोई नोटिस दिये करीब ४०० मजदूरों को निकाल दिया है। गत २५ अगस्त को मजदूर संघर्ष की कार्यसमिति के मन्त्री सहित ९ सदस्यों को फैक्टरी से निकाल दिया। यह वही फैक्टरी है जिस की स्थापना के लिये प्रान्तीय सरकार ने करीब डेढ़ करोड़ रुपया क़र्ज़ दिया था और जिन किसानों की जमीन फैक्टरी ने ली थी उन किसानों को भी सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था कि उन किसानों को फैक्टरी में जगह दी जायगी। अब मिल मालिकों ने पुराने आश्वासनों को तोड़कर जिस मनमाना ढंग से सरकारी सहायता से मिल चला रहे हैं उससे जनहित को बड़ा धक्का लगा है और फैक्टरी के मजदूरों तथा पास के किसानों व आम जनता में व्यापक असन्तोष फैला है और आम हड़ताल की स्थिति पैदा हो गई है। अतः यह सदन उपर्युक्त आवश्यक और जनहित की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करने के लिये आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

तो इसमें राजनारायण जी ने यह नहीं बतलाया है कि इसका सरकार से क्या सम्बन्ध है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, फैक्टरी कानून जो बना है वह सरकार का ही बनाया हुआ है और उसी के मातहत मिलों, मिल मालिकों और प्रबन्धकों को काम करना चाहिये. . .

श्री अध्यक्ष---न करें तो ?

श्री राजनारायण---अगर न करें तो सरकार को देखना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---क्या सरकार वहां एकदम पुलिस भेज देती ?

श्री राजनारायण---वही मैं आप से अर्ज कर रहा हूं कि इस फैक्टरी को चलाने के लिये सरकार ने जनता के कोष से १ करोड़ ४५ लाख रुपया भी दिया था और उसमें जो समझौता किया गया था, मेरी जहां तक जानकारी है, उसमें माननीय मुख्य मन्त्री और माननीय गृह मंत्री दोनों गये थे और उन्होंने उनको आश्वासन दिया था कि जिन किसानों की जमीन ली जा रही है उन किसानों को तुम्हें यहां पर जगह देनी पड़ेगी क्योंकि वह जाबलेस (बेकार) होते चले जा रहे हैं और उनके पास जीवन-निर्वाह का कोई जरिया नहीं है। यह सारी बातें तय हो चुकी थीं। आज सुबह माननीय मुख्य मन्त्री जी से मैंने सम्बन्ध स्थापित किया और माननीय प्रभुनारायण जो कि पार्लियामेंट के सदस्य हैं उनका ११ बजे फोन आया और एक आदमी चिट्ठी लेकर आया, तो सारी बातों की जानकारी मैंने सुबह डाक्टर सम्पूर्णानन्द को कराई थी और उनसे कहा कि आपने इस तरह से वहां समझौता किया था किसानों से, उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, हमें मालूम हो गया है और मैं अपनी जानकारी हासिल करता हूं और उन्होंने शायद जानकारी हासिल की होगी लेकिन इसका हमें पता नहीं है। वह इस समय यहां नहीं हैं लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जो फैक्टरी कानून इस सरकार के जरिये से बनाये गये वह तोड़े जा रहे हैं और सरकार ने जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये जनकोष दिया उसकी पाबन्दी नहीं की जा रही है, किसानों से जो समझौता हुआ था उसकी पाबन्दी नहीं की जा रही है और इस समय करीब ४०० मजदूर मनमाने ढंग से वहां से निकाल दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष---माननीय मुख्य मंत्री अगर चाहें तो इस विषय पर प्रकाश डालें कि इस विषय में क्या कार्यवाही सरकार को करनी थी, क्या की गई और क्या नहीं की गई ।

श्रम उप मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)---श्रीमन्, आपका उत्तर देने से पहले, आप की आज्ञा से दो शब्द कह देना चाहता हूं कि राजनारायण जी ने जो आपको कामरोको प्रस्ताव दिया वह कामरोको प्रस्ताव का विषय बन ही नहीं सकता है क्योंकि उसमें तीन विषय सम्मिलित हैं, मजदूरों का निकाला जाना, सरकार के द्वारा रुपया दिया जाना और किसी समझौते का किया जाना। अब अगर कोई तीनों बातों को लेकर आवे तो इस सदन की प्रक्रिया नियमावली के अन्तर्गत यह प्रश्न कामरोको प्रस्ताव नहीं बन सकता। यदि आप इस विषय में कोई निर्णय पहले ले लें तो उचित होगा।

श्री अध्यक्ष---इसमें मुख्य विषय यह है कि ४०० मजदूर निकाल दिये गये। तो इसमें मैं यह नहीं जानता कि इसमें सरकार को बीच में पड़ने का अधिकार है या कोई अन्य कानून बना है जिसके मातहत काम होना चाहिये था ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---श्रीमन्, फैक्टरी कानून के नाम का कोई कानून नहीं बना है लेकिन सदन ने मजदूरों और मालिकों के सम्बन्धों को निश्चित करने के लिये कुछ कानून बनाये हैं उसमें भी सरकार के और मजदूरों के बीच में यह मुमकिन नहीं है कि कोई मालिक किसी मजदूर को कभी भी न निकाल सके। निकाले गये मजदूर अगर सरकार द्वारा बनाये गये यंत्र के पास शिकायत ले कर आवें और हम उस पर कार्यवाही न करें तब चर्चा का विषय बन सकता है।

श्री अध्यक्ष---तो आप के पास ऐसी शिकायत नहीं आई ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी नहीं ।

विश्वविद्यालय बोर्ड के चुनाव के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---श्रीमन्, मेरा वैधानिक प्रश्न है कि इस समय १२ बजकर ५ मिनट हुये हैं और १२ बजे एक चुनाव होने वाला था, क्या वह हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष---वह हो रहा है ।

साहू केमिकल वर्क्स, दुलहीपुर में मजदूरों की बिला नोटिस छंटनी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---यह सूचना मंत्री जी ने दी है कि उनके पास कोई शिकायत नहीं आई है और शिकायत पर ही वह कार्यवाही करते हैं। ऐसी अवस्था में यह अनिश्चित विषय है और सरकार से कोई सम्बन्ध अभी तक नहीं हुआ है। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा ।

मिर्जापुर के बर्तन व्यवसाय पर नगरपालिका द्वारा चुंगी बढ़ाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---यह एक कामरोको प्रस्ताव श्री झारखंडेराय जी का है कि मिर्जापुर नगर में समस्त बर्तन व्यवसाइयों ने तथा श्रमिकों ने गत २४ अगस्त से धातु पाने पर ८ आने के बजाय २ रुपये मन तक नगरपालिका द्वारा प्रस्तावित चुंगी के विरोध में हड़ताल कर दी। यह स्थानीय संस्था से संबंधित है और सरकार से कोई सीधा संबंध इसका नहीं है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--- टैक्नीकली जो आप कह रहे हैं वह सही है, लेकिन इसके महत्व को देखते हुये . . . .

श्री अध्यक्ष---आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न देते या नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकृष्ट करते। कामरोको प्रस्ताव का यह विषय नहीं बन सकता है। इसलिये मैं इसकी भी इजाजत नहीं देता हूं ।

नियम ५२ के अन्तर्गत २५ अगस्त, १९५९ को विधान परिषद् के सभापति के डाकुओं द्वारा घेरे जाने के बारे में गृह मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---नियम ५२ के अनुसार मेरे सामने कई प्रश्न उपस्थित किये गये हैं और मन्त्रियों का ध्यान आकृष्ट करना उनका उद्देश्य है। लेकिन इनमें से तत्कालिक महत्व का जो मुझे मालूम हुआ वह राजा यादवेन्द्रदत्त जी दुबे का है। उसमें उन्होंने लिखा है कि 'उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया नियमावली ५२ के अन्तर्गत मैं आप की आज्ञा से माननीय मंत्री का ध्यान निम्नलिखित घटना की ओर आकर्षित करता हूं और आशा करता हूं कि आप माननीय मंत्री से वक्तव्य दिलवाने की कृपा करेंगे । घटना इस प्रकार है :--- २५ अगस्त, सन् १९५९ की रात में विधान परिषद् के अध्यक्ष बाराबंकी से लौटते हुये डाकुओं से सड़क पर घेरे गये। इस प्रकार की घटनायें आज प्रान्त में सब जगह हो रही हैं।"

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---मान्यवर, मैं जानकारी हासिल करके कल सूचना दे दूंगा ।

नियम ५२ के अन्तर्गत देवरिया नगरपालिका के सदस्य श्री तिलकसिंह के अनशन के सम्बन्ध में स्वायत्त शासन मंत्री का वक्तव्य

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)--श्रीमान्जी, तिलकसिंह जी ने अपना अनशन तोड़ दिया है। मामला इस प्रकार है कि कुछ दिनों से तिलकसिंह जी नगरपालिका के सामने अपनी मांगें रखते रहे और शिकायतें करते रहे। १७ अगस्त को उन्होंने नगरपालिका को नोटिस दी कि वह २० अगस्त से अनशन करेंगे। नोटिस पाने पर अध्यक्ष ने उन्हें बातचीत के लिये १८ तारीख को बुलाया। अध्यक्ष ने बात होने के बाद उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को वे अच्छी तरह से देखेंगे और उनकी शिकायतों का निराकरण करेंगे। १९ तारीख को अध्यक्ष ने नगरपालिका की एमर्जेंट मीटिंग में मामला पेश किया। नगरपालिका ने भी यह आश्वासन दिया कि उनकी मांगें पूरी की जावेंगी और उनसे अनुरोध किया कि वह अनशन न करें और इसकी सूचना तिलकसिंह जी के पास उसी दिन उन्होंने भेज दी। लेकिन २० तारीख की सुबह ही उन्होंने अध्यक्ष को सूचना दी कि वह अपनी बात पर अडिग हैं और अनशन शुरू करेंगे। अध्यक्ष ने फिर उनके पास एक पत्र भेजा कि उनकी बातें सुन ली गई हैं और उनकी मांगें पूरी की जावेंगी इससे उन्हें अनशन नहीं करना चाहिये। लेकिन उन्होंने पत्र लेने से इन्कार कर दिया और अनशन शुरू कर दिया। फिर २१ तारीख को नगरपालिका की मीटिंग में इनकी मांगों पर अलग-अलग विचार किया गया और निश्चय किया कि जहां तक हो सकेगा उनकी मांगों को पूरा किया जायगा। इसकी भी सूचना उनके पास उसी दिन भेज दी गई। इस बीच में अतिरिक्त जिलाधीश और परगनाधीश भी उनसे मिले लेकिन उन्होंने अनशन जारी रखा। परन्तु २३ तारीख को उन्होंने अपना अनशन अपने आप बिना किसी शर्त के तोड़ दिया और घर चले गये।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)-- श्री तिलकसिंह सर्वहारा ने अध्यक्ष, नगरपालिका को कौन-कौन सी मांगें दी थीं ?

श्री जयराम वर्मा--जल-कर वसूली के बारे में खासतौर से लिखा था। उन्होंने यह भी कहा था कि उनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं, जो वह कहते हैं उसे कार्यवाही में नहीं लिखा जाता है और मीटिंग समय पर नहीं बुलाई जाती है।

श्री उग्रसेन--क्या यह सही है कि अध्यक्ष नगरपालिका ने उनको आश्वासन दिया था कि जल-कर और बिजली के संबंध में उनकी मांगें जल्द पूरी की जावेंगी ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)--मेरे पास अध्यक्ष की सूचना यह है कि कुछ तो वे पूरी कर चुके हैं और बाकी के लिये यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करेंगे।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--मंत्री जी की सूचना के अनुसार कौन सी ऐसी मांगें हैं जिन्हें वह पूरा करने की कोशिश करेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--दुर्भाग्य से इसकी तफ़सील उन्होंने नहीं दी है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--जब तिलक सिंह जी की मांगों के औचित्य को सरकार ठीक समझती है तो किन कारणों से अनशन करने से पहले उन पर विचार नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष--नगरपालिका इसमें स्वतंत्र है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--क्या किसी मांग को बोर्ड के अध्यक्ष ने अस्वीकार भी किया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--ऐसा उन्होंने हमारे पास लिखकर नहीं भेजा है।

नियम ५२ के अन्तर्गत देवरिया जिले के थाना लार, खामपुर एवं खुंखुन्दू की सीमा पर पशुओं की खालें गुप्त दलों द्वारा उतारे जाने के सम्बन्ध में गृहमंत्री का वक्तव्य

*गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना जो कलेक्टर, देवरिया से आई है वह इस प्रकार है। यह बात सही है कि पशुओं को मारकर उनका चमड़ा उतार लेने की घटनायें इन ७ महीनों के बीच में इस जिले में घटी हैं जिनकी तादाद १८ है। इनमें जानवरों को मारकर उनका चमड़ा लिया गया है। उनकी जांच-पड़ताल भी हुई। इनमें से ४ मामले. . .

श्री अध्यक्ष---क्या दूसरों के जानवरों को मार दिया?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, जानवरों को चुरा कर उनको मार कर चमड़ा उतारा गया। इनमें से ४ मामलों की सफलतापूर्वक जांच-पड़ताल करके चालान कर दिया गया है। १४ आदमियों के ऊपर मुकदमें इसमें चल रहे हैं। इस मामले में ८ अभियुक्त ऐसे थे जिनको सजा भी हो चुकी थी। ६ के ऊपर जुर्माने की कार्यवाही हुई। कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ऐसा लगता है कि कोई गैंग है जो चमड़ों की कीमत चूंकि आजकल बहुत ज्यादा है इसलिये इस प्रकार का अपराध कर रहा है। पर यह अपराध सिर्फ देवरिया में नहीं, उससे सटे हुये बिहार के सारन जिले में भी हो रहे हैं, इसकी सूचना मिली है और इन दोनों जिलों के पुलिस अधिकारियों की, सारन के भी और देवरिया के भी, एक बैठक बुलाई गई थी ताकि मिल-जुल कर इस मामले की छानबीन की जाय और इस अपराध को रोका जाय। उसमें उन लोगों ने कुछ उपाय भी निश्चित किये हैं। आप कहें तो मान्यवर, बता दूं, मैं वैसे समझता हूं कि यह कुछ बहुत ज्यादा जनहित में नहीं होगा यह बताना कि किन्होंने क्या-क्या तय किया है। लेकिन दो एक बातें यह हैं। एक तो उन्होंने आर्मगार्ड पैट्रोलिंग शुरू कर दी है जो एक सर्किल इंस्पेक्टर के अण्डर हो रही है और एक स्पेशल स्क्वाड भी बना है। उसमें एक सब-इंस्पेक्टर, हेडकांस्टेबिल और ६ कांस्टेबिल हैं और उसका हेडक्वार्टर सलेमपुर में स्थापित किया गया है। पैट्रोलिंग भी शुरू की गयी है उस एरिया में जिसमें कि इस तरह के जुर्म हो रहे हैं। २ तरीके और अख्तियार किये गये हैं। मैं आप की आज्ञा से उनको पढ़ नहीं रहा हूं क्योंकि उससे अपराध करने वालों को ख्वामख्वाह सूचना मिल जाती है। कलेक्टर ने यह भी लिखा है कि पूरी तरह से इस गैंग का पता नहीं लग सका है, पर हमें उम्मीद है कि जो नये तरीके अख्तियार किये गये हैं उनसे शीघ्र ही घटनायें बन्द हो जायेंगी और इस तरह का यदि कोई गैंग काम कर रहा है तो हम उसे लोकेट कर लेंगे।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि खामपार और लार के थानों में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका सम्बन्ध पाकिस्तान से है या जिनके बहुत से रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं और जिनका व्यापार नैपाल से भी है, इस दृष्टि से जांच करावेंगे जिससे सारी बातों का ज्ञान सरकार को हो सके?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है मैंने उसे केवल कहा नहीं है लेकिन वह देखी जा रही है।

श्री अयोध्याप्रसाद आर्य (जिला देवरिया)---क्या माननीय गृह मंत्री जी को ज्ञात है कि उक्त घटना की सूचना मैंने प्रार्थना-पत्र के द्वारा उनको दी थी कि वे गुप्तचर विभाग द्वारा जांच कराने की कृपा करें?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कमलापति त्रिपाठी--मुझे स्मरण उसका नहीं है किसी प्रार्थना-पत्र का, लेकिन अवश्य दिया गया होगा और उस पर कार्यवाही भी की गयी होगी तभी यह सब जांच-पड़ताल की गयी और कई लोगों के चालान किये गये और कुछ को सजा भी हुई और कुछ उपाय भी बरते जा रहे हैं जिससे उनकी रोकथाम हो।

श्री अयोध्याप्रसाद आर्य--क्या माननीय मंत्री महोदय, बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन १८ पशुओं की हत्यायें हुईं उनमें कौन-कौन जानवर हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जानवरों की तफसील तो मेरे पास इस समय मान्यवर नहीं है लेकिन पशुओं की किस-किस थाने, कितनी हुई उसकी तफसील है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--क्या माननीय गृह मंत्री जी इसकी भी जांच करायेंगे कि वहां के एस० पी० और सम्बन्धित रेंज के डी० आई० जी० और कामों में इतने लगे हुये हैं कि वे इस पर ध्यान नहीं दे सकते हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसकी तो कोई शिकायत नहीं थी लेकिन देखता हूं कि ऐसा नहीं है क्योंकि जो उपाय किये जा रहे हैं वह व्यापक हैं और इस रिपोर्ट से पता लगता है कि वहां के स्थानीय अधिकारी इस सम्बन्ध में न केवल सतर्क हैं किन्तु प्रयत्न भी कर रहे हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि बाक़ी १३ या १४ मामले जो रह गये, उनमें जांच खत्म हो चुकी है और जांच से यह मालूम हुआ है कि अब आगे और कोई कार्यवाही इसमें नहीं हो सकती या जांच अभी जारी है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जांच अभी जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही सफलता भी मिल जायगी।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि पुलिस को सबसे पहले मामले की सूचना कब मिली और कब से यह पेट्रोलिंग चालू है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मेरे पास जो रिपोर्ट कलेक्टर ने भेजी है उसमें उन्होंने फरवरी, ५९ से लिखा है कि इस माह में यह यह घटना हुई।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि वह पशु कौन पशु हैं और यदि नहीं तो क्या सरकार इसकी सूचना मंगाने की कृपा करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी--पशुओं की कोई तफसील नहीं है लेकिन आमतौर से ऐसा लगता है कि उसमें गौएं हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--माननीय गृह-मंत्री जी ने यह कहा, अगर मैंने सही सुना है तो, कि उन्हें जानवरों की संख्या नहीं मालूम है, पशुओं की संख्या का तफसील मालूम है। तो जानवरों और पशुओं में क्या अन्तर है?

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह तो आपको ज्यादा मालूम होगा।

श्री राम स्वरूपवर्मा (जिला कानपुर --क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इन मामलों की जांच के समय एक खाल एक ब्राह्मण के घर से मिली और वह जानवर हरिजन का था?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं, इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--क्या सरकार को इसकी सूचना है कि यह घटनायें काफी दिनों से घट रही हैं और कोई पता पुलिस चला पायी या नहीं?

श्री अध्यक्ष--उन्होंने अभी बता दिया कि पता नहीं लगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--क्या सरकार को मालूम है कि इन जानवरों में ज्यादातर बैल हैं ? एक दिन एक आदमी अपने आम बेचकर आ रहा था। गाड़ी पर उस वक्त बाप नहीं बेटा था। गैंग वालों ने गाड़ी को रोक कर लड़के को पेड़ से बांध दिया। दोनों बैलों को गाड़ी से छुड़ा कर काट डाला। और इस स्थान की थाने से दूरी केवल २ फर्लांग की थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस वक्त इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

नियम ५२ के अंतर्गत पूर्वी जिलों में गंगा तथा घाघरा की बाढ़ के सम्बन्ध में वक्तव्य

राजस्व उपमंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)--अध्यक्ष महोदय, सर्वश्री उग्रसेन, गौरीशंकर राय तथा यादवेन्द्रदत्त दुबे द्वारा उठाये हुए प्रश्न के सम्बन्ध में बयान इस प्रकार है--

"बलिया में अत्याधिक वर्षा की कोई रिपोर्ट नहीं है। गंगा तथा घाघरा अभी हाई फ्लड लेविल से नीचे ही रही हैं। बलिया अंतरिम जिला परिषद्, बलिया ने इस विषय का एक प्रस्ताव पास किया है कि गंगा में बलिया बैरिया बंद और घाघरा के बंद खोल दिये जायं ताकि दाबा में पानी आ जाय। इससे भी प्रतीत होता है अत्याधिक वर्षा नहीं हुई है।

गंगा तथा घाघरा के कटाव को रोकने में अत्यधिक खर्च लगेगा। इसके अतिरिक्त एक मुकाम पर कटाव को रोकने के लिये बड़े बांध बनाये जायं तो दूसरी जगहों पर उसकी प्रतिक्रिया होने का डर है। इसलिये ऐसे स्पर्स बनाना ठीक नहीं प्रतीत होता। बड़े-बड़े शहरों, रेलवे लाइन, तथा पुलों को बचाने के लिये ऐसी कीमती योजनायें करना उचित हो सकता है। बलिया बैरिया बंद जहां कि गंगा निकट आ गयी है, के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है। वर्तमान वर्षा ऋतु के अनुभव के बाद उस पर उचित कार्यवाही करने का विचार किया जायगा। रायपुर तथा कठौंडा बन्द दरिया के बहुत निकट आ गये हैं, इसलिये उनकी मरम्मत से कोई लाभ नहीं होगा। चीफ इंजीनियर, सिंचाई विभाग की रिपोर्ट से जैसा कि ऊपर कहा गया है कटाव को रोकने के लिये कोई प्रोटेक्टिव मेजर्स सम्भव नहीं प्रतीत होता जब तक कि लाखों रुपया उस पर सर्फा न हो लेकिन फिर भी सफलता निश्चित नहीं है।

जिलाधीश की रिपोर्ट दिनांक २३ ,अगस्त सन् १९५९ से मालूम होता है कि दुहाबेहारा के करीब के बन्द को दरिया घाघरा ने कुछ काट दिया है। तुर्तीपार रेलवे पुल पर घाघरा का लेबिल २०८ पर कायम है जब कि खतरे का लेबिल २११ है। तब भी बेलथरा बाजार और करीमपुर में दो तीन घर कट गये हैं परन्तु स्थिति ठीक है। उन कटे हुए घरों में रहने वालों के लिये दूसरी जगहें मुकर्रर कर दी गयी हैं।

गंगा के कटाव से रेपुरा रिंग बन्द गत वर्ष ६०० गज लम्बाई में कट गया था। वह भी कट रहा है जिलाधीश, बलिया के तात्कालिक रिपोर्ट से पता चलता है कि गांव केट अंगेरपुर, शाहपुर, हल्दी, तथा रुद्रपुर नाममात्र के लिये गंगा से कटे हुए हैं। भेलसन्द गांव में कटाव काफी हुआ है। परन्तु कटने के पहले ही वहां के रहने वाले उनको छोड़ दिये थे और तमाम असलादि भी हटा लिये थे। ये लोग पड़ोस के गांवों में या खेतों में बसा दिये गये थे। उनके पुनर्वास के लिये जमीन हासिल करने का तथा उनको सहायता पहुंचाने का प्रयत्न किया जा रहा है। गंगा का लेबिल करीब ४ फीट, पांच छः दिन में नीचे गिर गया है और इस वक्त स्थिति कन्ट्रोल में है।

लगभग २० गांव पानी से घिरे हैं। फ्लड पोस्ट्स से वहां किस्तियां भेज दी गयी थीं जिनसे कि सहायता तथा निकालने का काम हुआ। फसलों के नुकसान का तखमीना पानी हट जाने के बाद ठीक तौर से हो सकेगा।

[श्री महावीरप्रसाद शुक्ल]

१०,००० रुपया अहेतुक सहायता और दूसरे कामों के लिये जिलाधीश के पास रख दिया गया है। और उनकी मांग आने पर अधिक धन मंजूर किया जायगा। फिलहाल ५,००० रुपये जरिये तार कलेक्टर, बलिया के अख्तियार में २५ अगस्त, सन् १९५९ के दे दिया गया है ताकि बंदों की मरम्मत, यदि कहीं आवश्यकता हो, फ्लड कंट्रोल विभाग की सलाह लेकर करायी जा सके।

वाराणसी—१३ अगस्त, सन् १९५९ को गंगा का लेबिल खतरे के लेबिल से ७५" ऊपर हो गया था। १४ अगस्त से सैलाब कम होने लगा। १७ अगस्त को खतरे के लेबिल से नीचे पहुंच गया। तहसील वाराणसी के गोबरहा गांव में ५० कच्चे मकानात गिर गये और वहां के लोग दूसरी जगह पहुंचा दिये गये। किसी मनुष्य या पशु की मृत्यु नहीं हुई। तहसील वाराणसी के कुछ गांवों में पानी जमा हो गया था। सैलाब से जिले में कोई अख्स बेघर का नहीं हुआ और फसल को भी ज्यादा नुकसान पहुंचने की कोई रिपोर्ट नहीं है। सैलाब का मुकाबला करने के लिये सारे प्रयत्न किये जा रहे हैं। १०,००० रुपये की धनराशि अहेतुक सहायता तथा खर्चों के लिये जिलाधीश के अख्तियार में दे दी गयी है।

आजमगढ़—हर साल घाघरा के कटाव से कुछ खेत तथा झोपड़े कटते हैं लेकिन लोग इसके आदी हो गये हैं। बरसात के पहले सुरक्षित जगहों पर चले जाते हैं। गत वर्ष उनके बसने के लिये जमीन एक्वायर की गयी थी और उनको बिना किसी मुआवजे के दे दी गयी थी। जिलाधीश के दिनांक २५ अगस्त, सन् १९५९ के रिपोर्ट से जाहिर होता है कि इस साल सैलाब से न कोई कटाव हुआ है और न कोई नुक्सान हुआ है। १०,००० रुपये अहेतुक सहायता तथा अन्य खर्चों के लिये उनको दे दिया गया है।

गोरखपुर—जिलाधीश की रिपोर्ट दिनांक २३,२४,८-१९५९ से प्रतीत होता है कि घाघरा का लेबिल ११.१०, २२ अगस्त, सन् १९५९ को था जब कि खतरे का लेबिल १२ है। अभी तक घाघरा की बाढ़ ने कोई विकट रूप नहीं धारण किया है। परन्तु घाघरा के पश्चिम-दक्खिन की तरफ गांव गायघाट, मूलनचक, रायपुर, पटरहा मिसिर, रसूलपुर तथा नरायनपुर येहतमाली में कटाव हुआ है। इसी प्रकार पूरब तरफ किनारे, देवरिया के सरहद पर गांव कोटया दीपशाह, डेरवा कोटया निरंजन, डुमरी, नवलपुर तथा गरयाकोल में कटाव हो रहा है। इस कटाव के फलस्वरूप ४६५ एकड़ मजरुआ तथा ८० एकड़ परती जमीन को नुकसान हुआ है। १४० मकान बिलकुल खतम हो गये हैं और १० में कुछ हिस्सों को नुकसान हुआ है। १५० परिवार जिसमें लगभग ९१५ आदमी होंगे इस से क्षति-ग्रस्त हुए हैं। फसलों का अनुमानित नुकसान चार-पांच आने के बीच में है। इस के अतिरिक्त २० गांवों में पानी जमा हो गया है। और लगभग २,५०० एकड़ जोती और १,५०० एकड़ बिला जोती हुई जमीन पानी के अन्दर है। किसी मनुष्य या पशु का नुक्सान नहीं हुआ है। घाघरा और राप्ती के संगम पर नीची जगहों में पानी फैल रहा है। पानी की सतह बढ़ जाने से कटाव बन्द हो गया है। किस्तियों का प्रबन्ध हो गया है। लोग ऊंची और सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिये गये हैं, झोपड़ी बनाने के लिये सामान भी दिया जा रहा है। अधिकतर ग्रसित लोग मजदूर पेशा के हैं जो कि जड़हन लगाने में लगे हैं। १५,००० रुपया जिलाधीश को अहेतुक सहायता तथा अन्य कामों के लिये दे दिया गया है।

देवरिया—जिलाधीश, देवरिया की हाल की रिपोर्ट है कि घाघरा से कोई कटान नहीं हुआ है। घाघरा के सैलाब से सलेमपुर तहसील के १२ गांवों के ९,००० एकड़ जमीन में पानी फैल गया है। किसी पशु को कोई क्षति नहीं पहुंची है और न कोई आदमी बिला घर का है। फसल, सम्पत्ति आदि को कोई नुकसान पहुंचने की बात नहीं बताई जाती। ग्रसित क्षेत्र में सात नावें काम करने के लिये कर दी गई हैं। जिला अधिकारी स्थिति का सामना

करने के लिये सतर्क हैं। १०,००० रुपया अहेतुक सहायता तथा अन्य खर्च के लिये जिलाधीश को पेशगी दिया गया है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—अध्यक्ष महोदय, इसका संबंध बाढ़ से नहीं, कटान से था और उसी के संबंध में मैंने पूछा था।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न और लोगों के भी तो थे।

श्री गौरीशंकर राय—अभी मंत्री जी ने बताया कि कटे हुए घरों लोग बसाये गये हैं और दूसरी जमीनों की व्यवस्था वहां हो रही है, तो जिन के अपने घर उजड़े या कट गये उन को सरकार ने कहां बसाया है?

न्यायमंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—कुछ लोग पड़ोस के गांवों में और कुछ खेतों में अस्थायी तौर पर बसे हुए हैं।

श्री गौरीशंकर राय—इस वर्ष ही नहीं, बल्कि पिछले साल भी सैकड़ों परिवार और उन से संबंधित हजारों व्यक्तियों को बसाने की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है और अधिकांश लोग रास्तों में और नदियों के किनारे ऊंची जगहों पर छप्परों में पड़े हैं, क्या इसकी इत्तला मंत्री जी को है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसी कोई डेफिनिट इत्तला हमको नहीं है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार को मालूम है कि गंडक के कटाव से ४० लाख रुपये के इस बांध को खतरा है और बड़ी गंडक और बांसी नदी हजारों एकड़ जमीन काट ले गयी है?

श्री हुकुम सिंह विसेन—माननीय उग्रसेन का सवाल घाघरा के बारे में था, गंडक के मुताल्लिक तो था नहीं, उसके बारे में हमें नहीं मालूम है, अगर नोटिस दिया जायगा तो मालूम करा लिया जायगा।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—अभी मंत्री जी ने कहा कि गंगा का जो रिंग बांध कट गया था और उसकी मरम्मत नहीं हो पायी, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वह उसी स्थान पर कटा है या और आगे भी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मेरी इत्तला है कि वह उसी स्थान पर कट रहा है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री महोदय, गोरखपुर और देवरिया के बरहलगंज से चुरिया, देवरिया तक जो ३६ गांवों में कटान जारी है और वहां के २० हजार से अधिक लोग बेघरबार के हो गये हैं उनकी इत्तला रखते हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिलाधीश की रिपोर्ट से यह बात ठीक नहीं मालूम होती।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी के गोबरहा गांव में जो ५० घर गिर गये उनके मालिकों को कोई सहायता दी गयी? यदि नहीं, तो वह कहां बसाये गये?

श्री हुकुम सिंह विसेन—उनको झोपड़ी बनाने के लिये सहायता देने पर विचार किया जा रहा है।

श्री उग्रसेन---अभी जो बताया गया कि घाघरा का फ्लड लेविल देवरिया, भागलपुर में अधिक है और घाघरा में भी बाढ़ है तो यह कैसे कहा जाता है कि फसलों का वहां नुकसान नहीं हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---नुकसान नहीं हुआ इसी वजह से मैं कहता हूं कि नुकसान नहीं हुआ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या सरकार को ज्ञात है कि सैकड़ों परिवारों के घर बलिया बैरिया बांध पर इस साल की और पिछले साल की कटान से कटे पड़े हुए हैं।

श्री हुकुम सिंह विसेन---माननीय सदस्य १६-१७ तारीख को उधर गये थे। वह बनिस्बत मेरे ज्यादा जानते हैं।

श्री गौरीशंकर राय---क्या माननीय मंत्री जी मेरी इस बात को सूचना मान कर कि पिछले साल के सैकड़ों परिवारों के घर कटने वालों के लिये सरकार के द्वारा कोई भी बसने की व्यवस्था नहीं की जा सकी, इस बात का प्रयास क्या सरकार करेगी कि इस वर्ष जिनके घर कट गये हैं उनके बसाने की व्यवस्था की जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जिलाधीश से जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---बाढ़ आने के समय जो गांव गिर जाते हैं उनकी सहायता के लिये सरकार ने जो स्कीम चलाई थी गांव के स्तर (लेविल) को ऊंचा करने की, क्या वह स्कीम सरकार ने छोड़ दी है ? यदि नहीं, तो इस स्कीम के मातहत जितने गांवों के लेविल ऊंचे करने का विचार था वह पूरे हो गये हैं ? क्या पोजीशन है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---नोटिस की आवश्यकता है। दूसरे विभाग से संबंधित है।

श्री रामलक्षण तिवारी (जिला बलिया)---क्या सरकार को ज्ञात है कि इस तरह से बहे हुए लोगों में से बहुत से परिवार हैं जिनके पास जीविका का कोई साधन नहीं रह गया है यदि यह सच है तो क्या उनको कहीं जमीन देकर किसी दूसरे जिले में बसाने की व्यवस्था पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अभी तो ऐसा हम नहीं सोच रहे हैं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---अभी मंत्री जी ने उत्तर में यह कहा कि स्पर बनाने के कारण एक जगह जब स्पर बनता है तो दूसरी जगह उसकी प्रतिक्रया होती है और यह भी कहा कि बांध कट गया है, उसकी मरम्मत असंभव सी है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो गवर्नमेंट आफ इंडिया की फ्लड कंट्रोल स्कीम थी, जिसमें ६० लाख रुपया है, उस रुपये को लेकर और चीफ इंजीनियर की सलाह लेते हुए क्या बांध बनाने का फिर से प्रयास मंत्री जी करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---इर्रीगेशन डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर ने ऐसी सलाह दी, वही मैंने यहां पर बतलाया।

श्री गौरीशंकर राय---श्रीमन्, मंत्री जी ने उत्तर में बतलाया कि जिला परिषद् ने यह मांग की है कि बांध में रेग्युलेटर से पानी जाने दिया जाय, इसको देखते हुए क्या इसके बाद सरकार बांध की जरूरत ही नहीं समझती जो मरम्मत नहीं कराना चाहती ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जिस चीज की मरम्मत हो सकती है उसी की मरम्मत की जाती है। जिसकी मरम्मत होना असंभव हो जाता है उसकी मरम्मत नहीं की जाती।

लखनऊ विश्वविद्यालय कोर्ट के ५ स्थानों के लिये निर्वाचन सम्बन्धी सूचना

श्री अध्यक्ष—लखनऊ विश्वविद्यालय कोर्ट के ५ स्थानों के लिये १८ उम्मीदवारों के २२ नामांकन-पत्र प्राप्त हुए हैं जो दिनांक २७-८-५९ को सूक्ष्म-परीक्षा के उपरान्त ठीक पाये गये हैं। इन नामों में से जो नाम अतिरिक्त हैं वह यदि दिनांक २८-८-५९ के सायंकाल ५ बजे तक वापस न ले लिये गये तो निर्वाचन ३१-८-५९ को १२ बजे से ५ बजे तक विधान वाचनालय में होगा। उम्मीदवारों के नाम निम्नलिखित हैं :—

१—	श्री	रामसूरतप्रसाद	गोरखपुर
२—	,,	नेकराम शर्मा	अलीगढ़
३—	,,	मुनीन्द्रपालसिंह	पीलीभीत
४—	,,	परमेश्वरदीन वर्मा	उन्नाव
५—	,,	त्रिलोकीसिंह	लखनऊ
६—	,,	जगन्नाथप्रसाद	खीरी
७—	,,	सुरेंद्रदत्त वाजपेयी	हमीरपुर
८—	,,	सोहनलाल धुसिया	बस्ती
९—	,,	शिवराजसिंह यादव	बदायूं
१०—	,,	गनेशीलाल	सीतापुर
११—	,,	अतीकुल रहमान	बिजनौर
१२—	,,	चन्द्रजीत यादव	आजमगढ़
१३—	,,	देवनारायण भारतीय	शाहजहांपुर
१४—	,,	मुरलीधर कुरील	कानपुर
१५—	,,	मदनमोहन वर्मा	फैजाबाद
१६—	श्रीमती	चन्द्रावती	बिजनौर
१७—	श्री	नरेंद्रसिंह भंडारी	गढ़वाल
१८—	,,	बुलाकीराम	हरदोई

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, जरा मैं कुछ वैधानिक प्रश्न इसके संबंध में रखना चाहता हूं। मेरा निवेदन यह है कि यह जो अध्यादेश जारी हुआ था उसके मातहत ही कार्यवाही हो रही है क्योंकि उस अध्यादेश को कानून की शक्ल देने का तो अभी विधेयक पास हुआ है और अभी पास होकर आया नहीं है, तो उस अध्यादेश में यह देखा जाय, लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५७ में धारा ११ की उपधारा २ में शब्द १२ के स्थान पर शब्द ३० रख दिया जाय, यह होगा। धारा ११ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा ११-क के रूप में बढ़ा दिया जाय। ११-क यह है "यूनिवर्सिटी के किसी प्राधिकारी (authority) या निकाय (body) के किसी ऐसे सदस्य की पदाविधि जो मूल अधिनियम के या इस अधिनियम के अथवा उक्त दोनों अधिनियमों में से किसी के अधीन निर्मित परिनियमों (statutes) के उपबन्धों के अधीन निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट (नामांकित) हुआ हो" अब आगे पृष्ठ ३ पर इस संबंध में यह है "राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये परिनियमों के अधीन इस संबंध में जारी की गयी प्रकट होने वाली आज्ञाओं और विज्ञप्तियों में उल्लिखित दिनांक या दिनांकों से

[श्री राजनारायण]

समाप्त हो जायगी और समाप्त हुई समझी जायगी, मानो यह अधिनियम सभी महत्वपूर्ण दिनांकों पर प्रवृत्त रहा हो।" मेरा निवेदन यह है कि यहां पर पदाविधि को समाप्त करने का अधिकार सरकार ले रही है। अब यह पदाविधि कब से आरम्भ होती है या इसका अर्थ क्या है? वही है जो सरकार ने अपने स्टेट्यूट्स में लिखा है। तो स्टेट्यूट्स क्या हैं इसके ९० और ९१ देखे जायं। लखनऊ यूनिवर्सिटी कोर्ट के लिये हमारी असेम्बली से जिन लोगों का चुनाव हुआ है उनमें श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्रीमती बिन्दुमती दास, श्री व्रजभूषण शर्मा, श्री रामेश्वर प्रसाद व श्री त्रिलोकी सिंह जी का चुनाव ३ वर्ष के लिये हुआ था। जो स्टेट्यूट है ९१, उसमें लिखा है किसी सदस्य की पदाविधि कोर्ट की पहली बैठक आरम्भ होने के दिन से चलेगी। अब मेरा निवेदन यह है जहां तक मेरी जानकारी है लखनऊ यूनिवर्सिटी कोर्ट की कोई बैठक नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष—आपका कहना यह है कि उनकी पदाविधि आरम्भ ही नहीं हुई तो खत्म कैसे हो सकती है?

श्री राजनारायण—इसीलिये मेरा कहना है कि वे अपनी जगह पर हैं। अगर पदाविधि बनायेंगे तो वे फिर काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष—यह होते हुए भी चुनाव हो सकता है।

श्री राजनारायण—यहां असेम्बली का है।

श्री अध्यक्ष—यहां असेम्बली का प्रस्ताव यह हो चुका है, माननीय शिक्षा मंत्री के प्रस्ताव के ऊपर कि लखनऊ यूनीवर्सिटी ऐक्ट की धारा के अनुसार विधान सभा के ५ सदस्यों का चुनाव यह सदन करेगा। २० तारीख को यह प्रस्ताव सामने आया और आदरणीय सदन ने उसे स्वीकार कर लिया और उस वक्त अपने कोई एतराज नहीं किया। यानी वह अपनी जगह अभी कायम है। अगर वह मेम्बर मौजूद हैं तो भी चुनाव हो सकता है क्योंकि उनकी पदाविधि प्रारम्भ हो गयी है और अगर प्रारम्भ नहीं हुई है तो वे सदस्य ही नहीं हैं। अगर उनका अस्तित्व नहीं है तो चुनाव हो ही सकता है। इस पर मैंने इस प्रश्न को कानूनी राय लेने के लिये भी, इसकी जांच के लिये भी भेजा है लेकिन जहां तक कामनसेंस कहती है, उस हिसाब से मैं यह कहता हूं आप यह समझते हैं कि वह प्रारम्भ नहीं हुई और जब तक वह प्रारम्भ नहीं हुई जिसकी वजह से वे मेम्बर ही नहीं हैं जैसा कि आप कहते हैं, तो फिर मैं समझता हूं कि अगर मेम्बर नहीं है तो चुनाव हो जाने में बाधा कैसे हो सकती है—?

श्री राजनारायण—यह मैं नहीं कह रहा हूं। जब असेम्बली ने चुन लिया और वे मेम्बर हो गये तो पदाविधि कब से मानी जायगी जब से वे चुने गये या जब से पहली मीटिंग होगी तब से.....

श्री अध्यक्ष—अगर वह मेम्बर हो चुके थे तो वह अध्यादेश से खत्म हो गये। कोर्ट में बैठना प्रारम्भ न हो गया हो तब भी मेम्बर तो कायम रहते ही हैं। तो उनको मेम्बरी से खत्म करने की यदि अध्यादेश में कोई धारा कहीं पर मौजूद है तो उनकी सदस्यता खत्म हो जायगी।

श्री राजनारायण—पद की अवधि खत्म की गयी है, मेम्बर नहीं खत्म किये गये हैं। इसका खयाल कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—उसकी फिर जांच हो जायगी।

श्री राजनारायण—तो फिर दो चुनाव हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, कल फैसला हो जायगा।

सदन का उपवेशन समाप्त होने की सूचना दस दिन पूर्व देने की प्रार्थना

*श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—कार्यवाही शुरू होने से पहले आपके द्वारा मैं सरकार से एक प्रार्थना करना चाहता हूं और वह यह है कि सत्र जिस दिन को समाप्त होने वाला हो उससे कम से कम १० दिन पहले सदन को इस बात की सूचना दे देना चाहिये कि वह अमुक दिन समाप्त होगा क्योंकि रेलवे में अपनी बर्थ रिजर्व कराने के लिये १० दिन पहले की अवधि है और बहुधा उससे कम समय मिलने पर बर्थ नहीं मिलती है जिससे बड़ा कष्ट होता है। मैं आशा करता हूं कि माननीय उपनेता सदन इस बात का विचार करके हमारी सुविधा का ध्यान रखेंगे और १० दिन पूर्व बता दिया करेंगे कि सत्र की समाप्ति कब होगी।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—आज तो नहीं बता सकूंगा।

श्री अध्यक्ष—तो कल आप विचार करके बता दीजियेगा।

†उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९ (The Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Bill, 1959) को एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—मैं एक वैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—पहले उनका भाषण हो जाने दीजिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन—अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र राजा साहब बड़े परेशान मालूम होते हैं।

राजा वीरेन्द्रशाह—सभी परेशान हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह परेशानी आज ही की नहीं है। जब जमींदारी उन्मूलन विधेयक इस सदन में लाया गया था उस समय भी यह परेशानी बहुत अधिक मात्रा में थी।

जहां तक इस विधेयक के सिद्धान्तों का ताल्लुक है मैं समझता हूं हमारे सभी माननीय सदस्य, जो इस तरफ बैठे हैं या उस तरफ बैठे हैं, एक राय होंगे क्योंकि मेरा ऐसा खयाल है कि सब की यह दिली ख्वाहिश है कि अपने देश की जो गरीब जनता है उसका स्तर कुछ ऊंचा किया जाय, उनकी परेशानियों में कुछ कमी की जाय। इसी उद्देश्य से हम सब लोग यहां बैठे हुए हैं और प्रतिनिधि हो कर आये हैं। इसके प्रिएम्बिल और स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स को देखने से पता चलता है कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अपने यहां का जो जमीन का धन है उसको समुचित ढंग से वितरित करके जहां तक सम्भव हो सके उनको भी हम जमीनें दें जिनके पास जमीन नहीं है और कामन गुड के लिये भी एक व्यवस्थित ढंग से खर्च करें। हम कोआपरेटिव फार्मिंग भी करें जिसके बारे में हमारे देश में बड़ी चर्चा है और खयाल ऐसा है कि उसके जरिये से हम अपने यहां ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में वृद्धि कर सकेंगे। इस तरह से बहुत से कामन परपजेज के लिये कुछ जमीन की जरूरत है, तो इस दृष्टिकोण से यह विधेयक सदन में लायी गयी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†२० अगस्त, १९५९ की कार्यवाही में छपा है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---लायी गयी है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां, विधेयक के लिये हमेशा लायी गयी है ही कहा जाता है।

श्री अध्यक्ष---पूर्व और पश्चिम में बहुत फर्क है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह विधेयक पांच भागों में बांटा गया है यानी यह ५ चैप्टर्स में है। पहले चैप्टर में प्रिएम्बिल है कि यह कहां और कब लागू होगा। कुछ डैफिनीशन्स भी रखी गयी हैं और इसी के साथ-साथ एप्लीकेबिल सीलिंग्स के भी प्रावीजन्स रखे गये हैं। दूसरे चप्टर में सीलिंग के इम्पोजीशन्स रखे गये हैं और उसके साथ-साथ प्रोसीजरल मैथड्स यानी कैसे नोटिस दिया जायगा, कैसे आबजक्शन्स होंगे और कैसे फैसला होगा तथा अपील किसके यहां होगी, ये तमाम बातें रखी गई हैं। तीसरे चैप्टर में कम्पेन्सेशन कैसे कैलकुलेट किया जायगा, कैसे दिया जायगा, असेसमेंट रोल किस तरह से तैयार होगा और इसमें आब-जेक्शन्स तथा अपील के प्राविजन रखे गये हैं और चौथे चैप्टर में यह रखा गया है कि किस तरह से इस लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन और सेटिलमेंट होगा।

श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं दरख्वास्त करूंगा कि वह हिन्दी में ही बोलें।

श्री हुकुमसिंह विसेन---हिन्दी में तो बोल ही रहे हैं।

श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)---इसमें बहुत से अंग्रेजी शब्द हैं।

श्री अध्यक्ष---भाषण में अंग्रेजी शब्द आ जायं तो उनका अनुवाद भी कर दीजिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैं नहीं समझता था कि लोग अंग्रेजी के लफ्ज भी नहीं समझते हैं। हमने यहां यह भी रखा है कि कुछ हिस्सा लोगों को नकद में दिया जाय और कुछ बान्ड्स में दिया जाय। जमींदारी एबालीशन में हमने २ परसेंट का सूद रखा था इसमें साढ़े तीन परसेंट का सूद रखा है। इसमें यह भी रखा गया है कि कौन-कौन सी होल्डिंग्स धारा १३ में सीलिंग से मुस्तसना होंगी। मिकेनाइज्ड फार्मों को भी मुस्तसना नहीं किया है। इसके खंड १३ में एक फेहरिस्त दी हुई है और १४ में दी हुई है जिसमें कौन-कौन सी होल्डिंग्स मुस्तसना होंगी इसकी तफसील दी है।

इस सम्बन्ध में कोई लम्बी चौड़ी तकरीर करना नहीं चाहता हूं। विधेयक सदन के सामने है और यह निश्चय हुआ है कि चार रोज तक विधेयक पर विवाद होगा और उसके बाद.....

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मैं एक वैधानिक प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। मंत्री जी कह रहे हैं कि इस विधेयक पर चार रोज तक विवाद होना निश्चित हुआ है तो, श्रीमन्, न तो किसी परामर्शदात्री समिति का प्रस्ताव आया और न आपने ही कोई सूचना दी। फिर कैसे यह निश्चय हो गया क्योंकि सदन ही निश्चय करने वाला है।

श्री अध्यक्ष---वह अपना निश्चय बता रहे हैं।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय उपनेता को कोई आपत्ति न हो तो मैं अर्ज कर दूं। इस सिलसिले में शुरू में गवर्नमेंट का खयाल था कि इस पर विवाद के लिये तीन दिन काफी होंगे। लेकिन कुछ बातचीत के बाद चार दिन की बात हुई। उसके बाद नेता सदन से कुछ बातें हुई हैं, लेकिन चूंकि उनके लिये यह सम्भव नहीं था, जब सदन बैठा हुआ है कि उपनेता सदन से मशविरा कर सकें, इसलिये उन्होंने कहा है कि चार दिन से बढ़ा कर कितना समय बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिये इसका निर्णय आज शाम को करेंगे। चार दिन की बात अभी निश्चित नहीं है।

श्री अध्यक्ष---जब तक सदन में राय न ले ली गयी हो तब तक सदन की तरफ से निश्चय नहीं कहा जायगा। यह प्रस्ताव है, सिर्फ यही कहा जा सकता है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---तो यह प्रस्ताव हमारे सामने था। जब मुझ से दरयाफ्त किया गया तो मैंने कहा कि अगर एक दिन और बढ़ा दिया जाय तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। इस वजह से यह प्रोपोजल की शक्ल में है। आगे क्या निश्चय होगा यह भगवान जाने।

श्री राजनारायण---वह निश्चय आपका था।

श्री अध्यक्ष---आप क्यों टोकते हैं? उनका मतलब यह है कि चार रोज कम से कम विवाद होगा ही। और वह ज्यादा की बाबत बोलना नहीं चाहते हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस वजह से हमने कहा था कि हमारे सदस्यों को काफी मौका मिले। हम ज्यादा वक्त न लें ताकि उनके सुझाव हमको उपलब्ध हों और हमको उनसे फायदा पहुंचे। तमाम डिटेल की बातें हैं। जब विधेयक संयुक्त प्रवर समिति में जायगा तो तमाम डिटेल की बातें होंगी। उस पर कमेटी जो कुछ मुनासिब समझेगी निश्चय करेगा। इसके बाद-यह विधेयक फिर इस सदन में प्रवर समिति की रिपोर्ट के साथ आयेगा। इस विधेयक के सिलसिले में एक रोज हमारे कुछ मित्रों ने कुछ शंका जाहिर की थी। यह कहा कि बहुत सम्भव है कि जो जमींदार तबके के लोग हैं वह इसकी मुखालिफत करेंगे। मैंने उनको समझाया कि जब त्याग की परीक्षा का मौका था जमींदारी अबालिशन के वक्त, तो उस परीक्षा में हमारे तमाम देश के जमींदार बहुत ही अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हुए और इस जमींदारी अबालिशन का स्वागत किया। जब इस सदन में पास हो गया, उसके लागू हो जाने के बाद उनकी जमींदारी निकल जाने के बावजूद भी उनके चेहरों से, कोई रंज नहीं नुमायां होता। वह वैसे ही बश्शाश हैं जैसे पहले थे, मेंटली, फिजिकली, मारली, स्पिरिचअली वैसे ही खुश हैं। मैंने उनसे कहा कि जब इतनी बड़ी उदारता का परिचय उन्होंने दिया है तो यह तो मामूली सी बात है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिये वह ज्यादा परेशान हों। मेरी बात से उनको कुछ इत्मीनान हुआ। मुझे तो हमेशा से इत्मीनान है। हमारे मित्र शुक्ला जी उधर पहुंच गये हैं। जमींदारी अबालिशन के खिलाफ भी बहुत सी लिखा-पढ़ी किया करते थे। वक्तन फवक्तन मुझे भी देखने का सौभाग्य हुआ। उनके लिखने का फल यह हुआ कि जमींदारी खत्म हो गयी। इसी तरह से हमारे लिए यह शकुन हो गया कि उधर वह चले गये। मैं आशा करता हूं कि जो प्रस्ताव मैंने किया है उसको सदन मंजूर करेगा।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं, हालांकि हमारे ऐडवोकेट जनरल साहब भी मौजूद हैं। जब मैंने बिल के पुर:स्थापन का प्रस्ताव किया था कि सदन इस बिल को पुर:स्थापित करने का आदेश दे तो हमारे मित्र अवधेश प्रताप जी ने कुछ आपत्तियां उठाई थीं और यह उठाई थीं कि इस हाउस को अधिकार नहीं है ऐसा कानून बनाने का। उस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ने आदेश दे कर के इस मसले को तय ही कर दिया था कि यह कांस्टीट्यूशन के शिडयूल ७ की लिस्ट (२) के आइटम (१८) में इस राज्य सरकार को ऐसा विधेयक लाने और ऐसा कानून बनाने का अधिकार है। एक और आपत्ति हमारे मित्र ने उठाई थी खंड ५ के उपखंड (२) के सम्बन्ध में जिसमें यह कहा गया है कि १५ अगस्त के बाद जो बैनामे वगैरह हुए हैं या होंगे वे नहीं माने जायेंगे। उस बारे में हमारे मित्र ने कहा था कि यह आर्टिकिल (१९) के सबक्लाज (एफ) के विपरीत पड़ता है, लिहाजा यह अल्ट्रावायरस या अवैध होगा। मैं अपने मित्र की तवज्जह उसी आर्टिकिल १९ के एक्सेप्शन (५) की तरफ दिलाता हूं जिसमें यह अधिकार दिया गया है कि राज्य सरकार ऐसा कानून बना सकती है जिसके जरिये से सब-क्लाज (एफ) के अधिकारों पर रीजनेबिल रेस्ट्रिक्शन या पाबन्दी हो सके तो यह जो खंड ५ का उपखंड (२) बनाया गया है वह उस एक्सेप्शन के अन्तर्गत आता है, इसलिये यह अवैध नहीं हो सकता। इसकी पुष्टि के लिये मैं सदन की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

जमींदारी एबालिशन ऐक्ट जो था उसमें धारा २३ में ट्रांसफर बाई सेल आर गिफ्ट यह वायड माना गया था पहली जुलाई, सन् १९४८ से और वक्फ्स और ट्रस्ट के सम्बन्ध में धारा ७७ में ८ अगस्त, १९४६ से अवैध माना गया था। उसके सम्बन्ध में रिट भी हुए, दावे वगैरह हुए और सुप्रीम कोर्ट तक गये और सारा ऐक्ट जो था वह बिलकुल इन इश्यू था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की फुल बेंच ने उस ऐक्ट को अवैध माना, सारे प्राविजन्स को, एक प्राविजन भी अवैध नहीं माना गया और हाई कोर्ट का जजमेंट १९५१ में इलाहाबाद में छपा हुआ है। उस जजमेंट को १९५२ में सुप्रीम कोर्ट में अपहोल्ड किया गया। उसी को उन्होंने भी माना और इस तरह से मैं अर्ज करता हूं कि वे दफायें जिनमें कि पहले से ट्रांसफर वगैरह रोक दिये गये थे वह सब जायज मानी गईं इसी ग्राउन्ड पर सम्भवतः कि वह रीजनेबिल रेस्ट्रिक्शन है, उचित पाबन्दी है जैसा कि एक्सेप्शन (५) में दिया है आर्टिकिल १९ के तो हमारा यह खंड ५ उपखंड (२) भी उसी एक्सेप्शन में आता है और यह किसी तरह से अवैध न होगा। इन शब्दों के साथ में फिर एक बार सदन में अपने मित्रों से...

श्री त्रिलोकीसिंह---प्रस्ताव तो पढ़ दीजिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन---वह तो मैंने पहले ही पढ़ा शायद आई स्टार्टेड विद बैट। तो इन शब्दों के साथ मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि वह इस प्रस्ताव को मंजूर करे।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)---मैं वैधानिक प्रश्न उपस्थित करता हूं....

श्री अध्यक्ष---आपने उस रोज कहा था कि एडवोकेट जनरल की राय भी मिल जाय तो आप प्रश्न उपस्थित कर दें। वह आये भी हुए हैं।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---श्रीमन्, मुझे आज भी यह कहना है कि यह इस सदन के काम्पीटेंस के बाहर है कि ऐसा कानून बनाया जा सके। मैं इसको स्वीकार करता हूं, आपकी रूलिंग शिरोधार्य है, मैं यह भी तसलीम करता हूं कि लिस्ट में दिये हुए के अनुसार यह स्टेट ऐक्ट बना सकती है लेकिन बावजूद इसके और इस बात को तसलीम करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद १३ (२) के अनुसार उसके पार्ट ३ में जो मौलिक अधिकार दिये गये हैं अगर उन पर कुठाराघात होता है तो यह उस हद तक नाजायज करार दिया जायगा। मैं आपकी आज्ञा से, श्रीमन्, यह १३ (२) पढ़ना चाहता हूं :

"13(2) The State shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of the contravention, be void."

अब मैं इस कथन की पुष्टि में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी पढ़ना चाहता हूं जो उन्होंने १३(२) के केस में दी है। यह आल इंडिया रिपोर्टर, सन् १९५५, वो सुप्रीम कोर्ट के पेज १२३ पर दी हुई है।

"Article 13(2) of the Constitution is a clear and unequivocal mandate of the fundamental law prohibiting the State from making any laws which come into conflict with part III of the Constitution. The authority thus conferred by Articles 245 and 246 to make laws subject-wise in the different legislatures is qualified by the declaration made in Article 13 (2). That power can only be exercised subject to the prohibition contained in Article 13 (2).

(Behram Khurshed Pesikaka *v.* The State of Bombay (1955) 1 S. C. R. 613 ; A. I R. 1955 S. C. 123 : (1955) S. C. J. 73 : (1955) S C. A. 1)".

मैंने यह पढ़ कर सुनाया और एडवोकेट जनरल साहब इसको मंगा सकते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अब मुझे यह कहना है अगर किसी तरह से १३ (२) एब्रोगेट नहीं होता है यानी उसके अन्दर जो फंडामेंटल राइट्स दिये गये हैं उनका ब्रीच नहीं होता है तो उस लिस्ट में दिये हुए के अनुसार कोई स्टेट ऐक्ट बना सकती है लेकिन अगर उन फंडामेंटल राइट्स का एब्रोगेट कोई करता है तो कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा कानून नहीं बना सकता है। अब इसके बाद मेरी जिम्मेदारी यह आती है कि आप के सामने यह रखूं कि किस तरह से हमारे फंडामेंटल राइट्स एब्रोगेट होते हैं या उनके ऊपर असर पड़ता है। मैं इसके सपोर्ट में १९ (फ) को भी पढ़ देना चाहता हूं कि १३(२) के अनुसार किस तरह से हमारे अधिकारों पर आघात होता है। उसके पढ़ने के पहले मैं क्लाज ५ को भी पढ़ देना चाहता हूं जिसमें इसके मुताल्लिक दिया है और जिस पर वह अपना केस बेस करते हैं उसी भूमि पर मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्लाज ५ में यह है:—

"(5) Nothing in sub-clauses (*d*), (e) and (*f*) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevents the State from making any law imposing reasonable restrictions on the exercise of any of the rights conferred by the said sub-clauses either in the interests of the general public or for the protection of the interests of any Scheduled Tribe".

फंडामेंटल राइट्स पर कोई प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है लेकिन वह प्रतिबन्ध उचित होना चाहिये और जनहित में होना चाहिये, यह शेड्यूल्ड ट्राइब के हित में होना चाहिये। मतलब यह कि हर तरह का प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता। प्रतिबन्ध की शर्त यह है कि वह उचित हो, जनहित में हो और शेड्यूल्ड ट्राइब के इंटरेस्ट में हो। मैं इसी पर अपना केस बेस करता हूं।

अब मैं इस विधेयक के क्लाज ५ (२) पर आता हूं। वह इस प्रकार है :—

"(2) In determining the applicable ceiling area of a person at the commencement of the Act any transfer or partition of land, which but for the transfer or partition would have been declared surplus land under the provisions of this Act, made after the fifteenth day of August, 1959, shall be ignored and not taken into account."

मैं इसको फिर चैलेंज कर रहा हूं इस बुनियाद पर कि यहां जमींदारी एबालिशन ऐक्ट के मुताबिक यह तय है कि उसकी दफा १५४ के अन्दर सीरदार को कोई हक नहीं है कि वह जमीन ट्रांसफर कर सके। केवल भूमिधर को यह अधिकार दिया गया है और वह भी तभी दे सकता है जबकि जिसको जमीन दी जानी है। उसके पास साढ़े १२ एकड़ से जमीन कम हो। अगर उसके पास ज्यादा जमीन है तो वह जमीन नहीं दी जा सकती। मैं इस सिलसिले में यह कहना चाहता हूं कि जहां तक यह विधेयक है इसमें ४० एकड़ तक कोई आपत्ति नहीं मानी गयी और अगर परिवार बड़ा है तो ६८ एकड़ तक हो सकती है। तो इसमें जनहित का कोई प्रश्न नहीं उठता।

स्टेटमेन्ट आफ आब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स के सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं . . . .

श्री अध्यक्ष—उसके खिलाफ कैसे पड़ता है यह आपने बताया ही नहीं। जो आपके रेलेवेंट प्वाइंट्स हों उनको आप लीजिये।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—मैं उन्हीं के अस्त्र से उनके सामने आना चाहता था। आप चाहते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि जब हम साढ़े १२ एकड़ से ज्यादा वाले को ट्रान्सफर नहीं कर सकते हैं तो उस हालत में जनहित का प्रश्न नहीं पैदा होता। अगर हम ट्रान्सफर करते हैं तो हम भूमिहीन खेतिहर को कर सकते हैं या अनएकोनामिक यूनिट वाले को, जिसके पास ३ १/८, जैसा इस विधेयक में दिया हुआ है, है, उसको कर सकते हैं। लेकिन इसमें जनहित का प्रश्न नहीं पैदा होता। अगर उनको मजाज दिया जाता है कि वे अपनी जमीन ट्रान्सफर कर सकते हैं तो यह जो साढ़े ९ करोड़ मुआवजा दिया जाने वाला है या साढ़े १४ करोड़ रुपया सर्फ

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

करने वाले हैं, हो सकता है कि यह सब उसके पास पहुंचे जिसके पास अनइकनामिक यूनिट है। लिहाजा यह ट्रांसफर जनहित में नहीं है, मैं इस प्वाइंट पर कहना चाहता था।

श्री अध्यक्ष--आपका प्वाइंट यह है कि अगर यह ट्रांसफर करने की रुकावट हटा दी जाय और सीलिंग तो कायम रहे, लेकिन ट्रांसफर करने का अधिकार बना रहे तो अनरीज़नेबिल नहीं होगा और अगर सीलिंग के साथ ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं देंगे और साढ़े बारह एकड़ जिसके पास जमीन नहीं है ऐसे किसान के हित में भी ट्रांसफर का अधिकर न देंगे, तो ऐसा कानून अनरीज़नेबिल होगा।

श्री अवधेशप्रतापसिंह--आपने तो बहुत हुंशियारी से रखा, लेकिन मुझे और भी कुछ कहना है। मेरा कहना यह है कि यह सीलिंग बिल उस वक्त ऐक्ट होगा जबकि गवर्नर की असेंट इस पर मिलेगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई रेस्ट्रिक्शन इंटेरिम पीरियड में नहीं होना चाहिये, क्योंकि किसी भी हालत में वह इन दि इंटेरेस्ट आफ जनरल पब्लिक नहीं हो सकता है। यह प्रश्न उठता ही नहीं कि ४० एकड़ वाले को और ज्यादा जमीन दी जाय तो बाद की सीलिंग में घपला हो सके या उससे छीनने की जरूरत पेश आये। मैं सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पेश करना चाहता हूं कि रीज़नेबिलटी का कोई टेस्ट ही नहीं है। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में, दुनिया की सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी "इन दि इंटेरेस्ट आफ जनरल पब्लिक" का कोई मयार नहीं है। तो मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब तक आप इसकी मैरिट में नहीं जाइयेगा, उसकी रीजनेबिलिटी का पता नहीं चलेगा और न यह पता चलेगा कि यह इन दि इंटेरेस्ट आफ जनरल पब्लिक है या नहीं।

मैं कोई वकील नहीं हूं। ऐडवोकेट जनरल साहब बैठे हुए हैं। मुझे दूसरी चीज़ यह रखनी है कि यह इपसो फैक्टो जब जनहित में नहीं है तो अमेरिकन जुडीशियल डाक्ट्रिन के मुताबिक बावजूद इसके कि वह जनहित में हो, आप कोई रेस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं लगा सकते हैं जो कि आर्बिट्रेरी हो या अगेन्स्ट ईक्विटी या नेचुरल जस्टिस हो। तो यह कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक दम से घोट करके पी सकें। आज नहीं, सौ साल तक भी यह मसला तय नहीं हो सकता है। अब मैं आता हूं होल्डिंग की डेफिनीशन जहां इस बिल में दी गयी है।

श्री अध्यक्ष--मैं यह जानना चाहता हूं कि आप वैधानिक बात स्पष्ट नहीं कर पाये। आपने सिर्फ यह कहा कि खंड ५ में रुकावट यह है कि १५ अगस्त के बाद कोई ट्रांसफर न करे और १५ तारीख के पहले की ट्रांसफर की अवधि वैध मानी गयी है, तो यह रेस्ट्रिक्शन आप समझते हैं कि यह अनरीजनेबिल है, इसलिये ऐसी रुकावट वैध नहीं हो सकती, यही तो कहा है, यही प्वाइंट स्पष्ट किया है?

श्री अवधेशप्रतापसिंह--अनरीजनेबिल भी है और इन दि इंटेरेस्ट आफ दि पब्लिक भी नहीं है, दोनों चीजें साथ आती हैं, दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिये।

श्री त्रिलोकीसिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय सदस्य से जिन्होंने वैधानिक प्रश्न उठाया है यह जानना चाहूंगा कि धारा ५ की उपधारा (२) के अन्तर्गत हस्तान्तरण करने की मुमानियत नहीं है, सिर्फ व्यक्तिगत उपेक्षा की जायगी यानी जब हिसाब लगाया जायगा जोत की सीमा नियत करने का तब उसका विचार नहीं किया जायगा। एक व्यक्ति आज भी बेच सकता है, जितनी चाहे और जिसको चाहे, इसलिये मेरे खयाल में अगर माननीय सदस्य उसको गौर से पढ़ें तो उनको मालूम होगा कि ट्रान्सफर करने में रेस्ट्रिक्शन इस धारा के अन्तर्गत नहीं है, केवल इस तरह से पृथक् की हुई जो भूमि होगी उसका शुमार नहीं रखा जायगा। मिसाल के तौर पर अर्ज करूं, मेरे पास १०० एकड़ जमीन है उसमें से मैंने ६० एकड़ बेच दी और बेचनामा १५ अगस्त के बाद हुआ तो वह बची हुई ४० एकड़ भूमि भी चली जायगी। तो हस्तान्तरण में रुकावट

नहीं लायी गयी है। मैं, मान्यवर, आपके द्वारा माननीय सदस्यसे जानना चाहूंगा कि कौन सी शब्दावली से वह यह अर्थ निकालते हैं कि जितने ट्रान्सफर्स होंगे वह (वायड) नाजायज करार दिये जायंगे। कोई ट्रांसफर वायड करार देने की बात नहीं है केवल उन्हें कन्सीडर नहीं किया जायगा, इन कम्प्यूटिंग दि एरिया आफ दि होल्डिंग। हिन्दी के शब्द हैं, अगर मैं ठीक समझता हूं कि उपेक्षा की जायगी, यानी कन्सीडरेशन में नहीं लाये जायेंगे। इसलिये अगर यह बात भी साफ हो जाय तो मैं समझता हूं कि अन्य लोगों को भी उनके एतराज को समझने में आसानी होगी।

*श्री अवधेशप्रतापसिंह---श्रीमन्, माननीय नेता विरोधी दल की तरफसे इस तरह का सवाल का उठना मेरे लिये आश्चर्य पैदा करता है। यह बड़े ताज्जुब की बात है कि वह यह कहना चाहते हैं "शैल बी इगनोर्ड ऐंड नाट टेकिन इन्टू एकाउन्ट" अगर कोई ट्रान्सफर, ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट के अनुसार होता है और अगर वह एकाउन्ट में नहीं लिया जाता है तो उसके माने क्या हुए, यह तो ऐसे ही है कि चाहे नाक इधर से पकड़ी या घूमकर पकड़ ली। बेसिस जो है वह यह कि ट्रांसफर इज वायड। अब उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस बतलाना चाहता हूं कि वायड एक चीज है और वायडेबिल दूसरी चीज है, मैं यह नहीं कहता कि वायडेबिल है, बल्कि वायड है। इसमें भी अन्तर है। उनको समझना चाहिये कि यह पोजीशन है कि ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट के मातहत जो प्रापर्टी ट्रान्सफर होगी वह एकाउन्ट में नहीं ली जायगी बल्कि यह कि जिसने खरीदी उसमें बेदखल होकर उसमें कोआपरेटिव फार्मिंग होगी, इसलिये उन्होंने जो कहा मैं नहीं समझता कि उसमें कोई प्वाइंट है। मिसाल के लिये आप समझ लीजिये कि मैंने एक प्रापर्टी बेंची और बी ने उसे खरीदा और वह प्रापर्टी अगर सरप्लस एरिया में मानी जाती है .....

श्री अध्यक्ष---आपके पास ८० एकड़ जमीन है उसमें से ४० एकड़ आपने बेच दिया तो उसका विचार नहीं किया जायगा, लेकिन जो ४० एकड़ आपके पास बची रहेगी उसको गवर्नमेन्ट ले लेगी और उसे दूसरे को दे देगी, यह शायद उनका मत है। यानी ४० एकड़ तो आपकी बिक ही गयी और वह हिसाब में नहीं ली गयी, इसलिये ८० एकड़ आपकी जो पहले थी उस में सिर्फ ४० एकड़ ही जो बच गयी, उस ४० एकड़ को गवर्नमेंट ले लेगी और आप खाली रह जायंगे। आपका प्रश्न यह है कि क्या यही इस धारा का परिणाम होगा ? अब आप कृपा करके बैठें।

अब मैं एडवोकेट जनरल साहब को कष्ट दूंगा उन्होंने यह प्रश्न तो सुन ही लिया है, वह अब अपनी कीमती राय सदन को दें।

श्री कन्हैयालाल मिश्र (एडवोकेट जनरल)---अध्यक्ष महोदय, इस सदन में संविधान के द्वारा मुझे समय समय पर कुछ न कुछ कहने का अधिकार दिया गया है और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब कोई ऐसा अवसर होता है कि जब सदन के सदस्यों के हृदय में यह बात आती है कि मैं आकर किसी बात पर अपनी सम्मति दूं। मैंने जब सुना कि इस विधेयक के सम्बन्ध में यह प्रश्न उठा है कि वह संविधान के अनुकूल है या नहीं और उसमें मेरी सम्मति की आवश्यकता है तो मुझको बड़ी प्रसन्नता हुई। परन्तु जब यह मालूम हुआ कि इस प्रश्न को श्री अवधेश प्रताप जी ने उठाया है तो उसी वक्त मेरे विचार में यह आया कि कोई भी व्यक्ति जमींदार जो रहा हो और उसने जमींदारी उन्मूलन विधि की जो लड़ाई हमारे उच्चतम न्यायालय में हुई उसमें भाग लिया हो वह इस प्रश्न को कभी भी नहीं उठायेगा कि यह विधेयक राज्य के विधान मंडल के अधिकार में नहीं है। मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने इस प्रश्न को नहीं उठाया।

प्रश्न जो उन्होंने उठाया है वह यह है कि संविधान में जो मूल अधिकार दिये गये हैं उनके विरुद्ध इस विधेयक में ऐसी बातें हैं जिनसे कि यह अवैधानिक हो सकता है। संविधान में २ ही अनुच्छेद हैं जिनके आधार पर प्रश्न उठ सकता था। एक तो अनुच्छेद १९ है और दूसरा अनुच्छेद ३१। सम्भवतः अनुच्छेद ३१ का प्रश्न न्यायालय में उठाया जाय, लेकिन उसके बारे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कन्हैयालाल मिश्र]

में में आज इसलिये नहीं कहना चाहता क्योंकि आज यह प्रश्न उठाया नहीं गया। प्रश्न जो अवधेश प्रताप जी ने उठाया है वह केवल अनुच्छेद १९ का है। संविधान के अनुच्छेद १९ में लिखा हुआ है :

"१९ (१) सब नागरिकों को—

(च) सम्पत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन का, तथा

(छ) कोई वृत्ति उपजीविका, व्यापार या कारबार करने का अधिकार होगा।"

प्रश्न आपके सामने केवल यह उठा है कि इस मूल अधिकार को जो संविधान के अनुच्छेद १९ के द्वारा दिया गया है किसी प्रकार का आघात इस विधेयक से पहुंचता है अथवा नहीं। उनको अनुच्छेद १३ पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी और हमारे उच्चतम न्यायालय के किसी घोषणा को इस सदन में पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं थी। अनुच्छेद १३ के केवल अर्थ यह हैं कि जो मूल सिद्धांत भाग ३ में संविधान के दिये गये हैं उनसे यदि किसी भी विधि का संघर्ष होता है तो विधि शून्य मानी जायगी। वह तो सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, ने एक बार नहीं सैकड़ों बार कहा है और उसमें घोषणा में जो पढ़ी गयी है कोई विशेष बात नहीं है जिसका कोई प्रभाव आज के वादविवाद पर पड़ सके। प्रश्न तो केवल इतना है कि अनुच्छेद १९ के विरुद्ध किसी प्रकार से इस विधेयक की कोई धारा है अथवा नहीं ? विधेयक की धारा ५ में, जिसको उन्होंने पढ़ा है, लिखा हुआ है कि—

"५ (२) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर किसी व्यक्ति के उपयोज्य अधिकतम क्षेत्र का अवधारण करने में १५ अगस्त, १९५९ ई० के बाद किये गये ऐसी भूमि के हस्तान्तरण या विभाजन की जो उस हस्तान्तरण या विभाजन के अभाव में इस अधिनियम के अधीन अतिरिक्त भूमि घोषित की जाती, उपेक्षा की जायगी और उस पर विचार नहीं किया जायगा।"

मैं इसको मानता हूं कि इस धारा का यह प्रभाव अवश्य पड़ेगा कि यदि किसी के पास ४० एकड़ या जो भी आपने अधिकतम सीमा नियत की उसके अतिरिक्त भूमि होगी उस अतिरिक्त भूमि पर उसका अधिकार या किसी का अधिकार किसी स्थानान्तरण या विभाजन के द्वारा नहीं हो सकेगा, यदि वह स्थानान्तरण अथवा विभाजन १५ अगस्त, १९५९, के बाद हुआ है और वह भूमि अवश्य इस विधेयक के अनुसार अतिरिक्त भूमि हो जायगी। परन्तु बात तो सत्य यह है कि उन्होंने विधि का प्रश्न नहीं उठाया है, केवल नीति का उठाया है। इस विधेयक के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह है कि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिये भूमि की व्यवस्था की जायगी, जिस समय जमींदारी उन्मूलन कानून उच्चतम न्यायालय में देखा जा रहा था उस समय भी जमींदारों की तरफ से यह कहा गया था कि जो कुछ इस विधि ने किया है यदि आपने जमींदारों पर ही छोड़ दिया होता तो वे उसको स्वयं ही कर लेते और जितने अधिक से अधिक अधिकार आप लोगों को देना चाहते थे वे विधि से दे सकते थे, जमींदारी उन्मूलन की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह भी कहा गया था कि यदि आपने जमींदारों पर विश्वास किया होता तो जो अधिकार लोगों को मिले हैं वे जमींदारों के द्वारा भी मिल गये होते। ठीक इसी प्रकार की बहस हुई थी और उस समय भी राज्य के उच्च न्यायालय, प्रयाग और उच्चतम न्यायालय, दिल्ली दोनों स्थानों में यह बात कही गयी थी कि बिना जमींदारी उन्मूलन के ही यह चीज हो सकती थी जमींदारों पर छोड़ने से भी हो सकती थी। इस आधार पर बहस यह की थी की जमींदारी उन्मूलन विधि में ठीक वैसी ही बातें आज भी कही जा रही हैं किसी प्रकार से भी सार्वजनिक प्रयोजन नहीं है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि इस विधेयक के उद्देश्यों में यह लिखा है कि आप भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को जमीन देने की व्यवस्था करेंगे। किसी न किसी से आप भूमि लेंगे ही। तभी जो भूमि की व्यवस्था हो सकेगी अगर इस विधेयक का केवल यही उद्देश्य होता कि किसी व्यक्ति के पास ४० एकड़ भूमि से अधिक न रहे तो संभवतः अधिकतम सीमा निर्धारित करने के अतिरिक्त

और किसी बात की आवश्यकता न रहती। परन्तु इसके उद्देश्यों में तो यह लिखा हुआ है कि भूमिहीन खेतिहरों के लिये जमीन की व्यवस्था की जायगी। जैसा कि अवधेश प्रताप सिंह जी ने कहा, उनके ऊपर छोड़ देने पर स्थानान्तरण द्वारा सब लोग अपनी अपनी भूमि को ४० एकड़ के बराबर कर लेते और यह कि आपके अधिकार में, सदन के अधिकार में, राज्य सरकार के अधिकार में, यह बात नहीं रह जाती कि जो अतिरिक्त भूमि हो उसकी व्यवस्था वे अपनी नीति के अनुसार कर सकें परन्तु जमींदार लोग ही अपनी नीति के अनुसार उसकी व्यवस्था करते। उस हालत में धारा ५ में जो प्रतिबन्ध लगाया गया है उसकी आवश्यकता न रहती। लेकिन अगर आप उस भूमि की व्यवस्था अपनी नीति के अनुसार करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाया जाय और वह प्रतिबन्ध संविधान की अनुच्छेद १९ के अनुकूल प्रतिबन्ध होगा। जैसा कि आपने स्वयं ही कहा कि जो अनुच्छेद १९ में लिखा भी हुआ है कि आपका प्रतिबन्ध वह जनता के हित में और युक्त-युक्त निर्बन्ध हो सकता है या नहीं अदालतों में इस प्रकार का प्रश्न उठ जाया करता है। लेकिन जब जब इस प्रकार का प्रश्न उठा है, हमारे उच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय में भी जजों ने इसी बात को माना है कि इस बात का निर्णय कि कोई विधि सार्वजनिक हित में है या नहीं, इसमें विधान मंडल की राय, यदि उन्होंने किसी सीमा का उलंघन न किया हो, मान लेना चाहिये। अतः न्यायालय से कहीं अधिक आप इसका निश्चय ले सकते हैं। यदि आपका निश्चय होगा और किसी भी धारा में यदि कोई बात दी हुई हो कि वह सार्वजनिक हित में है या नहीं, तो न्यायालय इस बात को कहने में सर्वदा हिचकेगा कि आपका निश्चय ठीक नहीं है। जमींदारी उन्मूलन के समय बार बार यह प्रश्न इलाहाबाद और दिल्ली के न्यायालय में उठा था कि वह विधि सार्वजनिक हित में है अथवा नहीं। माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी के ध्यान में भी यह बात होगी, जैसा कि उन्होंने यू०एस० के कुछ उच्चतम न्यायालयों का जिक्र किया, वहां भी ऐसे प्रश्न बार बार आये हैं। वहां भी न्यायालय ने यही कहा है कि विधान मंडल को, जहां जनता के प्रतिनिधि चुन कर आये हों, इस बात को समझने की शक्ति कहीं अधिक है किसी भी हाईकोर्ट, किसी उच्चतम न्यायालय के जज जो जनता से विलग रहा करते हैं और इसलिये क्या सार्वजनिक हित में है और क्या नहीं है, इसका निर्णय आप ही अच्छी तरह से कर सकते हैं और आपके निर्णय की इज्जत सर्वदा अदालतों में होती है, उसे कोई हटाने का प्रयत्न नहीं करता है। इसीलिये मैं कह रहा हूं कि आपने जो प्रश्न उठाया है वह कानून का प्रश्न नहीं है, नीति का प्रश्न है। यदि आप समझते हैं कि प्रत्येक आदमी जिसके पास भूमि है उसके ऊपर उसका वितरण छोड़ दिया जाय तभी आपके इस विधेयक का जो उद्देश्य भूमिहीन खेतिहरों और मजदूरों को भूमि देना, उसकी सुरक्षा अधिक होगी और अगर आप समझते हैं कि अपना हाथ काट कर आप उनको ही अधिकार दे दें और यह नीति आपको पसन्द आती है तो शायद न्यायालय भी उसको मान लेंगे। परन्तु आपको स्वयं समझना चाहिये कि आपने इस विधेयक के अध्याय ४ में अतिरिक्त भूमि के निस्तारण और बन्दोबस्त के लिये बहुत सी धारायें रखी हैं। धारा २५ (३) में आपने कहा है "किसी ऐसे गांव में जहां सामुदायिक प्रयोजनों के लिये कोई भूमि न हो या ऐसे प्रयोजनों के लिये १५ एकड़ से कम भूमि हो, धारा ११ के अधीन अर्जित अतिरिक्त भूमि का १५ एकड़ तक बन्दोबस्त सम्बद्ध गांव समाज के साथ पेड़ लगान या चारा उत्पन्न करने के प्रयोजनों के लिये या ऐसे अन्य सामुदायिक प्रयोजनों के लिये, जो नियत किये जायं, किया जायगा, किन्तु यह इस प्रकार किया जायगा कि इस प्रकार "बंदोबस्त की गई भूमि गांव" में सामुदायिक प्रयोजनों की अन्य भूमि को मिला कर १५ एकड़ से अधिक न हो।

(४) उपधारा (२) और (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए धारा ११ के अधीन अर्जित किसी अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त —

(क) यदि किसी गांव में १५ एकड़ से अधिक भूमि हो तो भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की निबन्धित (रजिस्ट्रीकृत) सहकारी कृषि-समिति के साथ, और

(ख) यदि किसी गांव में १५ एकड़ से कम भूमि हो तो अलाभकर खातेदारों की निबन्धित (रजिस्ट्रीकृत) सहकारी कृषि समिति के साथ किया जा सकता है।

[श्री कन्हैयालाल मिश्र]

आप की जो नीति है जैसा कि आप ने प्रारम्भ में ही कहा है, उसको आपने अध्याय ४ में पूर्ण करने, सफल करने का प्रयत्न किया है। प्रश्न केवल इतना है कि यह सदन यह देखे कि अध्याय ४ के अनुसार उस उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है या प्रत्येक जमींदार या प्रत्येक भूमि वालों पर छोड़ देने से उसकी पूर्ति हो सकती है। मेरी समझ में तो संसार के किसी भी देश में यह नहीं हुआ है कि जहां सार्वजनिक हित का कोई प्रश्न हो उसे किसी सदन के अतिरिक्त, समाज या व्यक्तियों पर छोड़ दिया गया हो। संसार में ऐसा कोई सदन नहीं हो सकता जिसने ऐसा किया हो और मेरी समझ में माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी भी स्वयं नहीं सोच सकते हैं कि इस नीति की पूर्ति का भार जमींदारों पर छोड़ दिया जाय। सार्वजनिक हित की रक्षा सदन ही अधिक कर सकता है। इसलिये आप जो व्यवस्था कर रहे हैं और प्रतिबन्ध लगा रहे हैं संविधान के अनुच्छेद १९ के अनुसार अवैधानिक नहीं होगा। मेरी राय में आपको इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिये।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)--श्रीमन्, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--जी नहीं, आप कृपया बैठें।

श्री त्रिलोकी सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं अनुग्रहीत हूंगा एडवोकेट जनरल महोदय का यदि जो प्रश्न मैंने उपस्थित किया था, उस पर भी राय दे दें। अगर इसी शब्दावली के साथ यह विधेयक पारित किया जाय तो मेरी शंका कायम रहती है यानी भूमिधरों को हक है कि अपनी होल्डिंग्स ट्रांसफर कर सकें, वह इस कानून से नाजायज नहीं होंगे। इसकी शब्दावली को आपकी इजाजत से मैं अंग्रेजी में पढ़ दूं...

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं आप एडवोकेट जनरल साहब को किसी एक क्लाज का इन्टरप्रिटेशन करने के लिये बाध्य कर रहे हैं...

श्री त्रिलोकीसिंह--जी नहीं, मैं तो केवल उनकी राय जानना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष--वह ठीक है, लेकिन जिस समय उस क्लाज का जिक्र आये तो उसे आप दुरुस्त करा लें, बहुत से लोग अंग्रेजी जानते हैं और बहुत से सही राय दे भी सकते हैं।

श्री त्रिलोकीसिंह--अगर एडवोकेट जनरल साहब राय देने को तैयार हों और आप की इजाजत हो तो...

श्री अध्यक्ष--आप जरा स्पष्ट करें कि किस विशिष्ट बात पर कानूनी राय आप जानना चाहते हैं।

श्री त्रिलोकीसिंह--मुझे, श्रीमन्, यह अर्ज करना है कि धारा ५ की उपधारा (२) के अनुसार यदि कोई हस्तांतरण १५ अगस्त, सन् १९५९, के बाद भी किया जायगा तो उस खातेदार की जो अधिकतम जोत की सीमा है उस को नियत करने में उस क्षेत्र को शुमार नहीं किया जायगा, वह उसका हस्तांतरण कर सकता है। इस प्रकार की कोई रोक इस धारा के अनुसार नहीं लगायी गयी। अब मैं आप की आज्ञा से धारा ५ की उपधारा (२) पढ़े देता हूं और मेरा खयाल है कि इस विधेयक का बड़ा ध्येय, यानी फालतू लैंडलेस लेबर के पास जाय, या जिनके पास जमीन नहीं है उन को मिले या अन्य सामुदायिक कार्यों के लिये रखी जाय, खप्त हो जायगा। लेकिन जिनके पास १००-२००-३०० एकड़ भूमि है तो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर किसी व्यक्ति के प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र का अवधारण करने में १५ अगस्त, १९५९ ई०, के बाद किये गये ऐसी भूमि के हस्तांतरण या विभाजन की, जो उस हस्तांतरण या विभाजन के अभाव में इस अधिनियम के अधीन अतिरिक्त भूमि घोषित की जाती, उपेक्षा की जायगी और उस पर विचार नहीं किया जायगा। इस का बड़ी

खूबसूरती के साथ अनुवाद अंग्रेजी में किया गया है कि "शेल बी इगनोर्ड", इसके माने यह नहीं हैं कि वायड हो जायगा। मैं इस सम्बन्ध में एक मिसाल और दूं कि फर्ज कीजिये कि किसी के पास २७ एकड़ जमीन है और उसन ५-५ एकड़ कर के बेचना शुरू की तो उसके बैनामे जायज होंगे । या फर्ज कीजिये कि २०० एकड़ जमीन है, उसमें से १६० एकड़ बेंच दी और ४० एकड़ रह गयी तो १६० एकड़ का ट्रान्सफर जायज होगा। हालांकि चालीस एकड़ सरकार ले लेगी। सवाल केवल यह होगा कि ४० एकड़ से भी वह हाथ धोयेगा। ऐसी दशा में जो मकसद है, सामुदायिक योजना के लिये और भूमिहीनों को जमीन देने के लिये वह पूरा कैसे होगा ? मैं निवेदन करूंगा कि इस धारा से जो इस ऐक्ट का परपज है वह खफ्त हो जाता है। अगर इसी धारा में. .//

श्री अध्यक्ष—अब आप ने स्पष्ट कर दिया . . .

श्री त्रिलोकीसिंह—जी हां, अगर एडवोकेट जनरल साहब मेहरबानी कर के राय दे सकें तो मैं बड़ा आभारी होऊंगा।

श्री अध्यक्ष—(एडवोकेट जनरल से) आपको फिर तकलीफ दी जा रही है।

श्री कन्हैयालाल मिश्र—श्रीमन्, मैं उसे सहर्ष स्वीकार कर रहा हूं। माननीय त्रिलोकीसिंह जी का यह कहना सही है कि धारा ५ में यह नहीं लिखा है कि १५ अगस्त, १९५९, के बाद जो विभाजन किया जायगा तो शून्य हो जायगा। "शून्य" संविधान का शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं। वह शून्य करार नहीं दिया गया है। अगर किसी के पास ८० एकड़ जमीन है, उस ८० एकड़ जमीन को वह कुल का कुल किसी दूसरे को दे देता है तो उसकी ८० एकड़ भूमि कुल की कुल चली जाएगी। इसमें जरा भी संशय नहीं है और इस धारा का यह प्रभाव नहीं होगा कि वह व्यक्ति यह कह सके कि मैंने इस धारा के विरुद्ध स्थानान्तरण किया था और इसलिये मैंने जो कुछ किया था वह मेरे पास वापस किया जाए। वह ८० एकड़ चली अवश्य जाएगी, परन्तु इस धारा का प्रयोजन केवल यह है कि किसी के पास ८० एकड़ भूमि हो और उसने उसमें से ४० एकड़ दूसरे को दे दी, इसलिये दे दी कि उसके पास भी ४० एकड़ रहे, दूसरे के पास भी ४० एकड़ हो जाय और दोनों में से किसी की भूमि इस विधि के अनुसार नहीं ली जाय। यदि उसने ऐसा कर दिया और उसको १५ अगस्त, १९५९, के बाद किया तो उस के शब्द यह हैं कि "ऐसी भूमि के हस्तान्तरण या विभाजन की, जो उस हस्तान्तरण या विभाजन के अभाव में इस अधिनियम के अधीन अतिरिक्त भूमि घोषित की जाती, उपेक्षा की जायगी और उस पर विचार नहीं किया जायगा।" धारा ३ को देखिए। धारा ३ (ट) में अतिरिक्त भूमि की परिभाषा दी गयी है कि "अतिरिक्त भूमि का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो किसी व्यक्ति के पास प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र के अतिरिक्त हो"। जब प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र ४० एकड़ आपने इस विधेयक में रखा है तो उसके अतिरिक्त जो भूमि होगी वह परिभाषा के अनुसार अतिरिक्त भूमि होगी। अब वह अतिरिक्त भूमि हो जायगी। अब आप धारा ५ को देखें। इसमें यह है "इस अधिनियम के प्रवर्त्तन के दिनांक से कोई व्यक्ति किसी जोत में इस अधिनियम द्वारा की गई अन्य व्यवस्था से अन्यथा प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक क्षेत्र अपने पास रखने का हकदार न होगा" अगर आप ने अधिकतम क्षेत्र ४० एकड़ रखा है तो जिस दिन इस अधिनियम का प्रवर्त्तन हो जाता है उस दिन आपको ४० एकड़ से अधिक भूमि रखने का अधिकार नहीं है। कोई भी स्थानान्तरण या विभाजन जो १५ अगस्त, १९५९, के बाद किया जायगा, वह अतिरिक्त भूमि की अतिरिक्त भूमि होने से बचा नहीं सकेगा। उसका केवल अर्थ यही है उपधारा (१) में जो यह लिखा गया है कि अधिकतम क्षेत्र से अधिक क्षेत्र आप अपने पास नहीं रख सकेंगे। इसमें किसी प्रकार का हस्तान्तरण या विभाजन जो १५ अगस्त, १९५९ के बाद किया गया है रुकावट नहीं डाल सकेगा और ऐसे स्थानान्तरण अथवा विभाजन पर विचार नहीं किया जाएगा, उसकी उपेक्षा की जाएगी। इसलिये यह तो ठीक है कि इस प्रकार का स्थानान्तरण या विभाजन शून्य नहीं होता है। परन्तु उसके साथ

[श्री कन्हैयालाल मिश्र]

यह भी ठीक है कि जो इस विधेयक का उद्देश्य है उस उद्देश्य में वह हस्तांतरण यह विभाजन रुकावट नहीं डाल सकेगा। और आप यह मान कर कि विभाजन न हुआ हो, स्थानान्तरण न हुआ हो, अधिकतम क्षेत्र को नियत कर सकेंगे, अतिरिक्त भूमि को नियत कर सकेंगे और अतिरिक्त भूमि का प्रबन्ध अध्याय ४ के अनुसार कर सकेंगे।

कार्यक्रम के सम्बन्ध में आपत्ति

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)---नियम १३१ के अधीन मैं आप की आज्ञा से यह आपत्ति करना चाहता हूं कि. .

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---श्रीमन्, इसके सिलसिले में बहस के बारे में मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। परसों विरोधी पक्ष के नेताओं की मीटिंग हुई थी, उसमें एक बात का निवेदन किया गया था और उसको सरकारी पार्टी के चीफ से सूचित कर दिया था कि इस बिल पर बहस लगातार चलाई जाय। आज इस पर बहस शुरू हो जाती है तो कल खाद्य स्थिति पर वाद विवाद के कारण वह ठप्प हो जायगी तो एक ब्रेक हो जायगा। इसलिये हमने आग्रह किया था कि ऐसा प्रबन्ध हो जाय कि इस बिल पर लागातार बहस की जाय तो सब को सुविधा होगी। मैं जानना चाहता हूं कि इस पर क्या हुआ? क्या अब भी इसका कोई प्रबन्ध हो सकता है?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---अभी फोन पर बातचीत हुई थी त्रिलोकी सिंह जी से कि वक्त बढ़ा दिया जाय, लेकिन लगातार बहस हो इसकी इत्तिला किसी क्वार्टर से नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष--- कल तो खाद्य समस्या पर बहस है। आज इसे अगर शुरू करते हैं तो फिर सोमवार को इसे लेंगे।

श्री हुकुमसिंह विसेन---अभी हमारे दिमाग में यही है कि आज हो, फिर उसके बाद ३१,१ और २ को हो यानी ४ दिन जैसा कि हम सोच रहे हैं। अगर उसमें घटा बढ़ी होगी तो दूसरी बात है। यह माना कि आज होगी, फिर गैप हो जायगा उसके बाद।

श्री अध्यक्ष---अभी कुछ तय नहीं हुआ है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---इस विषय में जानकारी है जैसा कि झारखंडेराय जी ने कहा ऐसा निवेदन जरूर भेजा था। उसके बाद जब समय निर्धारित नहीं हो सका तो मुख्य मंत्री जी से टेलीफोन पर बातचीत हुई। पालीवाल जी, त्रिलोकी सिंह जी तथा मैं मौजूद था। उस बातचीत के दौरान में यह हुआ कि वे समय बढ़ाने पर राजी हुए लेकिन यह कह दिया कि समय तब बढ़ायेंगे जब माननीय उपनेता सदन से हम लोग बातचीत कर लेंगे। तो यह तो सुझाव माननीय झारखंडे राय जी का आया है कि लगातार बहस हो और उस दृष्टि से भी कि समय बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा इस पर विचार हो।

श्री अध्यक्ष---कोई निश्चय नहीं हुआ। सदन की कार्यवाही में रोक नहीं सकता। मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता।

राजा वीरेन्द्रशाह---मुझे वैधानिक आपत्ति है। धारा १२१ में यह है कि हमारा जब कोई बिल पेश होता है तो उसके कागजात सरकार को हम लोगों को देने चाहिये।

श्री अध्यक्ष---यह आपत्ति है। कागज आप सरकार से मांग लीजिये तो मिल जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो १५ दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सदन के सम्मुख प्रस्तुत करे।

(इस समय १ बज कर ५४ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुए।)

श्रीमन्, यह सीलिंग का जो बिल आया है, जहां तक सीलिंग के सिद्धान्त का प्रश्न है वहां तक, जनसंघ इससे बिलकुल सहमत है, लेकिन जहां तक सारे बिल का स्वरूप है उसमें जो त्रुटियां हैं उनकी ओर अवश्य मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और इसलिये मेरा यह संशोधन है कि इस बिल को प्रवर समिति को सौंपा जाय।

श्रीमन्, अभी मंत्री जी ने यह कहा कि इस बिल के लाने का उद्देश्य यह है कि जो अधिकतम सीमा निर्धारण के बाद भूमि बचे उस अतिरिक्त भूमि को हम भूमिहीनों को दिलायें। अगर यह भूमि व्यक्तिगत रूप में दी गयी होती तो किसी प्रकार की शिकायत नहीं होती, लेकिन इस बिल के अन्दर यह क्लाज रखा गया है कि बची हुई भूमि उन्हीं को दी जायगी जो कोआपरेटिव सोसाइटी बनेंगी उनके अन्दर लोग आयें। तो प्रश्न पैदा होता है कि इस भूमि से भूमिहीनों को राहत मिलेगी? मेरा मत तो यह है कि कोआपरेटिव सोसाइटी का बंधन लगा देने का अर्थ यह है कि भूमिहीनों को भूमि न मिल कर केवल शब्दों का जाल रचाया गया है और भूमिहीनों की भूमि की इच्छा को तृप्त करने के लिये उन्हें एक शाब्दिक जाल में फंसाया जा रहा है। क्योंकि वह जब कोआपरेटिव सोसायटी का मेम्बर हुआ तो भूमि तो उस कोआपरेटिव सोसायटी के नाम रहेगी, व्यक्तिगत उसके नाम नहीं रहेगी। तो मैं तो यह कहूंगा कि जो सेक्शन मंत्री जी ने इस बिल में रखा है यह सेल्फ डिफ़ीटिंग है। इससे इंडीविजुअल को भूमि नहीं मिलेगी। इससे कांग्रेस के एलेक्शन के नारे की भले ही पूर्ति हो रही हो कि भूमिहीनों को भूमि मिलेगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो व्यक्ति को भूमि मिलनी चाहिये, वह नहीं मिलेगी। इसका नतीजा केवल यही होगा कि आज वह व्यक्तिगत खेत पर मजदूरी करता है भूमिहीन होने के नाते और कल इस विधेयक के पारित होने के बाद वह कोआपरेटिव सोसायटी के खेत पर मजदूरी करेगा भूमिहीन होने के नाते। इसम न तो व्यक्ति को भूमि मिलेगी और क्वान्टम आफ़ डिस्ट्रीब्यूशन आफ प्राफिट भी नहीं रखा गया है। ये सब बातें इसमें गोल कर के रखी गयी हैं। इसलिये एक प्रकार से कोआपरेटिव सोसाइटीज स्वामी बन रही हैं, व्यक्ति नहीं।

यह तो सर्वमान्य है कि इस देश के अन्दर खेती की उपज बढ़ाना जरूरी है और उसके लिये जिनके अन्दर खेती करने की पात्रता है और आज भूमिहीन हैं उनको भूमि मिलनी चाहिये। परन्तु इसके साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि खेती के उत्पादन की वृद्धि तभी होगी जब सघनतम खेती हो। तो क्या इसके साथ साथ सघनतम खेती कराने की भी व्यवस्था कहीं इस विधेयक में है या केवल सीलिंग मात्र और डिस्ट्रीब्यूशन मात्र से ही हमारे देश की खाद्य समस्या हल होगी? भूमि की समस्या एकांगी समस्या नहीं है। यह तो कंप्लीट समस्या है और इसी दृष्टि से इस पर विचार करना चाहिये जिसके अन्दर रिडिस्ट्रीब्यूशन भी होता, सघनतम खेती का प्रयास भी होता और यह भी तय हो जाता कि व्यक्तिगत आधार पर खेती होगी या कोआपरेटिव फार्मिंग के आधार पर होगी और हमारा तो निश्चित मत है कि इस बिल का जो उद्देश्य है वह इससे पूरा नहीं हो सकेगा। इस बिल के अनुसार ४० एकड़ भूमि की अधिकतम सीमा सरकार ने रखी है। जन संघ का स्पष्ट मत है कि ३० एकड़ से अधिक नहीं होना चाहिये। हम लोगों ने १:६ का रेश्यो रखा है कि ३० एकड़ मैक्सिमम हो तो उसी रेश्यो के अनुसार मिनिमम भी हो।

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय दुबे जी से जानना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने तो एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव रखा और आप चाहते हैं कि सदन की प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय। तो आप इसका भी कारण बतायें कि क्यों संयुक्त प्रवर समिति से आप का काम नहीं चल सकता है ?

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—उसी पर आ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—जी नहीं, पहले आप यह बतायें उसके बाद में आगे बढ़ने की इजाजत दूंगा।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—बहुत अच्छा, पहले मैं वही बतलाता हूं। जो संयुक्त प्रवर समिति की बात मंत्री जी ने कही उसमें समय लग सकता है और इस सदन की प्रवर समिति अगर इस पर विचार करेगी तो जितना समय अपर हाउस में लगेगा उतने समय में प्रवर समिति में विचार हो सकता है। इस दृष्टि से यह रखा गया है। श्रीमन्, मैंने सरकार के स्टैटिक्स विभाग से आंकड़े मांगे थे कि अगर ३० एकड़ अधिकतम सीमा रखी जाय तो कितनी भूमि वितरण के लिये मिल सकेगी और अगर ४० एकड़ रखी जाय तो कितनी भूमि वितरण के लिये मिल सकेगी। मुझे उत्तर यह मिला कि उनके पास इसके आंकड़े नहीं हैं। परन्तु मोटे तौर से अगर देखा जाय तो हमारे प्रान्त के अन्दर लैंडलेस लेबर और अनएकोनामिक पेजेन्ट्स जिनको कहा जाय उनकी संख्या ज्यादा है और अगर हमको उन्हें जमीन देना है, जो आवश्यक है, इस दृष्टि से अगर हम भूमि लें तो हमको सीलिंग की सीमा कम कर देनी चाहिये क्योंकि सीलिंग के अन्दर निहित है आमदनी पर रोक लगाना। ऐसी स्थिति न हो जाय कि अत्याधिक आमदनी एक ओर हो जाय और एक ओर दरिद्रता आ जाय। सरकार ने ४० एकड़ की सीमा लगायी और जनसंघ सीलिंग की मांग है कि सीमा ३० एकड़ की रखी जाय। इससे स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि यदि जनसंघ की मांग को स्वीकार किया जाता तो वितरण योग्य ज्यादा भूमि निकल सकती थी। हमारा कहना तो यह है, श्रीमन्, कि भूमि पर ही केवल सीलिंग नहीं होनी चाहिये बल्कि सीलिंग सब प्रकार की आमदनी पर होनी चाहिये। आखिर देहातों में इस सीलिंग के लगाने का क्या अर्थ हुआ ? क्या शहरों में जो लोग व्यापार से तथा वकालत से कमाते हैं और जिन्होंने वकालत छोड़ दी है वह दूसरी तरह की प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे लोगों की आमदनी पर सीलिंग नहीं होनी चाहिये। हम कहेंगे जरूर होनी चाहिये। श्रीमन्, इसके साथ-साथ (urban areas) में भी सीलिंग होनी चाहिये और इस दृष्टिकोण से होनी चाहिये कि न तो किसी के पास अत्यधिक कन्सेंट्रेशन आफ वेल्थ हो और न किसी के पास अत्यधिक कंसेंट्रेशन आफ पावर्टी होनी चाहिये। हम चाहते हैं कि सन्मार्ग से समाज की रचना चल सके, इसलिये ३० एकड़ की सीलिंग ठीक मालूम होती है।

श्रीमन्, इसके साथ ही साथ दूसरा क्लाज देखा जाय कि ८ एकड़ पर हेड के अनुसार ६४ एकड़ तक रखा है। इसका, श्रीमन्, हम यह अर्थ लगा रहे हैं कि सरकार एक ओर तो सीलिंग लगाने का आश्वासन देने का प्रयास करती है और दूसरी ओर इसका परिणाम क्या होगा यह देखा जाय तो हमको भूमि कम मिलेगी और वास्तविक लाभ उनको होगा जो भूमि रखे हुए हैं।

इसी प्रकार, श्रीमन्, देखें कि मैनेजरों के रखने का सवाल रखा गया है। यह मिकेनाइज्ड फार्म्स किसके होंगे ? नैनीताल से लेकर तराई भावर तक किसके फार्म्स हैं ? राजा साहब भदरी के हैं जो कांग्रेस के ही हैं। इसके अतिरिक्त मैं और भी नाम ले सकता हूं। श्रीमन्, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इसके पीछे यह प्रयास नहीं है कि जो सत्तारूढ़ दल के मिकेनाइज्ड फार्म होल्डर्स हैं वही अपने फार्म पर मैनेजर बनाकर बिठा दिये जायं। इस प्रकार वह ६४ एकड़ तक तो मुनाफा लें और इसके अलावा मैनेजर होने के नाते तनख्वाह

अलग से लें। श्रीमन्, यह बैक डोर से फार्म्स को अपने ही पास रखने का गवर्नमेंट का प्रयास है अन्यथा, श्रीमन्, फार्म्स क्यों छोड़े जा रहे हैं ? इसके लिये यह कहा जायगा कि उनकी ऐफीशियेन्सी ज्यादा है। इसके लिये मैं यह कहूंगा कि एक साधारण किसान को सब साधन दिये जायं और उसको सारी सुविधा दी जाय तो उसकी भी ऐफीशियेन्सी बढ़ सकती है। यह, श्रीमन्, हमें ऐसा मालूम होता है कि केवल ऐफीशियेन्सी के नाम पर अपने लोगों के फार्मों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है।

श्रीमन्, एक बात और पूंछू और वह यह है कि जिस समय जंगल कट रहे थे और फार्म लिये जा रहे थे उस समय अगर मेरी सूचना सही है—और मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी अवश्य बतायेंगे कि सूचना सही है या गलत है—उस समय सरकार के एक बड़े अधिकारी ने एक पेज का नोट दिया था कि यह जमीन कोआपरेटिव फार्मों के आधार पर दे दी जाय और उस में यह नहीं था कि अनलिमिटेड दी जाय बल्कि यह था कि लिमिटेड दी जाय। उस समय के मुख्य मंत्री जी, आज के भारत सरकार के गृह मंत्री, ने पांच पेज का नोट लिखा था कि कोआपरेटिव फार्मिंग नहीं होना चाहिये और खाली मनुष्यों की "Financial position" क अनुसार भूमि दी जानी चाहिये। उस दिन सीलिंग क्यों नहीं लगाई गई जब इतने बड़े-बड़े फार्म दिये गय थे ? उस समय क्यों नहीं इस चीज को स्वीकार किया गया ?

इन सारी बातों से, श्रीमन्, एक ही चीज निकलती है मेकेनाइज्ड फार्मों के विषय में कि जो चीज रखी गयी है उसके पीछे एक भाव है कि जिन लोगों को इनाम मिला सहायता के नाम पर, या चाहे दल के समर्थन के नाम पर या रिश्तेदारी के नाम पर और चाहे कुन्बा परवरी के नाम पर, उनके फार्म न जायं और उनको ही फिर से उनका मैनेजर बना दिया जाय। इसलिये यह रखा गया है। यही बात है कि "नाचने का भी प्रयास है और घूंघट का भी प्रयास है।" श्रीमन्, अगर सीलिंग लगायी जाय तो इनके ऊपर भी लगाई जाय और उनसे जमीन लेकर वितरित होनी चाहिये। यह सारा प्रोटेक्शन कोई अर्थ नहीं रखता है। यह विरोधाभास है, इससे जनहित होने वाला नहीं है। मैं तो समझता था कि यह इतना महत्वपूर्ण विषय है, इतना गम्भीर विषय है, कि प्रान्त के एक बहुत बड़े अंग पर असर पड़ने वाला है इसके ऊपर एक एक्स्पर्टस कमेटी बैठनी चाहिये थी कि किस जिले में कितनी भूमि है और कितनी भूमि सीलिंग लगने के बाद बचती है, कल्टीवेबिल वेस्ट लैंड कितना है, और कितने भमिहीन हैं, कितनी अनइकोनामिक होल्डिंग्ज हैं, और किस प्रायटी में बांटे, इन सारी चीजों पर विचार करने के लिये एक विशेषज्ञों की समिति होनी चाहिये।

स्थान-स्थान की परिस्थिति भिन्न है। जमीन भिन्न-भिन्न है। जब इस सीलिंग पर व्यावहारिक रूप से कार्यान्वित करने का प्रश्न आयेगा—मान लो किसी के पास १०० एकड़ जमीन है। उससे ६० एकड़ जमीन निकाली जायगी। तो वह किस खेत की निकलेगी ? क्या गोयड़ निकाली जायगी, पालब निकाली जायगी, मटियार निकाली जायगी या प्रोपोर्शन से निकाली जायगी कि इतनी गोंयड़, इतनी मटियार, इतनी पालब ? इस प्रकार का कहीं वर्णन इसके अन्दर नहीं है। बुंदेलखंड को आप ले लें। पूरे प्रान्त और बुंदेलखंड में बड़ा अन्तर है। पहाड़ी जमीन मैदानी जमीन से भिन्न है। एक और दो की बात करना बेकार की बात है। जमीन की खेत-खेत में भिन्नता है। क्या यहां की गोंयड़ और बुंदेलखंड की गोंयड़ एक ही है ? इसीलिये एक एक्स्पर्ट्स कमेटी की आवश्यकता है।

जमींदारी एबालिशन के बाद यह कानून था कि कोई आदमी ३० एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकता। इसमें चालीस एकड़ की सीलिंग है। तो जिसके पास तीस एकड़ ह उसको क्या आपने सीलिंग पूरी करने का अधिकार दे रखा है या नहीं ? इन दोनों सीलिंग्स को एक कर देना चाहिये। इस ऐक्ट के अन्दर चर्चा आयी है कि गोचर भूमि, बाग, पोल्ट्री की भूमि, पिगरी की भूमि आदि पर सीलिंग नहीं होगी। इसमें एक डर है कि जिनके पास भूमि बहुत है और जो भूमि नहीं निकाल पाये वह क्या करेंगे। अपनी सारी जमीन में पेड़ गाड़ देंगे, वन महोत्सव के नाम पर यह कहेंगे कि बाग लगा हुआ है। यह कहा जायगा कि पटवारी का

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

कागज देखा जायगा। तो पटवारी का कागज भी दो साल तक उसके हाथ में रहता है। पटवारी के कागज में, उसको कुछ देकर, इंदराज कराया जा सकता है। इस प्रकार की आशंका है कि इसकी ओट लेकर लोग अपनी भूमि बचायेंगे। अभी जो भूमि की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा है, पहले तो यह माना नहीं जा सकता—सीलिंग का हल्ला बहुत दिनों से मचा हुआ है, जिनके पास भूमि थी वह निकाल चुके होंगे। अगर पिछले तीन महीने के आंकड़े श्रीमन्, देखे जायें तो मालूम हो जायगा कि कितनी ज्यादा जमीन का सेल हुआ है, सेल डीड स्पष्ट हो जायगा, बहुत थोड़े लोग होंगे जिन्होंने अपने पास जमीन रखी होगी और उनमें भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने घर के लोगों की कोआपरेटिव सोसाइटी बनाकर रखी होगी। तो यह आपका प्रतिबन्ध बिलकुल मीनिंगलेस है। इसका दूसरा पहलू भी है। आज जो थोड़ी बहुत जमीन लोगों के पास बची है उसको आप बेचने क्यों नहीं देते हैं? उसको बेचने दीजिए और उस पर प्रतिबन्ध यह लगाइये कि लैंड लेस लेबर को वह बेचें। आज, श्रीमन्, स्थिति ऐसी डावांडोल है कि हर आदमी के मन में असमन्जस बना हुआ है कि कौन क्या जमीन रखे। कोई जमीन लेना नहीं चाहता और जो लेना भी चाहता है वह औने पौने दाम पर। आपने सीलिंग पर प्रतिबन्ध लगा दिया और मुआवजा देने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, बजाय इसके आप उनको जमीन बेचने दीजिए और प्रतिबन्ध उस पर लगाए कि वह लैंड लेस लेबर को बेंचें। आपको उसमें मुआवजा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ९.५ करोड़ का बोझा जो आपने अपने ऊपर ले लिया है उससे भी बच सकते हैं। बेचने पर प्रतिबन्ध लगाकर आप सारा बोझ अपने ऊपर ले रहे हैं और टैक्स-पेयर पर जबर्दस्ती यह बोझ लाद रहे हैं।

श्रीमन्, अगर यह इस तरह से देखा जाय तो बिल तो बहुत छोटा सा है लेकिन इसमें त्रुटियां बहुत हैं और त्रुटियां ऐसी हैं कि जिनका मैनिपुलेशन हो सकता है। परन्तु साथ ही यह बिल बहुत आवश्यक भी है। इसको डिले करना हानिकर भी हो सकता है। इसी दृष्टि से मैंने इस हाउस की प्रवर समिति के पास इसे भेजने का रिजोल्यूशन किया था जो कि पन्द्रह दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट दे दे क्योंकि इसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन का प्रश्न भी लगा हुआ है कि जमीन बंटेगी। वैसे बटवारा होगा, कोआपरेटिव सोसाइटी को दी जायगी या इन्डिविजुअल्स को दी जायगी, यह भी जो ओनरशिप का प्रश्न है इसको भी बहुत थरेश करने की आवश्यकता है। इसलिये यह जो मोटी-मोटी त्रुटियां हैं इनके आधार पर मैंने यह प्रस्ताव रखा था और आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस पर विचार करके इसे स्वीकार करेंगे ताकि प्रवर समिति में जाकर वहां पर अच्छी तरह से विचार होकर पन्द्रह दिन में यह पुनः यहां आ जाय।

जहां तक सीलिंग के सिद्धांत का प्रश्न है, जनसंघ का इससे कोई मतभेद नहीं है। जहां तक रिडिस्ट्रीब्यूशन का प्रश्न है उससे भी हमारा कोई मतभेद नहीं है। लेकिन रिडिस्ट्रिब्यूशन के नाम पर कोआपरेटिव सोसाइटी बनाकर किसानों को कोआपरेटिव सोसाइटी का गुलाम बनाना, इससे हमारा मतभेद है। हम चाहते हैं कि हमारे यहां इंडिविजुअल फार्मिंग हो। इंडिविजुअल्स को दी जाय वह जमीन। उस रिडिस्ट्रिब्यूशन पर लैंडलेस लेबर को पहले प्रायरिटी दी जाय और फिर जिनकी अनइकोनामिक होल्डिंग्स हैं उनको दी जाय और जो रेशियो रहना चाहिये एक और छः का इससे अधिक रेशियो न हो। इन्ही सारी आपत्तियों के कारण मैंने यह प्रस्ताव रखा है और आशा करता हूं कि मंत्री जी भी इसे स्वीकार करेंगे और १५ दिन के लिये इसे प्रवर समिति में भेजने का कष्ट करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—मेरी समझ से इसमें १३ संशोधन थे, जिनमें से पहला प्रस्तावित हो चुका है। इसके बाद अब मैं १२ वें संशोधन को जो श्री वीरेन्द्रशाह का है प्रस्तावित करने की इजाजत दूंगा। बाकी प्रस्तावित नहीं किये जायेंगे, क्योंकि उनका समावेश इनमें हो जाता है। हां, बाकी माननीय सदस्य भाषण दे सकेंगे।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि दूसरे नम्बर का संशोधन बिलकुल अलग है और उसमें यह है कि यह एक प्रवर समिति

के सुपुर्द किया जाय जो कि ३० दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करे। यह मेरी पार्टी का पहला ही संशोधन है। उसमें मेरा नाम है, फिर प्रताप सिंह जी का नाम है, फिर गौरीशंकर राय जी का नाम है, तो इन चारों में से एक को तो, कम से कम प्रस्तुत करने की इजाजत दीजिये।...

श्री उपाध्यक्ष--देखिये, प्रवर समिति में यह विधेयक जाय यह प्रस्ताव वह कर चुके, वह १५ दिन का समय कह रहे हैं आप ३० दिन का समय कहेंगे। तो यह कोई मौलिक भेद नहीं है और फिर यह कोई अमेंडिंग बिल नहीं है जिसमें परिधि बढ़ाने का सवाल हो। यह तो स्वतंत्र बिल है, इसलिये कोई परिधि बढ़ाने का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री शिवप्रसाद नागर--श्रीमन्, जनसंघ के नेता ने जो कहा है वह सिद्धान्ततः बिलकुल दूसरी बात कही है....

श्री उपाध्यक्ष--आपको मौका भाषण का मिलेगा, लेकिन संशोधन पेश करने का नहीं मिलगा।

राजा वीरेन्द्रशाह--माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से.....

श्री रामस्वरूप वर्मा--आपने अभी यह बताया कि परिधि का प्रश्न नहीं उठ सकता है। मैं समझता हूं, ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि जब प्रवर समिति नई धारा का समावेश करने की सलाह दे। अगर ऐसी स्थिति है तो फिर नई धारा नहीं जोड़ी जा सकती है।

श्री उपाध्यक्ष--नई धारा जोड़ी जा सकती है, लेकिन परिधि का प्रश्न अमेंडिंग बिल में होता है। यदि माननीय मंत्री कुछ विषयों में स्वीकार करने को तैयार हो जायं तो preamble न बदल कर भी ऐसा किया जा सकता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--इस बिल में अगर नई धारा जोड़ने का सवाल आयेगा तो परिधि बढ़ेगी और वह उस दशा में, जैसा कि आपने कहा, वह दूसरी धारा नहीं जोड़ी जा सकेगी।

श्री उपाध्यक्ष--मैंने कहा कि नई धारा जोड़ने का सवाल माननीय मंत्री के हाथ में है। यदि ऐसा समझौते से हो जाय तो उसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है ?

श्री राजनारायण--इस प्रकार की व्यवस्था के बाद अगर विधेयक में परिधि बढ़ाने का सवाल आया तो वह नहीं होगा ?

श्री उपाध्यक्ष--जी हां, बहरहाल मैंने यह व्यवस्था दी है कि यदि आप कोई सुझाव देंगे तो मैं विचार करूंगा।

***राजा वीरेन्द्रशाह**--मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि "उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९ को जनमत संग्रह के हेतु वितरित कर दिया जाय। यह संग्रह आगामी ६ मास में प्राप्त करके उस पर आधारित प्रतिवेदन सहित विधेयक प्रस्तुत किया जावे।"

श्रीमन, यह बिल जो आज इस भवन में पेश किया गया है सरकार इसको जल्दी से पास कराना चाहती है। यह इतना अहम है कि इसका जनमत के लिये जाना बहुत आवश्यक है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जमींदारी अबालिशन बिल की तरह से इसको भी पास कराना चाहते हैं कि जल्दी से इसको पास करा ले जायं। पहले हमको यह देखना है कि इस विधेयक के जो उद्देश्य हैं क्या उससे सरकार की पार्टी की राय और जनता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[राजा वीरेन्द्रशाह]

की राय मिलती है। मैं समझता हूं जनता की राय कुछ इसके लिये दूसरी है। अभी एडवोकेट जनरल ने कहा कि जनहित में अगर किसी के हक को लेने के लिये तय किया जाय तो वह सही माना जायगा और उसको ठीक समझा जायगा। यह एक नई चीज है। सरकार स्वयं चाहती है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेकर इस बिल को जल्दी में पास करा लें। इस बिल का सम्बन्ध देहात की जनता से है। देहात में रहने वालों की आमदनी का सवाल इसमें आता है। उसको इतनी जल्दी में पास कराकर उनकी जायदाद को सरकार लेना चाहती है। पहले जो और पार्टीज हैं उन से तय करें। इस प्रकार से जल्दी में पास करना ठीक नहीं होगा। सरकार की तरफ से यह नहीं बताया गया कि सरकार किस आधार पर इस निर्णय पर आई कि यह सिद्धान्त ठीक है। सरकार ने जो अपने विधेयक में दिया है कि पहले खेतिहर मजदूरों के लिये उन जमीनों को उपलब्ध करें, दूसरे सहकारी खेती के लिये जमीन दे और तीसरे वैज्ञानिक ढंग से खेती की जाय जिससे अन्न का ज्यादा उत्पादन हो तो मैं इन तीनों का विरोध करता हूं और कहता हूं कि यह तीनों आवश्यक नहीं हैं। यह सरकार की गलतफहमी है और सरकार गलत समझती है कि इस तरह से इस बिल को ले आई है।

पहली बात यह है कि अभी इसी सरकार के रेवेन्यू मिनिस्टर, श्री चरणसिंह, ने एक पुस्तक लिखी है। 'भूमि-व्यवस्था में क्रान्ति' जो कांग्रेस का सब से बड़ा कार्य बताया जाता है और जिसमें श्री चरणसिंह जी एक अथारिटी माने जाते हैं, मैं उनके विचार इस सम्बन्ध में बताना चाहता हूं। पहली बात जो यह कही जाती है कि खेतिहर मजदूरों के लिये जमीन का उपलब्ध कराना है, इस सम्बन्ध में, मैं यह मानता हूं कि इतनी परसेन्ट जमीन ही नहीं है कि जो आम जनता में वितरित की जा सके। उनकी किताब से मैं सदन को बतलाना चाहता हूं कि उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या लिखा है :—उत्तर प्रदेश में इस देश के अन्य सब राज्यों के मुकाबले सब से कम प्रतिशत भूमिहीन हैं ७४.२ और ५.६८ जिनके लिये आप उपलब्ध कराना चाहते हैं जमीन और इतना अहम कानून बना कर आप जबरदस्ती किसी की जमीन लेना चाहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कार्य सरकार स्वयं कर सकती है। किसी की चीज लेकर जनता के हितका ढिंढोरा पीट कर, पूरा मुआवजा न दे कर एक तरह से जबरदस्ती किसी की चीज लेना कहां तक न्याय होगा? मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि जमीन उन लोगों को दी जाय कि जिनके पास नहीं है। इस प्रान्त में ९० लाख एकड़ जमीन बेकार पड़ी हुई है। इस बिल में बताया गया है कि साढ़े ९ करोड़ रुपया मुआवजा आदि देने में खर्च होगा। आप इतना रुपया इसमें लगाने जा रहे हैं जब कि आप के पास ९० लाख एकड़ जमीन बेकार पड़ी है यह सोचने की बात है। मंत्री जी के वाक्य हैं कि इसमें ६ लाख एकड़ जमीन निकलेगी। क्या यह ६ लाख एकड़ जमीन उस ९० लाख एकड़ में से नहीं निकल सकती? आप इस साढ़े ९ करोड़ का आधा रुपया लगा कर उस ९० लाख एकड़ जमीन में से जमीन लें और जिसको चाहें दें। मैं यह नहीं चाहता कि जिसके पास जमीन नहीं है उसको न दी जाय, लेकिन यह भी देखिये कि एक तरफ तो सरकार कहती है कि अन्न उत्पादन बढ़ना चाहिये, दूसरी तरफ जिन लोगों ने उसके लिये पैसा लगाया, उनके साथ यह बर्ताव किया जाता है। अगर हमारे यहां अधिक अन्न उत्पादन न हुआ तो अन्न बाहर से मंगाना पड़ेगा। आप आंकड़े देखिये। १९५१ में ४७ लाख टन अन्न बाहर से मंगाया गया, १९५२ में ३८ लाख टन मंगाया गया, १९५३ में २० लाख टन और १९५४ में यही ८ लाख टन रह गया। उस समय यहां के जमींदारों को आपने कहा था कि तुम अधिक उत्पादन करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसानों ने उस समय पैसा लगाया, खर्चा किया और शरणार्थी भाइयों ने अपना लाखों रुपया लगा कर रुद्रपुर तथा दूसरी जगहों में अपने-अपने फार्म कायम किये और जंगलों को काट कर खेत बनाये और लाखों टन अधिक अन्न पैदा किया। उसका आज आप यह इनाम दे रहे हैं!

अगर सरकार ने इस प्रकार की सीलिंग की तो लाखों करोड़ों रुपये का अन्न बाहर से मंगाना पड़ेगा और यह स्थिति कभी ठीक नहीं होगी। सरकार को यह सुझाव मानना चाहिये कि उस ९० लाख एकड़ जमीन का उपयोग किया जाय। सरकार को यह सीलिंग नहीं लगानी

चाहिये, इससे जो रुपया लगाने वाले हैं उनका उत्साह भंग होता है। ऐसा करने से देश में अन्न का अधिक उत्पादन नहीं हो सकेगा। मैं यह बताना चाहता हूं कि जब अन्न का उत्पादन बढ़ाने की बात चल रही थी उस समय १८ लाख एकड़ नयी जमीन तोड़ी गयी और पैदावार बढ़ी और जबसे आपकी नीति सीलिंग की निकली है उसके बाद कोई जमीन नहीं तोड़ी। सब समझ गये कि यह सरकार का ढकोसला है, बनी बनाई चीज चाहते हैं और वोट लेने के तरीके हैं, देश की कोई परवाह नहीं है। मतलब यह है कि हमको खेतिहर वोट दे दें। इससे देश का भी कल्याण नहीं होगा बल्कि उनकी पार्टी को नुकसान होगा। वह रोज देखते हैं कि उनके साथी ऊधर से इधर आ रहे हैं।

आप देखें कि कृषि के विशेषज्ञों ने जो रिपोर्ट दी है उसके भी यह प्रतिकूल पड़ता है। इस ४० एकड़ की सीलिंग का कुछ तो आधार होना चाहिये। प्लानिंग कमीशन ने कहा कि एक किसान परिवार की आमदनी कम से कम ३,६०० रुपये होनी चाहिये। और उसी के हिसाब से सीलिंग निर्धारित होनी चाहिये। स्वयं आपके मुख्य मंत्री ने, जबकि हमने वृहत् जोतकर विधेयक के सिलसिले में पूछा था कि यहां क्या औसत होना चाहिये, तो उन्होंने बतलाया था कि ५१ एकड़ एक खाते पर पड़ना चाहिये—उनके हिसाब से। अब यहां मनमाने ढंग से ४० एकड़ रख रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं है। उसका अर्थ यह होगा कि आप चाहते हैं कि देहात तरक्की न कर सकें, देहात के लोगों के पास कोई ऐसी चीज न रहे जिससे वह तरक्की कर सकें या प्रोत्साहन पा सकें।

सहकारी खेती के लिये आपने कहा। तो इस सम्बन्ध में मैं यह बतलाना चाहता हूं कि यहां पर एक सेमिनार बुलाया गया था जिस पर ५०,००० रुपया खर्च किया गया था और सारे प्रान्त से लोग उसमें बुलाये गये थे जो सहकारिता में विश्वास रखते हैं। उस सहकारिता सम्मेलन में हिम्मत नहीं पड़ी कि पास कराते कि हम सहकारी खेती चाहते हैं और सहकारिता से खेती होनी चाहिये। यह सबूत है कि यहां की जनता सहकारिता नहीं चाहती। जनसंघ के नेता ने भी अभी सहकारिता का विरोध किया। तो उस सेमिनार के मैंडेट के बाद तो कम से कम आपकी आंखें खुलनी चाहियें।

सरकार जो यहां विज्ञान के जरिये और ट्रैक्टरों से खेती कराना चाहती है कि सब मिल कर करेंगे, तो उनको यह नहीं भूलना चाहिये कि रूस में जहां आदमियों की कमी है वहां ट्रैक्टर चल सकते हैं, लेकिन अगर यहां चलायेंगे तो आदमी भूखों मर जायेंगे। आज जो बेकारी की समस्या है वह और बढ़ेगी और देहातों में बेकारी आप इस तरह से फैलायेंगे, हजारों मजदूर बेकार हो जायेंगे और अन्न भी इस योजना से पैदा नहीं होगा। अन्न पैदा हो सकता है अगर आप व्यक्तिगत खेती करायेंगे, उनको खेत देंगे, अच्छा बीज देंगे और दूसरे साधन देंगे और उनके पास अच्छी राय देने वाले होंगे। कुछ दिनों पहले जब कहा गया था कि जो कोई अच्छी खेती करेगा उसको साधन मिलेंगे तो उस समय पैदावार बढ़ी, जैसा कि मैंने साबित करके दिखलाया कि १९५५–५६ में बाहर से बहुत कम अनाज मंगाया गया, सिर्फ ७ लाख टन आया। लेकिन आप फिर देखें कि सन् ५८ में वह बढ़कर ३५ लाख टन हो गया, विदेशों से १५ करोड़ का अन्न मंगाया गया। आप कहते हैं कि विदेशी मुद्रा की कमी है, तो यह कहांसे आती है? यहां पर जो ९० लाख एकड़ जमीन है तो उसका इन्तजाम सरकार कर नहीं सकती है लेकिन ६ लाख एकड़, जिस पर लोगों ने लाखों रुपये लगाये उसको जब्त करना चाहती है। मैं पूछता हूं कि क्या यह अन्याय नहीं है? इस अन्याय का मुआवजा सन् ६२ में मिल जायगा जबकि चुनाव होगा, लोग कहेंगे कि किस तरह से आपने जमीन ली और अब वोट मांगने आये हो।

अब चूंकि मुआवजा शब्द भी आगया इसलिये कुछ इस पर भी कह दूं। आपने एक एकड़ की ७५ रुपया आमदनी रखी है। जमींदारी एबालिशन में तो ४० गुना दिया गया था लेकिन यहां सिर्फ आमदनी का ढाई गुना मुआवजा दिया जायगा। जिन लोगों ने उसमें लाखों और करोड़ों रुपये लगाकर उस जमीन को कृषि योग्य बनाया और आज उस पर वह अच्छा अन्न पैदा कर रहे हैं उनको आप सिर्फ ढाई गुना देंगे तो यह जब्त करना नहीं है तो और क्या है?

[राजा वीरेन्द्रशाह]

एक चीज, श्रीमन्, मुझको यह अर्ज करनी है कि इसमें कहा गया है कि १५ अगस्त के बाद कोई ट्रांसफर नहीं कर सकेगा। जो कर चुके हैं वे तो ठीक है। तो श्रीमन् अगर एक नाबालिग है जिसकी उम्र १७ साल की है लेकिन जब उसकी उम्र १८ साल की होगी उसके लिये कोई अधिकार नहीं रखा गया है। श्रीमन्, उसके लिये इस बिल में कोई ऐसा प्राविजन होना चाहिये कि जिस समय वह १८ साल का हो तो उसको भी ४० एकड़ मिलनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त, श्रीमन्, रिलिजस ट्रस्ट के लिये इसमें पहली मई, १९५९ की तारीख रखी गई है तो उसके बाद जो १५ अगस्त, १९५९ तक हुये हैं उनके लिये क्या होगा? जमींदारी एबालिशन में जो जमीनें ली गई थीं उसमें सरकार को मंदिरों को जमीन देनी पड़ी थी, उसी तरह से इसमें भी अगर किसी ने मंदिर को दी है, तो मेरा सुझाव यह है कि इस सम्बन्ध में भी १५ अगस्त तक के ट्रान्सफर्स को मान लेना चाहिये। श्रीमन्, गांवों में यही भूमि ही जायदाद है, कोई दूसरी चीज नहीं है। लेकिन फिर भी यह कहा जाता है, हमारे प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू भी यह कहते हैं कि हम किसी की आमदनी की सीमा नहीं निर्धारित कर रहे हैं। लेकिन सरकार यह तो बतलावे कि देहात में और आमदनी क्या है। क्या वहां होटलों, सिनेमाओं या मकानों की आमदनी है? वहां तो केवल खेती की ही आमदनी है और उसे भी सरकार इस प्रकार लेना चाहती है। यह बिलकुल एकतरफा बात है। कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री सरकार शहर वालों के लिये क्यों नहीं चलाती है? चूंकि शहर के रहने वाले बहुत नजदीक हैं और सरकार को कांग्रेस को चन्दा देते हैं, इसलिये सरकार उनको कोआपरेट नहीं करती है और देहात की ओर भागती है। सरकार को चाहिये कि सबको बराबर समझे। प्लानिंग कमीशन में कहा है कि ३,००० की सीमा निर्धारित की जाय। केवल कम्यूनिस्ट पार्टी को छोड़कर जमीन के बारे में किसी भी पार्टी की पालिसी साफ नहीं है, सरकार चाहती है कि देहात को मार डालो और उसकी आमदनी साफ कर दो। कांग्रेस के प्रतिनिधियों को भी अपने क्षेत्र वालों को जवाब देना होगा कि उन्होंने यहां क्या किया?

हम धन्यवाद देते हैं सीताराम जी शुक्ल को यद्यपि स्पीकर साहब ने उसे पढ़ कर नहीं सुनाया, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अपने सिद्धांतों से गिर गई है। यह ठीक है कि एक आदमी के इधर आने से सरकार नहीं पलट जायगी और मंत्री जी ने उसका कुछ मखौल भी उड़ाया यह मखौल की बात नहीं है, यह सिद्धांत की बात है। इसे सरकार को सोचना चाहिये। ९८ आदमियों ने सोच ही लिया था और जरा सी कसर रह गई वरना क्या हो जाता! भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ है तो हरेक का दिल भी स्वतंत्र है। मंत्री जी ने हम लोगों की बातों को सुनना मुनासिब नहीं समझा और छोटे मंत्री जी को छोड़ गये हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि उस बिल को २० दफा संशोधन करना होगा। एडवोकेट-जनरल साहब ने राय दे दी कि जो हाउस कर दे वह ठीक है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज जनता है जो इस सदन को हटा सकती है। सरकार ने २२ लाख जमींदारों को बरबाद कर दिया, जिसे हमने हंसकर या रोते हुये बर्दाश्त किया। लेकिन यह सवाल पूरी जनता का है। जैसे मंत्री जी ने पहले पदयात्रा की थी, अब भी करें तो वह देखेंगे कि कितना उनका स्वागत होता है, कितनी चायें और डिनर उन्हें मिलते हैं।

जैसा हमारे एक मित्र ने कहा, बुन्देलखंड में भी ४० एकड़ जमीन रखी है। वहां जमीन की किस्म और पैदावार देखकर करना चाहिये। यहां यह कर दिया गया कि ५ रुपया एकड़ जिसकी वह हो, जो अभी बृहत जोतकर में बढ़ा दिया गया है। उनको ४० एकड़ और कुछ को ८० एकड़ तक रख रहे हैं। हम तो सरकार से कहते हैं कि वहां की हमारी ४० एकड़ जमीन और हमें मेरठ की १० एकड़ दे दें। गंगा पार एक फसल बाजरे की होती है और कभी कभी कुछ गेहूं हो जाता है। वहां ४० एकड़ में कुछ नहीं होगा। सरकार परिगणित जातिवालों को जमीन देना चाहती है। वे भूमिधर नहीं हैं। चरण सिंह जी ने जो लिखा है आप उसका अनुपात देख लीजिये। हरिजनों व परिगणित जाति वालों में केवल ९ प्रतिशत भूमिधर या सीरदार हैं। यह नहीं है कि परिगणित जाति वालों के पास जमीन बिलकुल नहीं है। मैं नहीं कहता कि उनको जमीन नहीं मिलनी चाहिये। लेकिन सरकार का यह कहना कि उनका बड़ा कल्याण हो जायगा, ऐसी

बात नहीं है। सरकार अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर क्यों डालती है ? उनके लिये वह मिल खुलवावे जिसमें उन्हें खपावे। एक रिपबलिकन पार्टी बना रहे हैं और उनको घेरना चाहते हैं। जनहित में इस बिल का जनमत के लिये जाना आवश्यक है और उसके बाद इसे सावधानी से पास किया जाय। मंत्री जी के प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं।

*श्री शिवप्रसाद नागर---श्रीमन्, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। अभी जब माननीय नेता जन संघ बोल रहे थे तो आपने यह पूछा कि मंत्री जी ने कहा है कि यह प्रवर समिति को जाय, आपने भी कहा है कि प्रवर समिति को जाय, तो उसमें भेद क्या है जिसकी वजह से आपको भाषण का मौका दिया जाय। उन्होंने यह भेद किया था कि मंत्री जी कहते हैं कि संयुक्त प्रवर समिति को जाय, उन्होंने कहा है कि इस सदन की एक प्रवर समिति को जाय और हमने कहा है कि एक प्रवर समिति को जाय, वह कहते हैं कि १५ दिन में वापस आ जाय और हम कहते हैं कि ३० दिन में आ जावे। इस प्रकार हमारा प्रस्ताव भिन्न है। इसलिये आप मुझे अपना प्रस्ताव रखने का मौका प्रदान करें।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य कह सकते हैं कि दुबे जी के प्रस्ताव में १५ दिन के बजाय हम ३० दिन रखना चाहते हैं। जहां तक बोलने की बात है, कोशिश यह की जायगी कि संशोधन देने वाले माननीय सदस्यों को यथासम्भव मौका दिया जाय।

श्री रामस्वरूप वर्मा---श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि नम्बर ६ पर हमारा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से एक प्रस्ताव छपा है। उसमें और लोगों को शामिल कर दिया गया। वह जनमत संग्रह के लिये घुमाने के लिये था। लेकिन आपने ६ नम्बर का न लेकर पहले १२ नम्बर का ले लिया जबकि नियम के अनुसार ६ नम्बर का पहले लेना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष---मुझे यह बताया गया था राजा वीरेन्द्रशाह जी की तरफ से कि उनके डिप्टी नेता नहीं मूव करना चाहते, उनका प्रस्ताव राघवेन्द्र प्रताप जी के नाम से था। तो उनका नहीं लिया गया और उसके स्थान पर १२ नम्बर वाले को पहले इजाजत दे दी गयी।

श्री रामस्वरूप वर्मा---जब एक प्रस्ताव के प्रस्तावक नहीं थे, श्रीमन्, तो उसके बाद जो दूसरे प्रस्तावों के प्रस्तावक थे उसके बाद श्री मोतीलाल जी अवस्थी या दूसरे लोग उनको उसी क्रम में ले लेते।

श्री उपाध्यक्ष---यह ठीक है कि वह ज्यादा उचित होता, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया आप लोग कभी-कभी गलत गठबन्धन कर लेते हैं उसी के कारण यह होता है।

श्री राजनारायण---मैं, श्रीमन्, इस पर आपत्ति करता हूं। यह गठबंधन हमारी तरफ से नहीं हुआ है यह आपके कार्यालय में हुआ है। कभी कभी यह होता है, जिसको न मैं रोक सकता हूं और न सोशलिस्ट पार्टी ही रोक सकती है, कि जनमत के लिये घुमाने के लिये दूसरे लोग भी प्रस्ताव दे देते हैं उसी तरह का। यद्यपि उनको अलग-अलग लिया जा सकता है लेकिन जो एक ही ढंग के प्रस्ताव होते हैं उनको आपके कार्यालय द्वारा एक ही में रख दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष---ठीक है। यह आपकी तरफ से गठबन्धन न हुआ हो, किसी भी प्रकार से हुआ हो, लेकिन अब तो इसको अलग कर दिया गया।

श्री राजनारायण---हमारा गठबंधन तो हमारी तरफ से नहीं हो सकता है; यह तो आपका ही गठबंधन ज्यादा हो सकता है, रामनारायण त्रिपाठी का, न कि उपाध्याक्ष का।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत अनुगृहीत हूं कि आपने मुझे विचार प्रकट करने का अवसर दिया। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुरलीधर कुरील]

उपस्थित जो संयुक्त प्रवर समिति में इस विधेयक के भेजे जाने का प्रस्ताव है उसका समर्थन करते हुये कहता हूं कि आज यह बहुत ही अच्छी शुभ घड़ी हमारे प्रान्त में आयी है जबकि भूमि की हदबंदी यानी सीमाबन्दी होने का प्रस्ताव पेश हुआ है। श्रीमन्, इस प्रान्त के अन्दर आजादी की लड़ाई के समय कांग्रेस ने जो जो वादे किये थे उन के मुताबिक आज ग्यारह वर्ष के बाद यह अवसर आया जबकि भूमि की सीमाबन्दी करके उन भूमिहीनों को जिनके पास भूमि नहीं है भूमि दिये जाने का विचार किया जा रहा है।

अभी तक यहां पर जो विचार प्रकट किये जा रहे थे उनमें कहा जा रहा था कि इस तरह भूमि के बटवारे से कोई काम नहीं चलेगा और गरीबी बढ़ेगी। मैं ऐसा समझता हूं कि आज कर्म का युग है, जो कार्य करेगा, जो परिश्रम करेगा, उसको खाना अवश्य मिलेगा, कपड़ा अवश्य मिलेगा, रहने का स्थान भी मिलेगा लेकिन अब तक जो पुराने भूमिधर थे जिनके मुताबिक एक दूसरे का शोषण करके उससे कम मजदूरी में काम कराके जिन लोगों ने आराम से बैठ करके खाया है शायद उनका युग अवश्य समाप्त होगा। अब ऐसा न हो सकेगा कि बैठ करके दूसरे की कमाई पर कोई खा सके। अब जो युग आ रहा है वह परिश्रम का है। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को खुश होना चाहिये कि इससे गरीबी मिटेगी, बेकारी मिटेगी और हम उस तरफ बढ़ेंगे जब परिश्रम करके अपने भरोसे पर अपनी कमाई पर हम अवलम्बित होंगे।

जहां तक हदबंदी की बात है, ४० एकड़ की बात इसमें कही गयी है। मैं समझता हूं कि ४० एकड़ एक प्रकार से अधिक है और इतना नहीं होना चाहिये। जब यह बिल प्रवर समिति में जा रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि प्रवर समिति इस पर विचार करेगी और ४० एकड़ जो रखा गया है वह कम किया जायगा। एक बात और कही गयी है कि जो जमीन ५ रुपया व ३ रुपया एकड़ अन्तर की है उनकी हदबंदी अलग-अलग की जायगी। इससे तो लोगों को और भी अधिक जमीन इकट्ठा करने का मौका मिलेगा। मैं समझता हूं कि इसमें यह भेद भी नहीं रहना चाहिये। ५ व्यक्तियों के परिवार को ४० एकड़ दी जायगी जो ७० बीघा के बराबर होती है। अगर ५ व्यक्ति से अधिक हैं तो ८ व्यक्ति के परिवार को ६४ एकड़ तक यानी १२० बीघा तक जमीन दी जा सकेगी। अब, श्रीमन्, आप देखें कि अगर हलबैल से खेती की जाय तो अगर ४ बैल खेती में लगाये जायं तो ३० बीघा पुश्ता पर खेती की जा सकती है। अब यह तीस बीघा एक अच्छे खासे परिवार के लिये बहुत काफी है। जिसके पास १२५ बीघा खेती है वह किस प्रकार से खेती करेगा। यह अवश्य है कि वह ट्रैक्टर से भले ही कर सकता है लेकिन बैलों के द्वारा उसको संभालना चाहे तो नहीं संभाल सकता।

पिछले दिनों जो भूमि व्यवस्था बिल आया था उसमें साढ़े बारह एकड़ से अधिक भूमि कोई नहीं खरीद सकेगा, ऐसा रखा गया था, पहले की जो भूमि है वह है। जब एक बार हमने मान लिया कि साढ़े बारह एकड़ एक परिवार को काफी है तो फिर अब कौन सी जरूरत आ गयी कि ४० एकड़ हम रख रहे हैं।

इसके अलावा जो भूमि के अधिकार पंचायतों को दिये गये हैं उनमें भी सही व्यक्तियों को भूमि नहीं दी जा रही है। अगर जांच कराकर देखा जाय तो मालूम होगा कि वह जमीन उन लोगों के पास है जो शक्ति संपन्न है, जिनके पास पैसा है या जो गांव समाज में चुन कर आ गये हैं, अपना बहुमत रखते हैं, उन्होंने किसी न किसी रूप में जमीन अपने नाम लिखा ली है और गांवों के गरीबों को वह जमीन नहीं मिल पायी। कानून की व्यवस्था का पालन नहीं हो रहा है। इस सारी व्यवस्था को रोकना चाहिये। इसके साथ ही साथ हमारे समाज का यह दुर्भाग्य है कि अगर किसी प्रकार से गांव का मजदूर भूमि पर जाता है या एलाटमेंट उसके पक्ष में हो जाता है और जब वह तहसील में अधिकारियों के सामने उस भूमि की तसदीक होने के लिये जाता है तो किसी न किसी प्रकार से उस एलाटमेंट की तसदीक नहीं की जाती है। उसका समय किसी न किसी तरह से गुजर जाता है और फिर कह दिया जाता है कि समय के अन्दर यह पट्टा नहीं हुआ इसलिये तसदीक नहीं होती। अगर किसी तरह से गांव समाज की जमीन उसको मिल गयी तो आगे चल कर अधिकारियों के यहां जब वह पहुंचता है तो उसको फिर निराश हो

जाना पड़ता है। तो आज हम यह देखते हैं कि जो मंशा पंचायत राज के अन्दर पिछले कानून के मातहत की गयी थी कि गरीबों को भूमि मिले, भूमिहीनों को भूमि मिले, गांवों में कुछ बेरोजगारी कम हो, वह मंशा अभी तक नहीं पूरी हो पायी। मैं नहीं कह सकता कि क्यों इस तरह की चीजें चल रही हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये और जिस तरह से हम और अभियान चलाते हैं, जैसे रबी अभियान, खरीफ अभियान, या गांव पंचायतों में मुकदमे करने का अभियान, उसी तरह से सरकार को एक ऐसा अभियान चलाना चाहिये जिसमें सरकार देखे कि गांव के अन्दर कितनी जमीन पड़ी हुई है, जो जमीन पिछले दिनों उसमें से लोगों को एलाट की गयी वह किस आदमी को की गयी, उनके पास कितनी जमीन थी, उनको यह जमीन मिलनी चाहिये थी या नहीं मिलनी चाहिये थी। इन सारी चीजों की जांच होकर ऐसा अभियान होना चाहिये कि जो जमीन गांव में खाली पड़ी हुई है तो वह ऐसे लोगों को मिले जिन्हें उसकी आवश्यकता हो। अगर ऐसा नहीं किया जा सकता है तो ये सारी व्यवस्था के होते हुये भी जो सरकार की इच्छा है वह पूरी नहीं हो पावेगी।

इसके साथ ही साथ इस बिल के अन्दर और बहुत सी चीजें हैं जिनमें लोगों को एतराज करने का समय दिया गया है। जब रेकार्ड्स तैयार हो जायं और लोगों को जानकारी हो जाय कि किसके पास कितनी जमीन है तो उसकी जानकारी वे सरकार को करायें और अगर वे उसकी जानकारी सरकार को नहीं करायें या सही-सही नहीं करायें, तो उसके सम्बन्ध में जो समय देने की बात है, मैं समझता हूं कि काफी ज्यादा समय दिया है, वह कम होना चाहिये क्योंकि जितना समय दिया गया है अगर उतने समय तक इंतजार किया जायगा तो बहुत वक्त लगेगा जबकि सब भूमि के रेकार्ड्स की जानकारी प्राप्त करके भूमि वितरण की व्यवस्था की जाय। मैं समझता हूं कि वह समय कम होना चाहिये जिससे जितनी जल्दी यह व्यवस्था लागू हो सके उतना ही अच्छा है। पिछले दिनों जो सरकार की मंशा थी भूमि के बंटवारे की और गांव समाज के द्वारा वह पूरी नहीं हो पायी है। मैं समझता हूं कि इस बिल के द्वारा वह मंशा जरूर पूरी हो जायगी, क्योंकि इसमें ऐसा है कि जो भूमि अधिक जमीन वालों से मिलेगी, जो भूमि गांव समाज के पास खेती के योग्य पड़ी हुयी है, उन तमाम जमीनों को मिला कर फिर ऐसी सहकारी समितियां बनायी जा सकेंगी जिनमें भूमिहीन मजदूरों को काम करने और खेती करने का मौका मिलेगा।

इसके साथ साथ मेरी एक प्रार्थना और है इसमें उन भूमिहीनों को जिन्हें खेती करने का मौका दिया जायगा उनको कुछ ऐसे अधिकार मिलने चाहिये, कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये, जिससे कि वे यह समझ सकें कि यह भूमि हमारी है और यह हमसे छीनी नहीं जा सकती है और अगर हम इस भूमि पर मेहनत करें तो उस मेहनत का फल हमको मिलेगा। लोगों में इस बात का भय बना हुआ है और अभी जो राजा साहब बोल रहे थे, उनके बोलने में भी वह भय कुछ जाहिर हो रहा था कि इस देश में सहकारिता की तरफ लोगों का रुझान नहीं है, लोग उसे चाहते नहीं हैं, मैं यह बात नहीं मानता ऐसी बात नहीं है। यदि यहां की परम्परा देखी जाय तो इस देश में सहकारिता हमेशा से चली आती है, जब हम एक परिवार में रहते हैं तो कई कई भाई संयुक्त परिवार के रूप में रहते हैं एक में खाना पकाना है, एक साथ काम करते हैं, कई कई पुश्तों से एक साथ रहते चले आते हैं। वह भी सहकारिता का ही एक रूप है। जबकि दूसरे मुल्कों में बालिग होने पर लड़के अपना अलग परिवार बनाकर रहने लगते हैं, वहां कोई ऐसी परम्परा नहीं है लेकिन हमारे यहां यह पहले से चली आती है, वह भी एक प्रकार की सहकारिता है।

परिवार में हो या समाज में हो, इस तरह की चीज हमारे यहां चली आती है। परन्तु यह बात जरूर है कि इस की तरफ इस बीच के जमाने में जब हमें अपनी बातों पर स्वयं विचारने का अधिकार नहीं था, उस जमाने में उसमें कुछ शिथिलता आई और इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया जिसकी वजह से हम सहकारिता से अलग होते गये। आज जो यह चीज लाई जा रही है वह कोई नई नहीं है, वह पुरानी ही है। अब उसकी तरफ हम समाज का ध्यान फिर से खींच कर ला रहे हैं जिसे हम भूल गये हैं, यह नई बात नहीं है, सहकारिता हमारे यहां चलगी

[श्री मुरलीधर कुरील]

और अवश्य चलेगी और हम सहकारिता में सफल होंगे लेकिन हम चाहते हैं कि इसके साथ साथ किसानों को ऐसे अधिकार अवश्य दिये जायें जिससे कि वे अपने स्वामित्व को महसूस कर सकें। अगर उन्होंने यह सोचा कि आज जो जमीन हमारे पास है वह अगले साल नहीं रहेगी तो वे वैसी ही मेहनत जमीन पर करेंगे जैसे मजदूरी पर कोई करता है, अगर स्थायित्व महसूस वे नहीं करेंगे तो चित्त लगाकर काम भी नहीं करेंगे, काम को टालने की कोशिश करेंगे और उपज गिरेगी। जितना परिश्रम उन्हें करना चाहिये उतना परिश्रम वह इस हालत में नहीं करेंगे, इस प्रकार की शंकाओं को दूर करने की इस कानून में व्यवस्था होना चाहिये। अगर इस तरह की बाधायें किसान के मन में न आईं तो मैं समझता हूं सहकारिता आगे बढ़ेगी।

एक बात और कहने की है कि जिस तरह से अभी तक सहकारी समितियां उद्योग-धंधों में चल रही हैं उनमें सरकार का नियंत्रण बहुत रहता है और कहीं-कहीं वह इतना अधिक हो जाता है कि जिसके कारण समितियों के सदस्य ऊब जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं और मजबूर होकर हाथ खींचकर बैठने की लोग कोशिश करते हैं। जहां तक हो सके सहकारी खेती में सरकारी नियंत्रण कम से कम हो। अगर देखा जाय कि बीज की, खाद की या पानी की कोई असुविधा हो रही है तो उसमें सरकार अवश्य सहायता करे। इन समितियों को प्रोत्साहन दिया जाय परन्तु नियंत्रण इस प्रकार का और इतना अधिक न हो कि आये दिन के नियंत्रण को देखकर लोग परेशान होकर सोचने लगें कि हम अब अलग हो जायं तभी अच्छा होगा। इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और इन बातों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसके अलावा मैं फिर अर्ज करूंगा कि यह ४० एकड़ की सीमा बहुत अधिक है, यह कम की जाय, ज्यादा अच्छा होता कि पिछले दिनों जो साढ़े १२ एकड़ की सीमा रक्खी गई थी वही इसमें भी मान ली जाय।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय शिवप्रसाद नागर, इसके बाद सोशलिस्ट पार्टी का नम्बर है।

***श्री शिवप्रसाद नागर**—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया। इसके पहले कि मैं कुछ कहूं मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी जो माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने मेरा बोझ बहुत हल्का कर दिया। इस ४० एकड़ की सीलिंग को उन्होंने नामुनासिब समझा। उधर से ही, श्रीमन्, यह आवाज है कि ४० एकड़ बहुत ज्यादा है। हमारी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने भी निश्चय किया है कि ४० एकड़ की सीमा इतनी बड़ी है कि इस सीमा को लेकर हम किसी भी प्रकार सारे प्रदेश के किसानों को भूमिधर नहीं बना सकते। बहुत-सा पोर्शन रह जायगा जो भूमिहीन रहेगा। इस विधेयक का जो मंशा है उसका हम स्वागत करते हैं। हमारी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी उसका स्वागत करती है। मंशा यह है कि "सामुदायिक हित के लिये यह आवश्यक है कि अधिक उत्पादन सुनिश्चित किया जाय तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिये तथा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये भूमि की इस प्रकार व्यवस्था की जाय जिससे अधिकतम लोकहित साधन हो, और भूमि का अधिक साम्यपूर्ण वितरण आवश्यक है।"

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात अब से २५ वर्ष पुरानी है जबकि हम सब लोग कांग्रेस में थे। उस वक्त इस बात को सोचा था। कभी जेल में बैठ कर ऐसी योजना बनाई थी और कभी कांफ्रेंस में विचार किया गया था। यह कोई नई बात नहीं है। सन् ४७ में स्वतंत्रता-प्राप्ति के फौरन बाद ही यह सीलिंग हो जानी चाहिये थी। मगर चूंकि सरकार के पास एक बड़ा काम था, उस वक्त जमींदारी एबालिशन एक बहुत बड़ा काम था, इसलिये देर हुई। सन् ५२ की पहली सरकार बनने पर, संविधान के लागू होते ही अगर जमींदारी एबालिश कर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दी गई थी तो सन् ५७ के एसेम्बली एलेक्शन के बाद फौरन ही यह सीलिंग आ जानी चाहिये थी। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कह देना चाहता हूं कि बाद मुद्दत के जो ये आए तो ये झोला लेकर, और जो हाउस ने टटोला तो वह खाली निकला।

लिखते हैं कि सीलिंग ४० एकड़ की करने जा रहे हैं। ढिंढोरा दो वर्ष पहले से पीट दिया। जिनके पास जमीन थी, सात-सात और आठ-आठ खातों में बटवारा हो गया। तुर्रा यह है कि हम ४० एकड़ की सीलिंग करने जा रहे हैं। ४० एकड़ की सीलिंग किस तरह से मुनासिब है जबकि ५ करोड़ एकड़ जमीन आज अन्डर कल्टीवेशन है और ५ ही करोड़ एकड़ के करीब काश्तकार हैं? एक एकड़ एक पर पहुंचती है। ५ आदमी के परिवार के लिये ५ एकड़ से ज्यादा नहीं पड़ती फिर भी, आप करना चाहते हैं तो २० एकड़ से किसी भी हालत में ज्यादा नहीं होनी चाहिये।

एक बात और कह देना चाहता हूं। यह सीलिंग जो है वह एक तस्वीर है। जिस तरह से किसी गाय का लीचर मर जाता है तो गाय दूध देना बन्द कर देती है और उसकी खाल खिचवाकर भूसा भर दिया जाता है और उसे गाय के सामने रख कर गाय को दुह लिया जाता है, ठीक उसी तरह से यह लीचर तैयार किया गया है। श्रीमन्, ऊपर से इसका बड़ा भारी टायटिल पेज है कि ४० एकड़ की सीलिंग कर रहे हैं, लेकिन इसके अन्दर कुछ भी नहीं है।

मैं आपकी आज्ञा से कुछ इसकी खामियों पर रोशनी डालना चाहता हूं। सबसे पहले उन्होंने परिवार की इसमें परिभाषा दी है जो इस प्रकार है "परिवार" का तात्पर्य पति या पत्नी जैसी भी दशा हो, आश्रित पिता, आश्रित माता, विवाहित पुत्रियों तथा पृथक हुए बच्चों से भिन्न बच्चों और पृथक न हुए पुत्र की बधू या विधवा से है। यह ५ आदमियों का परिवार इस प्रकार बना और जब लड़के की सुसराल में कोई नहीं रहा तो उसने कहा कि ४० एकड़ जमीन हमारे पास है, यह कहां जायगी, तो उसने सोचा कि उसे पिता के नाम करा लो और पिता ने लड़के के ऊपर दावा कर दिया कि यह हमको गुजारा नहीं देता, हमको पृथक कर दिया जाय और गुजारा दिलवाया जाय। वह सुसराल वाली ४० एकड़ जमीन पिता के नाम हो गयी। इस प्रकार एक ही परिवार में कितनी ही ४० एकड़ जमीनें हो जायगी। यह परिभाषा इस परिवार की की गयी है और अगर कानूनी रूप इसे दिया जाय तो यह बिलकुल गलत साबित होगी।

एक बात की तरफ मैं और ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं "इस खंड के प्रयोजनों के लिये बच्चा उस दशा में पृथक समझा जायगा जब भूमि पृथक रूप से उसके नाम अभिलिखित हो"।

हजारों-लाखों एकड़ पहले से ही अलग-अलग नामों से बट चुकी है, उनके नाम लिखा-पढ़ी हो चुकी है और यहां फिर अलग कर रहे हैं। बहुत गलत यह परिभाषा है। इस तरह से सीलिंग कहीं एक जगह टिक नहीं सकती और न सील हो सकती है। मैं इस बात को ईमानदारी से निवेदन करूंगा कि प्रवर समिति में जब यह जाय तो इस चीज को गौर से देखें और देख कर संशोधन करें और कोई ऐसी चीज लायें जिसमें सीलिंग ठहर सके।

एक बात की तरफ और ध्यान आकर्षित करूंगा कि जहां पर ४० एकड़ जमीन की बात कही गयी है, वहां एक बात की तरफ बिलकुल ध्यान नहीं रखा और वह यह कि जितने इनकम टैक्स पेयर्स हैं, हजारों की आमदनी है, उनके पास जमीनें भी हैं पचासियों एकड़, किसी के पास १०० एकड़, लेकिन ४० एकड़ जमीन रखने का अधिकार उसे भी होगा जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करता है। इनकम टैक्स पेयर है, बड़े-बड़े उद्योग-धन्धे हैं फिर भी वह ४० एकड़ जमीन का हकदार है। एक यह बड़ी भारी खामी है जिससे गरीबों का हक मारा जाता है।

इसमें एक स्पष्टीकरण दिया गया है जहां ४० एकड़ की बात कही गयी है "इस उप-धारा के अधीन अच्छी औसत प्रकार की भूमि से भिन्न भूमि के सम्बन्ध में अधिकतम क्षेत्र की

[श्री शिवप्रसाद नागर]

गणना में ऐसी भूमि के डेढ़ एकड़ जिसकी लागू मौरूसी दर तीन रुपये प्रति एकड़ से अधिक हो किन्तु पांच रुपये प्रति एकड़ स अधिक न हो, और ऐसी भूमि के दो एकड़ जिसकी लागू मौरूसी दर तीन रुपये प्रति एकड़ या उससे कम हो, अच्छी औसत प्रकार की भूमि के एक एकड़ के बराबर समझे जायंगे।"

यानी ५ रुपये प्रति एकड़ से ऊपर की जो जमीन है उसे ४० एकड़ प्रति परिवार रखने का अख्तियार है लेकिन जो २--३ रुपये प्रति एकड़ वाली जमीन है वह ६० एकड़ रखी जा सकती है और जो ३ रुपये से कम के भाव की जमीन है वह ८० एकड़ रखी जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-सी ऐसी जमीनें हैं जो ३ रुपये से कम के भाव की हैं लेकिन आज अगर वे दूसरों को ठीक से दी जायं तो ६, ८ और १० रुपये किसान उसके लिये देने को तैयार हैं। जमींदारी एबोलिश होने के समय जल्दी में बेतरतीबी से जमीनों को फेंका गया और कम से कम रेट पर वे जमीनें दी गयीं। फिर दूसरे ३ रुपये से कम वाली जमीन हो और जमीन अच्छी हो तो ८० एकड़ तक रखा जा सकता है और ३ व ५ रुपये के बीच की हो तो ६० एकड़ तक रखा जा सकता है और ५ रुपये से अधिक है लेकिन गांव के नजदीक है भले ही ऊसर हो, बंजर हो जो ४० एकड़ से ज्यादा नहीं रख सकता। इसलिये इस बात की जरूरत है कि यह प्रवर समिति में जाय और उसमें कुछ होशियार लोग बैठ जायं जो जमीन की किस्म को जानते हों कि किसको भूड़ कहते हैं, किसको गोसान, किसको ऊसर कहते हैं, जो जमीन की नजाकत व नफासत को समझते हों ताकि ठीक-ठीक जमीन का प्रबन्ध हो सके।

एक बात की तरफ और ध्यान आकर्षित करना हूं। इसमें जो एक विमुक्ति का क्लाज दिया गया है इसको जब मैंने देखा तो मालूम हुआ कि सरकार ने अपने लिये एक ऐसी किलेबन्दी की है कि जिसमें वह महफूज रहे। इसमें कहते हैं कि "वह भूमि जो १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा १४३ के अर्थ में उद्योग के काम में लायी जाती हो"। जितने बड़े-बड़े मिल-ओनर्स और फार्म हैं सब उद्योग से संबंधित हैं। एक बड़ा शोर सुना था, अखबारों में भी पढ़ा था कि उद्योगपतियों के जितने फार्म हैं, गन्ना मिल वालों के जितने फार्म हैं वे सब इससे एग्जेम्ट कर दिये जायंगे। उसके बाद मामला यह हुआ कि चिट्ठियां पहुंचीं, रिप्रेजेन्टेशन हुए और कांग्रेसी लोग मुख्य मंत्री जी के पास पहुंचे और उनसे कहा कि यह आप क्या करने जा रहे हैं, हम तो उस क्षेत्र में भी नहीं रह पायेंगे जहां का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वे कुछ डरे और उस क्लाज को निकाल दिया। मगर घूम कर ले आये दूसरे फाटक से कि उद्योग के काम में लायी जाती हो। जितना गन्ना फार्म में पैदा होता है बेचा नहीं जाता, उनकी मिलों में पेरा जाता है। उद्योग के काम में लाया जाता है। एक बड़ा सरल-सा मार्ग निकाल लिया है और यह किलेबन्दी है हमारी कांग्रेस सरकार की कि उद्योगपतियों के हित को सुरक्षित रखें ताकि सन् ६२ के एलेक्शन में कोई उद्योगपति यह न कह पाये कि तुमने हमारा कुछ छीन लिया और बड़ी से बड़ी इमदाद इस एहसान के बदले मिले ताकि यह तख्त ताऊस फिर इनको मिले। उपधारा (५) में लिखते हैं—

"वह भूमि जिस पर बाग हो किन्तु इसके अन्तर्गत कृषि योग्य भूमि नहीं है;"

अभी कल मैं लखीमपुर से आ रहा था तो कमलापुर की रियासत में जो महल बना है उसके आगे बहुत बड़ी आराजी पड़ी है। उसमें छोटे-छोटे पौधे सब जगह गाड़े हुए थे। पूछने पर मालूम हुआ कि यह जमीन छिन जाती इसलिये इसमें पौधे लगा दिये गये हैं। हजारों एकड़ जमीन इस तरह से बड़े-बड़े लोग बाग की तफसील में ला कर बचा लेंगे। इसलिये यह उपधारा ऐसी है जो सीलिंग करने में कदम-कदम पर रोड़े अटकायेगी। इसके नीचे उपधारा (६) में लिखते हैं—

"वह भूमि जिस पर चाय, काफी तथा रबड़ की रोपस्थलियां हों;"

बड़े-बड़े फार्म वाले सब ऐसी रोपस्थलियां बना लेंगे। इसलिये इस उपधारा द्वारा एक बड़ा सुअवसर प्रदान किया गया है बड़े-बड़े उद्योगपतियों को। इसी धारा १३ की उपधारा (१५) में एक बड़ी उम्दा बात लिखी हुई है कि—

"वह भूमि जो किसी भूतपूर्व विलीन राज्य के भूतपूर्व शासक के पास हो और जो उसके तथा भारत सरकार के बीच विलयन सम्बन्धी अनुबन्ध की शर्तों या उससे संलग्न संयार्श्विक पत्रों के कारण राज्य सरकार द्वारा बिना उस भूतपूर्व शासक की सहमति के अर्जित न की जा सकती हो" यह विमुक्त कर दी गयी। बड़ी-बड़ी जायदादें, खजाने, महल ऐश-आराम के सामान, यह सब कुछ उन भूतपूर्व शासकों के पास छोड़ दिया गया मगर उस क्षेत्र के काश्तकार दहाड़ मार कर रोयेंगे जबकि यह जमीन भी छोड़ दी जायगी जोकि उनको मिलनी चाहिये। रामपुर और बनारस की स्टेट्स में जो काश्तकार भूमिहीन हैं, जिस दिन धारा १३ की उपधारा (१५) के अनुसार सारी आराजी छोड़ दी जायगी तो उस दिन गरीब किसान दहाड़ मार कर रोयेंगे। सारे प्रदेश के किसानों को भूमि मिलेगी लेकिन इन किसानों के पास न तो सीलिंग होगी और न भूमि ही मिलेगी। इसलिये क्या रियायत की जा रही है और क्यों की जा रही है? इसलिये की जा रही है कि वे लोग जिनके यहां रेशम के और मखमल के गद्दे और तकिये हैं और सोने-चांदी के टी सेट्स हैं जब मंत्री जी वहां जाते हैं तो उनका बड़ा भारी स्वागत होता है, इसलिये माफी की जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और अर्ज करूं कि आप धारा १३ को देखें कि विमुक्ति की सारी धाराओं में एक ऐसी किलेबन्दी की गई है कि मजाल नहीं चींटी भी जा सके। एक जगह कहा गया है कि "केवल कृषि प्रयोजन के लिये प्रयोग की जाने वाली भूमि से भिन्न वह भूमि जो विशेषित फार्मों में सम्मिलित हो और जो अन्य रूप से कुक्कुट-पालन, दुग्ध-व्यवसाय या चारा उगाने के या इसी प्रकार के अन्य ऐसे कार्यों के लिये जो नियत किये जायं, प्रयुक्त होती हो" वह विमुक्त कर दी जायगी। आप गौर करें कोई भी चला आये उसका १०० एकड़ का फार्म हो वह ५०० मुर्गी पाल लेगा और वह एक अच्छी खासी पोल्ट्री हो जायगी। फिर उससे जमीन नहीं छड़ाई जा सकती है। मैंने देखा है कि किलेबन्दी की दीवार बहुत ऊंची है और इसमें बड़ी भारी हिफाजत की गई है।

मैं आखिरी धारा १८ की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जो इस प्रकार है कि "वह भूमि जो इस अधिनियम के प्रवर्तन के पश्चात् किसी सरकारी पट्टेदार को पुनरुद्धारण के पश्चात् कृषि के लिये या नियत विशेषित फसलों के लिये अथवा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये तथा ऐसी अवधि के लिये और ऐसी शर्तों पर जो नियत की जायं, पट्टे पर दी गयी हो" ऐसे आदमी सब बच जायेंगे और बड़े-बड़े भूमिपतियों को बचाने का प्रयास किया गया है। धारा १४ (१) की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि "यदि किसी व्यक्ति की भूमि जिस पर पान, केवड़ा, बेला, चमेली या गुलाब की खेती की जाती हो, प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक हो," इस प्रकार की खेती भी एग्जेम्प्ट है। जितने भी लोग हैं सब केवड़ा, गुलाब वगैरा बो देंगे। इसमें कितनी देर लगती है? हम यहां रोज फुलवाड़ी लगते तथा उजड़ते देखते हैं। इससे बड़े-बड़े फार्म बच सकते हैं। कोई उनको नहीं छू सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जन संघ के माननीय नेता ने यंत्रकृत फार्मों के लिये कहा है कि "राज्य सरकार यह कर सकती है कि ऐसी अवधि तक जो सार्वजनिक हित में आवश्यक हो, किसी यंत्रकृत फार्म की (धारा ११ के अधीन अर्जित) अतिरिक्त भूमि का बंदोबस्त न करे और उसे राजकीय फार्म के रूप में चलाये और वह उक्त प्रयोजन के लिये किसी उपयुक्त व्यक्ति को प्रबन्धक के रूप में नियुक्त कर सकती है और यदि यंत्रकृत फार्म के धारक व्यक्ति (होल्डर) उपयुक्त हों तो उसे अधिमान देगी तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जाय, व शर्तें तय करेगी जिन पर उक्त प्रबन्धक कार्य करेगा।" उपयुक्त व्यक्ति कौन होगा? जिसका ५ हजार एकड़ का फार्म है वह होगा या हम लोग होंगे जो २०० रुपये पाते हैं और जब ५ दिन रह

[श्री शिव प्रसाद नागर]

जाते हैं उपाध्यक्ष महोदय, तो रोटियों के लाले पड़ जाते हैं और पड़ोस से आटा आता है तो खाना खाते हैं और हम उपयुक्त हो नहीं सकते। उपयुक्त कौन होगा? उपयुक्त होंगे नेवतिया जी जिनकी गोला मिल है और जिनके पास बड़ा भारी फार्म है। उपयुक्त होंगे गिरानी, अवध शुगर मिल के मालिक, जिनका पिपरा फार्म है। उपयुक्त होंगे सेठ किशोरी लाल जिन का महोली में मिल है। इन्हीं को फार्म दे दिया जायगा। उन्हीं के फार्म हैं उन्हीं को दे दिया जायगा क्योंकि वही इसके उपयुक्त हैं। इस जोरों की सुरक्षा की है। मैं तो माननीय मंत्री जी की बड़ी तारीफ करता हूं, वह हैं नहीं, उप-मंत्री जी बतला देंगे। उन्होंने बड़ी योग्यता के साथ इस क्लाज में ऐसी सुरक्षा कर दी है कि मिल वालों का एक भी फार्म, एक भी इंच जमीन नहीं निकल सकती। बात यह है कि जब उन्होंने कहा कि मिल ओनर्स एग्जेम्प्ट हो जायेंगे तो प्रदेश भर में हाहाकार मच गया। उसको शान्त करने के लिये धारा २५ में जो उपधारा (२) है उसमें यह कर दिया, "यदि यंत्रकृत फार्म का धारक व्यक्ति उपयुक्त हो तो उसे अधिमान देगी।" आज होल्डर कौन है? हमारा फार्म है तो हम होल्डर हैं। तो नीचे बड़ी आसानी से लिख दिया है कि "यदि यंत्रकृत फार्म का धारक व्यक्ति उपयुक्त हो तो उसे अधिमान देगी।" उसको पहले मिल जायगा।

एक बात की तरफ आपका और ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। धारा २५ की उपधारा (४) में, इसके खंड (क) और (ख) में लिखा है—"(क) यदि किसी गांव में १५ एकड़ से अधिक भूमि हो तो भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की निबन्धित (रजिस्ट्रीकृत) सहकारी कृषि-समिति के साथ, और

(ख) यदि किसी गांव में १५ एकड़ से कम भूमि हो तो अलाभकर खातेदारों की निबन्धित (रजिस्ट्रीकृत) सहकारी कृषि-समिति के साथ किया जा सकता है"।

अब जरा गौर फरमायें। सहकारिता की बात इसमें क्यों लायी गयी? हमने भी यह सिद्धांत बहुत पहले स्वीकार किया था। १९४७ से पहले हमने और उन्होंने एक साथ बैठ कर, एक जेल में, एक कांफ्रेंस में, एक कमेटी में बैठ कर यह सिद्धांत स्वीकार किया था मगर १९४७ से पहले ही हमारे यहां कोआपरेटिव सोसाइटीज अंग्रेज सरकार ने कायम की थीं। आज भी वह कोआपरेटिव सोसाइटीज मौजूद हैं। आज हमारे प्रदेश के किसान ने इस सहकारिता को नंगा करके, उलट पलट कर, इसके नग्न चित्र को देखा है। कहां-कहां देखा है? ग्रेन मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज, गन्ना मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज, भटठा कोआपरेटिव सोसाइटीज, क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटीज में देखा है और सबसे बड़ा नमूना सीड स्टोर कोआपरेटिव सोसाइटीज में देखा है। जो प्रचलित सहकारिता सरकार के नीचे चल रही है, यह सहकारिता सहकारिता नहीं है। यह किसानों को ध्वस्त कर देने वाली सहकारिता है। हम उस सहकारिता को स्वीकार करते हैं जिसको महात्मा गांधी ने अपने उपदेशों में बताया है, जिस सहकारिता की हमने १९४७ से पहले कल्पना की थी। आज अगर खेत किसानों से निकाले गये और भूमिहीनों को और जिनके पास अलाभकर जोतें हैं उनको न दिये गये और उनको दे दिये गये जो कि सहकारिता चलाने की बात है, जिसमें उसी तरह के कामदार, सुपरवाइजर, इंस्पेक्टर और डिप्टी रजिस्ट्रार तथा रजिस्ट्रार सीढ़ी दर सीढ़ी कायम रहे तो इसका सर्वनाश हो जायगा और हम आपको बताते हैं कि जिस सहकारिता के सिद्धांत को इधर और उधर दोनों तरफ बैठने वाले स्वीकार करते हैं उसको स्वीकार करते हुए भी यह जो सहकारिता है इस सहकारिता का तो गर्भ में ही गर्भपात हो जायगा, यह गर्भ में ही मर जायगी और आगे पनप नहीं पायेगी। एक बात और कहना चाहता हूं। (व्यवधान) altogether में अपनी पार्टी की बात कह रहा हूं। जो सहकारिता इस वक्त प्रचलित है वह निर्दोष नहीं है। वह सर्वथा दोषयुक्त सहकारिता है। हमारी पार्टी ने हजार बार इसकी आलोचना की है और हमारी पार्टी अब भी कहती है कि हम उसी सहकारिता को स्वीकार करते हैं जिसकी सन् ४७ के पहले हमने कल्पना की थी।

एक बात मैं यह कहना चाहता था कि साढ़े नौकरोड़ रुपया इसमें मुआवजे का रखा है। कहते हैं कि हम जब सीलिंग करेंगे तो साढ़े नौ करोड़ रुपया मुआवजा देंगे। क्यों देंगे ? क्या जरूरत है देने की ? कोई जरूरत नहीं थी इस बात की कि आप साढ़े नौ करोड़ रुपया गरीब जनता का उत्तर प्रदेश की साढ़े छः करोड़ जनता से हासिल करके जो कि डेढ़ रुपया प्रति व्यक्ति पड़ता है, वह लेकर आप कम्पेन्सेशन में दे दें। कोई जरूरत नहीं है कम्पेन्सेशन देने की। क्यों ऐसा सिद्धान्त स्वीकार किया गया ? क्या आवश्यकता थी कि कम्पेन्सेशन में साढ़े नौ करोड़ रुपया दिया जाता ? क्यों न प्रत्येक व्यक्ति पर ऐसा प्रतिबन्ध लगाया जाय कि वह अपनी खेती, अगर ४० एकड़ से अधिक उसके पास है, १०० एकड़ या १५० एकड़ है तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को दे जिसके पास दस या बारह एकड़ से ज्यादा न हो और रजिस्ट्रेशन या डीड के समय दस बारह या पन्द्रह एकड़ की एक सीमा निर्धारित हो कि इससे ज्यादा किसी को नहीं बेच सकता ? इस तरह से वह पैसा बच जाता और सभी लोगों को जमीन बराबर हम बांट सकते थे। लेकिन बात यह है कि जवाहर लाल जी ने ऊपर से यह कहा कि सहकारी खेती जरूर होनी चाहिये इसलिये कब्ल इसके कि पहले सहकारिता के उस कानून को बदलते, उसको दुरुस्त करते तब इसको लाते, आपने पहले यही ला दिया। अगर आप सहकारिता के कानून को ठीक करके तब यह बात कहते तो ठीक गुजरती, प्रत्येक किसान के गले उतरती और किसान उसका स्वागत करता। लेकिन जिस तरह की सहकारिता चल रही है ऐसी नष्ट-भ्रष्ट सहकारिता के अन्दर खेती लायी गयी तो खेती भी नष्ट-भ्रष्ट हो जायगी और किसान इसका स्वागत कभी नहीं करेगा।

श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में उपस्थित उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक को मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा। भावना जो इस विधेयक के उपस्थित करने में है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। लेकिन इस विधेयक में जो त्रुटियां हैं उन त्रुटियां के लिये मैंने यह सुझाव रखा है कि इसको जनमत जानने के लिये तीन महीने घुमाया जाय। विधेयक का समर्थन करते हुये, मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा करबद्ध प्रार्थना करते हुये यह कहता हूं कि इसमें कुछ बड़े आदमियों के पक्षपात और हितों की गन्ध आती है। इस बिल के अन्दर पहली चीज यह है कि इसमें बागात जो हैं वे मुस्तसना कर दिये गये हैं अर्थात् सीमा आरोपण से बरी हैं। एक-एक आदमी के सौ-सौ, दो-दो सौ, तीन तीन सौ बीघे के बाग हैं। लेकिन वे उससे अर्थात् सीमा आरोपण से मुस्तसना कर दिये गये हैं। ४० एकड़ जमीन जोत में दी गई है जो कि खेती करने वाली है और इसके अलावा तीन परिवार के लिये आठ-आठ एकड़ के हिसाब से २४ एकड़, दोनों मिलाकर ६४ एकड़ भूमि दी जायगी और ३०० एकड़ का बाग सब मिलाकर ३६४ एकड़ जमीन होती है। यह जो सीलिंग वाला मामला है इसमें जो आरोपण की सीमा निर्धारित की जा रही है उससे सीमा निर्धारित ठीक-ठीक नहीं होती है। इसमें बड़े आदमियों के लिये ज्यादा फायदा है और छोटे आदमियों के लिये कोई फायदा नहीं है। इसमें एक चीज और यह रखी गई है कि एक परिवार में ४० एकड़ जमीन रहेगी लेकिन अगर कोई खरीदे या उस सीमा निर्धारण के बाद उसको जमीन दी जाय तो १२॥ एकड़ से ज्यादा नहीं दी जायगी। जब उसको १२॥ एकड़ से अधिक जमीन नहीं दी जायगी तो बाकी आदमियों के लिये भी १२॥ एकड़ रखना था। अगर उनके लिये अर्थात् वृहत जोत वालों को ४० एकड़ रखी गई है तो उनके लिये अर्थात् खरीदने वालों या जिनको जमीन दी जाय उनको भी ४० एकड़ होना चाहिये। ऐसे सब आदमियों के लिये एक ही कानून होना चाहिये कि कोई भी आदमी जमीन खरीदे तो वह ४० एकड़ तक खरीद सकता है। कानून एक ही होना चाहिये। कानून में दुधारी तलवार इस तरह से आप चला रहे हैं कि एक आदमी १२॥ एकड़ से ज्यादा नहीं खरीद सकता है और एक आदमी ३५० बीघा या एकड़ जमीन रख सकता है, बागवाली भूमि जिसको वह बाद में मजरुवा कर सकता है उसको बेच सकता है और तोड़कर दूसरे काम में लाकर बिजनेस कर सकता है। बाग जो मुस्तस्ना किये गये हैं उनकी सीमा नहीं रखी गई है कि कितने बीघे का बाग खरीद सकता है।

[श्री गुप्तारसिंह]

उसके लिये न १० बीघा, न २० बीघा और न २५ बीघे की कोई सीमा है। वह चाहे जितनी रख सकता है। जितने भी बाग उसके पास हैं, वे उसके लिये मुस्तस्ना हैं। उसकी सीमा भी निर्धारित नहीं हैं जो होनी चाहिये। जब आप सीमा निर्धारण का कानून बना रहे हैं और बागों को तरजीह दे रहे हैं तो उसके लिये भी सीमा होनी चाहिये कि एक परिवार इतना बाग रख सकता है। अगर एक परिवार एक हजार बीघा बाग खरीद ले और उस बाग को परिवर्तित करके तुख्मी आमों की जगह कलमी आम या नीबू, कटहल आदि लगा ले और अपना बाग कायम रखे तो वह बड़ा भारी कैपिटलिस्ट बन सकता है। बाग की इसमें कोई सीमा नहीं है कि कितना बाग वह रखे। इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि बागों की भी सीमा निर्धारित होनी चाहिये कि इतने बीघे से अधिक बाग वह नहीं रख सकता है।

इसमें एक और धारा है जिसमें यह कहा गया कि जो जमीन सीमा निर्धारण से बचेगी उस पर सहकारी खेती होगी, यह ठीक है। परन्तु मेरे एक भाई सहकारी खेती का मजाक उड़ा रहे थे। वह कह रहे थे कि सीड स्टोर को देख लिया जाय, बीज भंडार को देख लिया जाय, कोआपरेटिव सोसाइटीज को देख लिया जाय। यदि हम इस प्रकार से समझते हैं कि देखना चाहिये तो क्यों न अपने यहां की नैतिकता को देख लिया जाय? जब हमारा समाज ही ऐसा है तो फिर किसका इसमें अपराध है? अगर हम इस बात को मान लें कि सब दूषित ही है तब तो हम दुनिया में कोई काम करने के लायक ही नहीं हैं और हमको कोई खतरा ही नहीं लेना चाहिये। बस वही मिसाल होगी कि "न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी"; न तो हम खतरा उठाने के लिये तैयार होंगे और न खतरों से पार होंगे।

श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)—हम तो हाई कोर्ट में देख चुके।

श्री गुप्तारसिंह—हम भी देख चुके हैं। आप पंचायत को देख चुके, आप लेखपाल को देख चुके, जो आपने यहां पर दिल से स भवन में कसम खाई है उसको भी हम देख चुके हैं। अब आप और क्या बतलाते हैं? जिस तरह से आप भट्ठा लगाते हैं वैसा ही ईंटा पाते हैं उसको भी देख लिया है। जिस प्रकार की संतान पैदा करते हैं वैसे नौकर पाते हैं। बेईमान नौकर जो कि लोगों ने अपने घरों से दिया, उसको भी हम जानते हैं। आप भट्ठा लगाते हैं और चौथे नम्बर का ईंटा पकाते हैं तो फिर क्यों न उसको लौना लगे? जब हम संतान बेईमान पैदा करते हैं तो सरकार में आकर वह कैसे ईमानदार हो जायेंगे? वे लोग नौकर हैं और अपने समाज के अंग हैं लेकिन आप चाहते हैं कि लेखपाल बड़ा ईमानदार हो पर हमारा समाज बेईमान रहे यह असम्भव है। आपका कंसालिडेटर ईमानदार हो, आपका डिप्टी कलेक्टर ईमानदार हो, लेकिन हम गांव में रहने वाले बेईमान हों; हम सोचते हैं कि हमारा लड़का दो सौ रुपया तनख्वाह पाता है इसलिये लड़की के लिये कोई लखपती घर मिलना चाहिये जिसने ब्लैक मार्केट ज्यादा किया हो। जब तक आप चरित्र की ऐसी इज्जत करेंगे और उसको लड़की देने के लिये तैयार होंगे जो अधिक धन वाला हो, चाहे जितना बेईमान हो उस समय तक उत्थान नहीं होगा। धन तो करप्शन से आता है। धन का साधन है अन्याय, फौज का साधन है हिंसा, मेरे कहने का मतलब यह है कि हमको चरित्र निर्माण करना चाहिये। सहकारी खेती उन भूमिहीनों को दिलाना चाहिये कि जिनके पास भूमि नहीं है और उसका एक नमूना सरकार की ओर से ईमानदारी से चलवाना चाहिये और उसमें हमको पूरा-पूरा सहयोग देना चाहिये। अगर हम भवन में बैठने वाले कहें कि हमारे बैठने की कुर्सी टेढ़ी है, कुर्सी टेढ़ी है तो ऐसा कहने से वह सीधी नहीं होगी जब तक हम उसको सीधी नहीं करेंगे। जितनी बातें आप सदन में कहते हैं उतनी ही बाहर कहें। बाहर तो आप सरकारी नौकरों से कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने को तैयार हैं, वहां तो आप डिप्टी कलेक्टर से दोस्ती कर के जाली मुकदमें चलवाते हैं, जिसका प्रमाण है, चाहे किसी पार्टी की बात हो, प्रजा सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, जनसंघ अथवा कम्युनिस्ट और अगर मैं इसे साबित न कर दूं तो इस विधायकपन से स्तीफा दे दूंगा और जो चाहता हो, चले मेरे साथ जांच करने के लिये। (व्यवधान) मैं तो अपनी बात कहता हूं, आपका अनुभव नहीं जानता। मैं तो यह कहता हूं कि सदन में आप जिन

लोगों को बेईमान बनाते हैं, बाहर जाकर उन्हीं को मित्र बनाते हैं, उनकी मदद से झगड़े लगवाते हैं और मुकदमे चलवाते हैं और कहते हैं कि भ्रष्टाचार बन्द हो, चरित्र भ्रष्ट न हो। भ्रष्टाचार बन्द करना चाहते हैं तो अपनी पार्टी में बंद करिये। बाहर जा कर देखिये कि वह व्यक्ति जो लड़की भगा ले गया है और उसके जुर्म में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से डिस्चार्ज किये गये हैं वह किसी पार्टी के नेता हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन वही महात्मा गांधी और जवाहर लाल को गाली देते हैं। (व्यवधान)

श्री राजनारायण--भ्रामक वाक्य नहीं होना चाहिये। नाम लीजिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--अब चरित्र निर्माण काफी हो चुका। आप आगे चलें।

श्री गुप्तारसिंह--कुछ जिक्र उधर से किया गया था इसलिए मैंने कहा। (व्यवधान) मैं बैठता नहीं।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)--मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह बिल किसानों का है और इसमें चाहे इधर के माननीय सदस्य हों अथवा उधर के बोलने वाले जो किसान हों उनको ज्यादा समय दिया जाय और बोलने के लिये समय निर्धारित किया जाय, १० मिनट का समय सदस्यों के लिये और १५ मिनट का बड़े से बड़े नेता के लिये। उपनेता के लिये वही १० मिनट का समय रखा जाय। ज्यादा समय किसी को न दिया जाय क्योंकि यह बिल किसानों का बिल है। यह बिजली बिल नहीं है न सूचना का बिल है। श्रीमन्, मेरा सुझाव है, यह एक प्रस्ताव है। वह-वह चीजें मैं बताऊंगा कि जिन तक हमारी सरकार नहीं पहुंची है। लाखों एकड़ छिपी हुई जमीन सदन के सामने रख दूंगा।

श्री त्रिलोकीसिंह--उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं माननीय सदस्य से एक इत्तला हासिल करना चाहता था, उन्होंने एक लड़की भगाने का जिक्र किया, कुछ जवाहर लाल जी का नाम लिया, कुछ यह भी कहा कि इधर के बैठने वाले इस किस्म की शिकायत नहीं कर सकते हैं--तो मैं आपकी इजाजत से दरियाफ्त करना चाहता हूं कि उनकी शिकायत करने की कहीं यह वजह तो नहीं है कि वह यह समझते हैं कि तुम ही इतने बुरे हो जितने जवाहर लाल जी खराब हैं, इसलिये "सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले जिसमें ७२ छेद।" क्यों उन्होंने ऐसी सलाह इधर वालों को दी ?

श्री गुप्तारसिंह--श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, उधर से कहा गया कि आपकी गवर्नमेन्ट भ्रष्टाचारी है, तब मैंने बताया कि अगर गवर्नमेन्ट भ्रष्टाचारी है, उसके नौकर भ्रष्टाचारी हैं तो वे हैं तो तुम्हारे घर के ही। जब आप ही भठ्ठे लगवाओ और पकावो ईंटें फोर्थ क्लास, पर मकान बने मजबूत, यह कैसे होगा ? जब आप लोग स्वयं उनसे बेइमानी करवाते हैं, आप में और उनमें क्या फर्क है ? वह आदमी तो दिखाये हमें हरिश्चन्द्र ...

श्री उपाध्यक्ष--अब आप विधेयक पर बोलें।

श्री गुप्तारसिंह--तो जो सहकारिता का इसमें विधान रखा गया है, सहकारिता को मैं अपने खयाल से समझता हूं कि अच्छी है जबकि हरिजन को, बैकवर्ड या किसी पिछड़े वर्ग को जमीन देने का इरादा है जिसके पास जमीन नहीं है। वह गरीब हरिजन जिसके पास जमीन नहीं है तो उसको बैल का भी प्रबन्ध करना पड़ेगा, हल का, बीज का, नराई का, औजारों का प्रबन्ध करना पड़ेगा जबकि उनको जमीन दी जायगी और वह साधनहीन हैं। तो असली बधिया और हर जिनके हैं, जिस मालिक के यहां वह जमीन जोतते हैं वही जमीन जोतेंगे, नाम का जाली पट्टा बना रहेगा कुछ दिन में जमीन बिक जायगी। ३ बीघे के अन्दर, ५ बीघे के अन्दर न वह बैल-बधिया खरीद सकता है, न लगान दे सकता है, न खेती के औजार मंगा सकता है ऐसी हालत में सहकारी खेती करना आवश्यक है।

[श्री गुप्तारसिंह]

हमारे जनसंघ के एक बड़े भारी नेता ने कहा कि जो यंत्र वाली जमीन है वह ४० एकड़ से मुस्तसना हैं। जब मैंने विधेयक को देखा तो चूंकि मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मेरी समझ में नहीं आया, वह ज्यादा पढ़े हुये हैं यही कारण हो सकता है। मैंने पढ़ा कि ४० एकड़ ही यंत्र वालों को जमीन रहेगी, अधिक नहीं रहेगी। हां, एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि ४० एकड़ के वितरण में व्यवसाय नहीं देखा जाता। एक आदमी डाक्टर है जिसकी आमदनी ५० रुपया रोज है, ४० एकड़ उसको भी मिलता है और एक आदमी जिसके घर में ११ आदमी हैं और खेती करने वाले हैं और कोई व्यवसाय नहीं है और पढ़े लिखे ज्यादा नहीं हैं उनको भी ६४ एकड़ मिलता है। मैं कृषक और ग्रामीण हूं, मैं देखता हूं मेरे दिल के भीतर यह कोंचता है कि जमीन ऐसे आदमियों को जैसे डाक्टर हैं जिसको ५० रुपया रोज मिलता है उसको भी ६४ एकड़ मिलती है और एक परिवार जो हल लेकर खेती करता है, जिसका और कोई व्यवसाय नहीं है और १५ आदमी घर में हैं उसको भी ६४ एकड़ जमीन मिलती है बल्कि उसको १२ १२ एकड़ ही मिलती है अगर वह बड़ा फार्मर नहीं है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती और मैं प्रार्थना करता हूं कि इसका खयाल रखेंगे कि जो व्यवसायी हों, फैक्टरी वाले हों, डाक्टर हों जिनकी आमदनी १ हजार रुपया हो, या सरकार चाहे तो दो हजार कर दे वैसे मैं तो चाहता हूं कि ५०० ही रखी जाय, इससे ऊपर की आमदनी वालों की जमीन कम करनी चाहिये और उनको जमीन देने में विचार करना चाहिये कि उनको दी भी जाय या न दी जाय। जो खेती का काम नहीं करते हैं, उनकी एक दुकान बड़ी भारी कलकत्ते में खुली है कपड़े की, कानपुर में लोहे की दुकान है और एक दुकान बम्बई में है और साथ ही ६४ बीघे खेती भी है, तो इसका सर्वे किया जाना चाहिये कि कौन जरूरतमन्द है और किसको जमीन मिलनी चाहिये। अगर बाल बनवाने की जरूरत पड़ती है तो देखना चाहिये कि बाल बनाना कौन जानता है, दर्जी के लिये देखना है कि कौन कैंची पकड़ सकता है और कौन काट छांट कर कपड़े सी सकता है। वह तो है डिप्टी कलेक्टर लेकिन उनको अगर दर्जी का ठेका दे दिया जाय तो यह बात न्याययुक्त बात नहीं जंचती है। वैसे ही जमीन का भी मसला है।

श्रीमन्, मुझे ज्यादा बोलना नहीं है। एक बात यह कहनी है कि इस विधेयक के अन्दर जो प्रस्तुत किया गया है उसमें एक परिवार ५ आदमियों का रखा गया है, माता, पिता और लड़के मान लीजिये किसी का बाबा भी जिन्दा है, और खुदा न ख्वास्ता अगर आजी भी जिन्दा है तो एक तरफ तो लड़के अलग हो गये तो उनका क्या होगा? सिर्फ बाप तक ही इसमें परिवार में शामिल है, इसलिये मेरी प्रार्थना है कि अगर बाबा और आजी जिन्दा हों तो उसको भी परिवार में जोड़ लेना चाहिये।

एक चीज और है। एक भाई ने यह कहा---शायद ज्यादा पढ़े होने की वजह से वह कह गये---कि पहले जमीन का सर्वे कराया जाय और जमीन की किस्म और लगान का निर्धारण किया जाय। वह तो इसमें निर्धारण है ही। जो जमीन तीन रुपये से ऊपर और ५ रुपये से नीचे लगान की होगी उसे एक एकड़ की जगह डेढ़ एकड़ दी जायगी और जो जमीन ३ रुपये से ऊपर नहीं है उसको एक एकड़ की जगह पर दो एकड़ मिलेगी। लेकिन वह कहते हैं कि फिर सीमा निर्धारण की जाय। मैं कहता हूं कि इससे ज्यादा अच्छा इंतजाम शायद ही हो सकता हो, मैं नहीं कहता कि हो नहीं सकता, हो सकता है लेकिन विधेयक में यह दिया हुआ है। लगान का निर्धारण है। इस विधेयक में इन सब चीजों के होते हुये भी मुझे दुख है कि इसमें फिर आगे सीमा नहीं दी गई है। आज एक परिवार ६४ एकड़ लेकर बैठ गया, एक आदमी, बाप, के नाम ६४ एकड़ बाग की जमीन है उसके लड़के जुदा होकर मान लीजिये ८ लड़के हैं---वह साढ़े १२ एकड़ अलग-अलग खरीद लेते हैं यानी १०० एकड़ खरीद लेते हैं और बाप के मरने के बाद ६४ एकड़ जमीन के भी वारिस होते हैं जो बाग है और इसको साफ कर देना चाहिये कि ६४ एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं हो सकती। हालांकि इसके अन्दर एक प्राविजन उसके बारे में भी है जिसको मैं कह रहा हूं लेकिन वह साढ़े बारह एकड़ वालों के लिये है, ४० एकड़ वालों के लिये नहीं है। इसलिये इसको साफ होना चाहिये।

अन्त में अपने भाषण को समाप्त करते हुए और विधेयक का समर्थन करते हुए यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि बागों का भी ध्यान रखा जाय और उनकी भी सीमा निर्धारित की जाय कि कितने आदमियों के लिये कितना बाग चाहिये। इसके बाद मैं बैठता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। हमारे पास जो प्रोग्राम है वह २८ तारीख तक का है और यह जो पूरक बजट प्रस्तुत किया गया है उस पर कब बहस होगी यह हमको मालूम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—आप केवल सूचना चाहते हैं। आप हमारे सेक्रेटेरियट से पूछ लीजिये आपको मालूम हो जायगा।

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, हमें ४३१ के बीच में मालूम होता है सिर्फ १० आदमी पढ़े-लिखे हैं। उनके सामने कलम, दावात, पेन्सिल, कागज उनकी मेजों पर रखे हुए हैं। उनको छोड़ कर बाकी सब नेता, उपनेता, सब अपढ़ हैं ऐसा मालूम होता है क्योंकि उनके ही सामने कागज, कलम, दावात रखी हुई है।

श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—मैं इस बिल को जनमत संग्रह में भेजने के प्रस्ताव को सपोर्ट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने इस बिल को पढ़ा है। इस बिल में तो बहुत अच्छा स्वर्ण आवरण चढ़ाया गया है और कहा गया है कि यह सार्वजनिक हित के लिये लाया जा रहा है और किसानों और मजदूरों के लिये लाया जा रहा है और इसलिये लाया जा रहा है ताकि उन गरीबों और भूमिहीनों को भूमि देकर और खेती का उत्पादन बढ़ायें। लेकिन इसमें माननीय मंत्री जी ने यह नहीं देखा कि उनके पास जमीन कितनी है? उनके पास हिसाब क्या है जिसके ऊपर वे इसे ला रहे हैं। हमारे सूबे में कुल ५ करोड़ ४५ लाख एकड़ जमीन है जिसमें से ४ करोड़ २ लाख २० हजार एकड़ जमीन खेती में है। सूबे में ६ करोड़ ३२ लाख की आबादी है। ८६ फीसदी आदमी देहातों में रहते हैं। ५ करोड़ ४५ लाख ९० हजार आदमी देहातों में रहते हैं। अब यह बिल किनके लिये आया है? म्यूनिसिपैलिटियों से तो इसका ताल्लुक नहीं है, यह देहातों के लिये आया है। ५ करोड़ की जन संख्या के लिये आया है। इस जन संख्या में खेती करने वाले आदमी कितने हैं। इनमें से ८० फीसदी आदमी खेती करने वाले हैं। खेती करने वालों की संख्या क्या है? ३ करोड़ ९३ लाख ६१ हजार ३५ की संख्या ऐसे आदमियों की है जो अपनी जमीन पर खेती करते हैं और जो परायी भूमि पर खेती करने वाले हैं उनकी संख्या ३२ लाख ५५ हजार ८१५ है और खेतिहर मजदूरों की संख्या ३६ लाख १२ हजार २ सौ ९ है। अब खेती करने वालों के लिये आप सीलिंग करेंगे ४० एकड़ से ऊपर की। लेकिन आप हिसाब लगाइये कि आपके सूबे में कि ३० एकड़ के कितने काश्तकार हैं। सन् १९५४-५५ में मेरठ डिवीजन में ४ हजार ३ सौ २१ काश्तकार ऐसे हैं जिन पर ३० एकड़ से ऊपर जमीन है और उनके पास रकबा २ लाख ७१ हजार ७ सौ ५४ एकड़ है। आगरा डिवीजन में २,७५७ काश्तकार ऐसे हैं जो ३० एकड़ से ऊपर वाले हैं और जिनके पास रकबा १,५६,९१३ एकड़ है। बरेली डिवीजन में १,९१७ काश्तकार ऐसे हैं जिनके पास रकबा २,५५,९६३ एकड़ है। इलाहाबाद डिवीजन में ७३६ ऐसे काश्तकार हैं जिनके पास रकबा ६२,२४५ एकड़ है। झांसी डिवीजन में ३,४९० ऐसे काश्तकार हैं जो ३० एकड़ से ऊपर वाले हैं और जिनके पास रकबा २,८७,६८७ एकड़ है। बनारस डिवीजन में १,१९९ काश्तकार ऐसे हैं जो ३० एकड़ से ऊपर वाले हैं और जिनके पास रकबा १,१९,६९९ एकड़ है। गोरखपुर डिवीजन में १,९५५ काश्तकार ऐसे हैं जिनके पास रकबा १,९७,४४५ एकड़ है। नैनीताल में ४२२ काश्तकार ऐसे हैं जिनके पास रकबा ८,८८,५१६ एकड़ है। लखनऊ डिवीजन में २,६६१ ऐसे काश्तकार हैं जिनके पास रकबा २,५८,९१४ एकड़ है। फैजाबाद में २,८०६ ऐसे काश्तकार हैं जिनके पास २,२३,००३ एकड़ है। इस तरह से कुल काश्तकार २२,२३४ हैं और कुल रकबा १९,००,६४८ एकड़ है। यह रकबा ३० एकड़ से ऊपर वाले काश्तकारों के पास है। अब आप इसको घटा कर ४० एकड़ के हिसाब से हर परिवार में बाटने के लिये कानून बना रहे हैं। वह

[श्री टीकाराम]

इसलिये बना रहे हैं कि जिनके पास जमीन नहीं है उनको और जो भूमिहीन हैं उनको हम जमीन दे सकें। और क्या करेंगे आप? अगर गांव में १५ एकड़ जमीन मिल जायगी तो उनको सहकारी खेती के आधार पर बांटेंगे।

हमारे गांव का रकबा ४,११९ एकड़ है और उसमें ५ काश्तकार ऐसे हैं जिनके पास ४० एकड़ से ज्यादा जमीन है। बाकी सब काश्तकार ऐसे हैं छोटे से छोटे तक २० एकड़ तक के। ३० एकड़ तक के तो बहुत कम हैं। मेरे जिले में बहुतेरे गांव तो ऐसे हैं जिनमें जानवरों के खड़े होने तक की जमीन नहीं है। तहसील गुन्नौर के इलाके में मैं देख आया हूं कि वहां जानवर आज के दिन में अपने-अपने खूंटे पर बंधे रहते हैं क्योंकि तमाम जमीन में मक्का बो दिया गया है जिससे जानवरों के चरने तक की जमीन नहीं है। तहसील गुन्नौर में जिस काश्तकार के पास २५ बीघे जमीन हो वह बहुत अच्छा काश्तकार माना जाता है। वहां की जमीन दो फसली है, मक्का के बाद रबी बो देते हैं और बेंड़ के कुवें लगाते हैं। जब आपके यहां जमीन की यह हालत है तो आप सीलिंग कर रहे हैं ४० एकड़ की, ६४ एकड़ की और ८० एकड़ की। आपने सीलिंग के लिये यह रखा है कि ५ और ६ रुपये जिस जमीन का लगान हो वह तो अच्छी जमीन मानी जायगी और अगर ३ रुपये की कोई जमीन होगी तो आप उसे दुगना यानी ८० एकड़ दे देंगे। आप हिसाब लगा कर देखें कि आपके पास सरमाया कहां है जो आप ८० एकड़ देंगे और ९० एकड़ देंगे। मैंने जो यह हिसाब बतलाया वह हिसाब अपने ही सूबे का तो है, फिर आप ८० एकड़ और ९० एकड़ एक-एक परिवार को कहां से देंगे। तुर्रा आपने यह लगा रखा है कि दफा १३ में १८ मदें हैं जिसमें कहा गया है कि बाग लगाने वाले को हम छोड़ देंगे। मैंने देखा है कि तीन-तीन साल से लोगों ने अपने खेतों में पेड़ों को लगा-लगा कर भर दिया है उनको आप नहीं छू सकेंगे। १० मई, १९५९ तक जो बाग लगे हुए हैं उनको आप नहीं लेंगे। फिर कौन ऐसा है जो मेरे कद के बराबर खेतों में लगाये हुए पेड़ों को बाग नहीं कहेगा। मेरे यहां के लोगों ने बहुत से पेड़ लगाये जिसके लिये उन बड़े आदमियों को सरकार से इसके लिये तकावी भी मिली है, वे पेड़ सब के सब गल गये लेकिन उनको भी आप छूट दे देंगे। बाग के लिये आप बोलेंगे नहीं, पशुपालन विभाग से आप बोलेंगे नहीं, कुक्कुट पालन विभाग से आप बोलेंगे नहीं तो फिर आप किससे बोलेंगे, किसकी जमीन छीनेंगे? जमीन कोई रबर तो है नहीं जो तान कर इसे बढ़ा लेंगे। आप हिसाब देखें, अपनी जमीन को देखें, सिंचाई की फेहरिस्त को देखें, आपके पास जमीन कितनी है और आबादी कितनी है? आप ने बिल लाकर रख दिया कि इस बिल के द्वारा हम बटवारा करेंगे। तुम्हारे इस बिल की तारीफ को सुनकर बड़े-बड़े आदमियों ने सैकड़ों बीघा बाग और मकान बना दिये आपको छटांक भर और पौआ भर जमीन भी नहीं मिलेगी। भले ही कोई बेवकूफ रह गया हो जो न जानता हो अक्लमन्द जमींदारों से तो जमीन मिलने वाली है नहीं। वैसे ही आप ने तमाम रियायतें रख दी हैं १८ रियायतें तो दफा १३ में ही हैं, उनके बारे में मैं क्या कहूं। आप ने परिवार की भी बड़ी अच्छी परिभाषा की है, दादा दादी गिनती में नहीं आवेंगे अगर किसी के लड़के हो गये तो दस अट्ठे अस्सी का हिसाब हो जायगा और फिर बाग लग जायंगे। इस तरह से तमाम जमीन कुक्कुट पालन में, गौशाला में निकल जायगी जो बड़े-बड़े गन्ना फार्म आदि हैं उन को तो जाने ही दीजिये।

यह बड़ा अच्छा बिल है, बड़ी सराहना की जाती है इसकी कि इस से हम भूमिहीनों को और गरीबों को रोटी देंगे और सब को समृद्धिशाली बना देंगे, गल्ले की कमी नहीं रहेगी, लोग सम्पन्न हो जायंगे। आप ने खेती का हिसाब देखा है जो जमीन आज से दस साल पहले ३ मन बीघा देती थी आज वह सल्फेट आफ अमोनिया के डालने से १२ बड़ी बीघा का अनाज भी नहीं दे रही है। हमारा तजुर्बा है कि जितना जमीन को बाल्टी रहट या कुयें का पानी मुफीद पड़ता है उतना ट्यूबवेल या नहर का नहीं पड़ता वह तो जमीन में ठंडक पैदा करता है और जिस गर्मी की खेती को जरूरत रहती है वह उसमें नहीं रह जाती और जमीन बेकार हो जाती है। आप की हालत तो यह है कि आप बाजार की होटल की रोटी

से पब्लिक को जिन्दा रखना चाहते हैं, १२ आने की खूराक से कैसे जिन्दा रखोगे। जितना छोटा काश्तकार अपने शरीर की मेहनत से अनाज पैदा कर सकता है उतनी उपज बड़े काश्तकार कभी नहीं कर सके।

सहकारी खेती का बड़ा ढिंढोरा पीटा जाता है। हमारे गांव में २९ तारीख को मीटिंग बुलाई गई उस में जिला कोआपरेटिव के लोग थे और श्री रघुबीर सहाय पार्लियामेंट के मेम्बर भी जलसे में पधारे थे उन का भाषण हुआ कि सहकारी खेती बहुत अच्छी चीज है। इस पर एक आदमी खड़ा हो गया, कहने लगा कि अगर ३ भाई हैं और उनके पास ३६ बीघा जमीन है तो एक पर १२ बीघा हो जायगी, दूसरे पर १२ बीघा हो जायगी और तीसरे के लड़के हैं तो कैसे होगा। वह कहने लगे कि हम श्रम, सम्पत्ति और साधन तीनों को इकट्ठा कर के बटवारा करेंगे, गांव वाले नें कहा कि हमें यह बात समझा कर बताई जाय कि कैसे क्या होगा, जब तक करके नहीं दिखाओगे हमारी समझ में बात नहीं आयेगी। कोआपरेटिव हम देख रहे हैं, केन सोसाइटी हम देख रहे हैं, सब चीजें देख रहे हैं, भ्रष्टाचार और गबन की बात नहीं लाखों रुपया सुपरवाइजर लोग गबन कर के भाग गये और कुछ नहीं हुआ। यह बिल जो आप लाये हैं इस में सहकारी खेती का प्रबन्ध है, क्या कोई मैनेजर रखेगा? क्या किसी और तनख्वाह-दार को बढ़ाओगे? मेरे पास फार्म है, २००, २५० और १०० रुपये के नौकर हैं, १०० एकड़ जमीन है। अगर सरकार तनख्वाह न दे तो अपना खर्च भी पूरा नहीं कर मिलता। तो आप बीच में यह अड़ंगा सहकारी खेती का न लगावें। आप सहकारी खेती करें तो बड़ों-बड़ों में करें। छोटे-छोटों को उनके हाल पर रहने दें। एक बात और है। दो रोजगार जिसके पास हैं—खेती भी और दूकान भी। उसको भी ४० एकड़ दे दी। जिसके पास कई साधन हैं उनको तो आप रोक नहीं सकते क्योंकि विधान से बंधे हुए हैं। तो क्या प्रबन्ध करोगे? आपके पास और कोई तरीका नहीं है कि बिना उनको रोके जमीन ले आओ।

दूसरी बात कही गई कि यह विधेयक जो आया है वह हम इस नीयत से ला रहे हैं कि उन्नति हो और देश में यह भावना बढ़ जाय जिसकी वजह से सरकार के प्रति लोगों की सहानुभूति हो जाय और किसान यह समझे कि सरकार हमारी बहुत परवरिश कर रही है ताकि जो भावना किसानों की प्रतिकूल हो गई है वह भावना फिर जम जाय। तो बिना अमल किये हुए, बिना उसको लाभ पहुंचाए हुए यह नहीं हो सकता। जब तक मीठा न दिया जाय मुंह मीठा होने का नहीं।

लगान की बात कही गई है। जो लोग जमींदारी एबालीशन से पहले सीरदार और खुदकाश्त थे उन पर कोई लगान नहीं था। एक फर्जी लगान लगा करता था। उसके हिसाब से खाना पूरी होती थी। ५५–६० फीसदी सरकार ले लेती थी। उन पर लगान दर्ज नहीं था। जब सीर और खुदकाश्त टूटी और जमींदारी टूटी और सीर और खुदकाश्त की भूमिधरी बनी तो उनका लगान एक रुपया बीघा पुख्ता रहा। जब यह लगान है और अच्छी जमीन का है तो अब जमीन का बदलाव करेंगे। आपने अपने सर्किल रेट ५ रुपये फी बीघा रखे हैं। इसमें एक जगह आया है कि भूमिधर की अगर जमीन लेंगे तो ८० गुना देंगे। तो ८० गुना देने का मतलब हुआ कि वह जमीन ८० रुपया बीघा आप खरीदेंगे। ९ करोड़ रुपया आपने लिखा है कि ९ करोड़ रुपया देंगे। जहां ९ करोड़ रुपया आप देने को तैयार हैं वहां हमारी बात सवा छः एकड़ की क्यों नहीं मानते जिससे कि १० करोड़ रुपया बच जाय? तो जहां ९ करोड़ देते हैं वहां १० करोड़ रख देते। सन् १९४३–४४ में जब हम कांग्रेस में थे तो सरकार अगले साल चुनाव में जब आयी तो दो साल का लगान माफ कर दिया और सन् १९४६ में इतने वोट मिले कि तुम अंधाधुन्ध मालामाल हो गये। अब तक आप लगान माफ नहीं करेंगे तब तक मुश्किल है किसान को हाथ में ले लेना। और तुमने तो यह समझ रखा है कि किसान से ज्यादा मालदार कोई नहीं है। जो ठैक्स देखो वह किसान

[श्री टीकाराम]

पर। गांव सभा टैक्स, विधान परिषद् टैक्स, जो लगाओ वह किसान पर। तो आप उसी बैल को जो काम करके तुम्हें खिला रहा है उसी को ज्यादा हन रहे हैं इससे आप कामयाब नहीं होंगे।

श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह (जिला गोंडा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन का प्रस्ताव श्री गोबिन्द सिंह ने पेश किया है उसके समर्थन हेतु मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जो विधेयक प्रस्तुत हुआ है इसमें बहुत सी त्रुटियां हैं। जैसे इसमें जो परिवार की परिभाषा की गयी है उसमें यह स्पष्टीकरण है कि आश्रित माता और पिता। तो यह किस तरह से साबित किया जायगा कि कौन आश्रित है और कौन आश्रित नहीं है। लार्ज होल्डिंग्स ऐक्ट के अन्दर भी इसी प्रकार की बातें आयीं जिससे बहुत बड़ा विवाद पैदा हुआ और यह साबित करने के लिये अदालतों की दुहाई देनी पड़ी मगर कोई नतीजा नहीं निकला। इसलिये मैं चाहूंगा कि आश्रित माता और पिता की परिभाषा और साफ कर दी जाय और जो अलग हैं उनको अलग माना जाय क्योंकि इसी के स्पष्टीकरण में लिखा है कि "पृथक् हुए बच्चों से भिन्न बच्चों", यानी बच्चों में भी भिन्नता है। तो बच्चों में भिन्नता भी मानी गयी है कि अलग हों और माता-पिता आश्रित हों, तो इसके कोई माने नहीं रह जाते हैं। और माता-पिता भी शामिल माने जा सकते हैं।

दूसरी बात इस विधेयक के खंड १३ के उपखंड (५) में यह है कि "वह भूमि जिस पर बाग हो किन्तु इसके अन्तर्गत कृषि योग्य भूमि नहीं है"। यह दरअसल ग्रोव है लेकिन उसकी बजाय ग्रोव हो गया है। यह नहीं होना चाहिये कि हिन्दी में बाग रहे और अंग्रेजी में ग्रेव रहे। तो यह भी एक त्रुटि है जिसके कारण इसका प्रवर समिति में जाना अत्यन्त आवश्यक है।

(इस समय ४ बज कर १९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इसके अलावा जो बड़े-बड़े उद्योगपति भूमि रखे हुए हैं वे इंडस्ट्री के परपज का सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं और यह कह सकते हैं कि यह जमीन तो इंडस्ट्रीयल परपज के लिये है। नतीजा यह होगा कि जो असल में खेती करते हैं उनके ऊपर तो सीमा आरोपण होगा और जो बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिये कोई सीमा आरोपण नहीं होगा। यह इस विधेयक के खोखलेपन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक वर्ग विशेष के साथ तो रियायत की जा रही है और जो सिर्फ खेती पर ही अवलम्बित है उसके लिये सीमा आरोपण किया जा रहा है। इसलिये मैं चाहूंगा कि जो इंडस्ट्रियल परपजेज की जमीन है और जिन पर खती होती है वह सीमा के अन्दर मानी जाय। इस बिल के उद्देश्य और कारणों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। इसमें लिखा है कि "अतएव समाज के दुर्बल वर्ग के आर्थिक हित की उन्नति करने तथा सार्वजनिक कल्याण के हेतु यह विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है।" उनकी आर्थिक उन्नति करने के लिये नहीं बल्कि उनके आर्थिक हितों की उन्नति करने के लिये यह बिल है। इसके माने हैं कि उनमें प्रेरणा जगा दी जाय कि वह अपनी आर्थिक उन्नति करें और मिलेगा कुछ नहीं।

यह विधेयक जो लाया गया है इसमें कोआपरेटिव फार्मिग की व्यवस्था की गयी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इससे भूमिहीन, व खेतिहर मजदूर तो एक इंच भी जमीन नहीं पायेंगे और सिवाय कोआपरेटिव फार्मिग के और कुछ नहीं होगा। जो आगे चलकर श्रीमन्, कलेक्टिव फार्मिग हो जायगा। गवर्नमेंट के फार्मों की पैदावार नहीं बढ़ रही है और हर साल उनमें घाटा आ रहा है। इसलिये अगर इससे फालतू जमीन मिलेगी और उसमें कोआपरेटिव फार्मिग हुई और गवर्नमेंट का नियंत्रण हुआ तो खाद्यान्नों की बढ़ोत्तरी नहीं होगी बल्कि घटेगी और जो मौलिक अधिकार हम लोगों को भारतीय संविधान के द्वारा मिले हुए हैं उनसे भी वंचित हो जायंगे क्योंकि सरकारी आदमी जब नियंत्रण करेंगे तो शेयर होल्डर्स का कोई भी स्वामित्व नहीं रह जायगा। इससे देहात की जनता को कोई लाभ नहीं होगा।

आज यह कहा जाता है कि जमींदार लोग देश की प्रगति में तथा किसानों की प्रगिति में बाधक होते हैं और इन लोगों की वजह से कुछ नहीं हो पाता है। मैं दावे से कहता हूं कि कोई भी जमींदार नहीं चाहेगा कि हमारे किसानों की दशा में या भूमिहीन मजदूरों की दशा में तरक्की न हो और वह लोग समान अधिकार न पायें और उनका समाज में उत्थान न हो। लेकिन जब हम देखते हैं सीमा आरोपण केवल देहात के लोगों की आमदनी पर ही किया जा रहा है और शहरों में जिनके कई-कई मकान और दुकान हैं और बड़ी-बड़ी मिलें हैं उनकी आमदनी पर कुछ नहीं हो रहा है तो हमें बड़ा दुख होता है। यह तो सिर्फ देहातियों के साथ सौतेली मां का सा बर्ताव किया जा रहा है।

श्रीमन्, मैं एक मामूली सा उदाहरण देता हूं। हमारी सरकार बराबरी का दावा करती है लेकिन जब बराबरी का सवाल आता है तो कुछ नहीं करती। जैसे ४३१ विधायकों में ही देख लीजिये। बड़े-बड़े बंगलों में मिनिस्टर्स रहते हैं और यदि हम लोग टेलीफोन करना चाहें तो १५ नये पैसे देने पड़ते हैं। जब इनमें ही समानता नहीं लाई जा सकती है जब कि वह भी जनता द्वारा चुने हुए हैं और हम भी जनता द्वारा चुने हुए हैं तो हमें शक है कि देहात की ८५ फीसदी जनता में कैसे बराबरी सरकार लायेगी।

मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा हूं बल्कि चुनौती दे रहा हूं कि अगर सरकार सब पर सीमा निर्धारण करे जैसे कि वह देहात की जनता की ३०० रुपये माहवार की आमदनी पर कर रही है तो हम अपनी सम्पूर्ण खेती तथा जायदाद देने के लिये तैयार हैं परन्तु हमारी समझ में नहीं आता कि देहातियों पर तो सीमा निर्धारित की जाय लेकिन शहर वालों पर न की जाय। आज सुनने में अच्छा मालूम हो रहा है और देहातियों को बरगलाने के लिये अच्छा है कि हम तुम्हारी आमदनी १५० रुपये फी आदमी कर रहे हैं। लेकिन वह बतायें कि कितने देहात के आदमियों की ३,६०० रुपये सालाना आमदनी की है। इसमें बात कुछ और है और करना कुछ और है। करनी में कुछ और है और कथनी में कुछ और है। मुझे खुशी होगी अगर हर देहाती आदमी की आमदनी सालाना ३,६०० रुपये हो जाय। मुझे सरकार बताये कि कितनों की ३,६०० रुपये सालाना आमदनी जमींदारी खत्म होने के बाद हो गयी है या निकट भविष्य में होगी। महज कोरे कागजों में लिख देने से या कह देने से यह समस्याएं हल नहीं होंगी। अगर सीमारोपण किया जाय तो हर चीज पर किया जाय। कोई वजह नहीं है कि शहर में लोग कई मकानों को रखें, कम्पनी के नाम पर करोड़ों रुपये का रोजगार करें। गन्ना तो सस्ती क़ीमत पर लिया जाय और जब चीनी तैयार हो तो मंहगें दामों पर बेच कर एक विशेष वर्ग को मुनाफा मिले और महज इसलिए कि सरकार को बड़ी-बड़ी रक़में दे कर एलेक्शन आदि में मदद करते हैं।

जब जमींदारी उन्मूलन का प्रश्न आया तो मेरे जिले के कई प्रसिद्ध जमींदारों ने यह लिख कर भेजा था कि हम कोई मुआवजा नहीं चाहते हैं अगर इससे जनता का कल्याण हो। बदकिस्मती से उनमें से एक मैं भी था। मैंने भी लिखा था। लेकिन आज किसानों की क्या दशा है? किसी गांव में जा कर देखिये। आज उनको मृतक को जलाने के लिये लकड़ी तक नहीं मिलती है। इसी सदन में एक बार किसी साहब ने कहा था कि जमींदारी उन्मूलन के बाद किसानों में स्वाभिमान हो गया है। अब वे कम से कम मुर्गा तो नहीं बनाये जाते। परन्तु जमींदारों के जमाने में मुर्गा बनाये जाते रहे होंगे लेकिन आज तो अमीनों और पटवारियों के द्वारा उनकी क्या-क्या दशा नहीं होती? बकाया लगान होने पर उनकी सम्पत्ति नीलाम की जाती है, उनको हथकड़ियां लगायी जाती हैं। यहां तक कि जिन लोगों ने दस गुना में कम रुपया अदा किया और उन्होंने कहा कि हमारा रुपया लगान में मुजरा कर दिया जाय उनकी रसीदें नहीं बनायी जातीं। जिन बाढ़ क्षेत्रों में तीन, चार साल से लगान सस्पेंड था वहां पर एकमुश्त वसूली की जा रही है। अगर जमींदारों से कोई गांव की जनता खिलाफ हो जाती थी तो वह लगान मंनीआर्डर कर देती थी या अगर वह लगान नहीं देती थी तो जमींदार को दावा करना पड़ता था। आज उनके साथ वसूली में किसी तरह की रियायत नहीं की जाती।

[श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह]

क्या आज इसी तरीके से सरकार सीलिंग लगाकर जो गांव-गांव में तमाम अफसरान हैं बी० डी० ओ० , ग्रामसेवक, कोआपरेटिव कामदार, क्या दो, चार कामदार और अमलदार और पैदा कर के उनकी सम्पत्तियों को अपने कब्जे में करना चाहती हैं ? अगर देहात में कोआपरेटिव फार्मिंग हो गयी तो वह काश्तकार जो आज अपनी खेती स्वयं करता है और अगर उसके घर कोई मेहमान आ जाते हैं तो मकई की चार बालियां या एक सेर मटर ला कर खिला देता है, कोआपरेटिव फार्मिंग हो जाने के बाद वह जब तक अफसरों की आज्ञा नहीं पायेगा तब तक उसे खाने को नहीं मिल सकता। खेतों की हरियाली देख सकता है लेकिन खेत की पैदावार नहीं छू सकता। मैं कहूंगा कि जो मौलिक अधिकार हमारे हैं उनको न छीना जाय। जो जमीन का मालिक हो, गो वह दो एकड़ का हो या चार एकड़ का, जो कुछ भी दिया जाय वह उसकी हो, अपनी खुशी से जो फसल चाहे पैदा करे, किसी प्रकार का बन्धन सरकार द्वारा नहीं होना चाहिए। मैं इंडस्ट्रियल परपजेज के सम्बन्ध में पुनः निवेदन करूंगा। जमींदारी अबालिशन ऐक्ट की धारा १४३ में ये शब्द हैं :—

"A bhumidhar, who uses his holding or a part thereof for industrial or residential purposes, may apply to the Assistant Collector in charge of the sub-division for a declaration to that effect and the Assistant Collector in charge of the sub-division shall, on being satisfied after making such inquiry as he may consider necessary, make a declaration accordingly."

श्रीमन्, इसमें जो यह रखा गया है कि इंडस्ट्रियल परपज के लिये जो भूमि है, वह भूमि इसमें नहीं समझी जायगी, तो मुझे इस बात का बड़ा भारी शक है कि जैसे सरइया शुगर आदि मिल का बहुत बड़ा-बड़ा फार्म है, ये लोग इंडस्ट्रियल परपज के लिये डिक्लेयर करा सकते हैं। इसमें कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि वह यह पहले डिक्लेयर करा लें। मैं आप के द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इसके लिये विशेष ध्यान दें। ताकि उन पर सीमा आरोपण हो सके। इसमें खास तरीके की एक बन्दिश होनी चाहिए कि जो ऐग्रीकल्चरल परपज में यूज होती हो, खेती के काम में आती हो चाहे वह किसी इंडस्ट्री में शामिल हो या किसी और तरह की हो उस पर सीमा आरोपण लग सके। भले ही वह शेयर-होल्डर या ज्वाइंट स्टाक कम्पनी चाहे जिस रूल के अन्दर हो क्योंकि इस तरीके से बहुत सी जमीन उद्योगों के नाम पर रह जायगी और फायदा उससे वहां के लोग उठाते रहेंगे। देहात के लोगों पर ही इसका असर पड़ेगा। इसलिये उनका इसमें शामिल होना बहुत जरूरी है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मुझे खेद है कि मैं इस विधेयक के लिए माननीय मन्त्री जी को बधाई नहीं दे सकता। हां, केवल एक बात के लिये बधाई दे सकता हूं और वह मौलिक बात यह है कि जिस नीति को व्यावहारिक रूप देने के लिये यह विधेयक लाया गया है आज उसी नीति के पक्ष में हमारे माननीय श्री वीरेन्द्रशाह जी और उनके दूसरे साथी भी उसका समर्थन कर रहे हैं। (व्यवधान) तसल्ली कीजिए अभी आप समझ जायेंगे कि आप समझे या मैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस विधेयक के द्वारा जिस नीति को लेकर चला गया है उस नीति के सब से बड़े विरोधी स्वतंत्र दल के रूप में परिणत होने वाले लोग भी समर्थन करते हैं। उन्हें यह आपत्ति नहीं है कि हमारी जोतों की सीमा निर्धारण क्यों हो रही है। आपत्ति केवल यह है कि यह सीमा निर्धारण शहरों से क्यों नहीं शुरू हुआ ? इसलिये मौलिक रूप से उनका भी इस विधेयक से कोई मतभेद नहीं है। इस बात के लिए माननीय मंत्री जी और वह दल जिस दल की यह सरकार है बधाई का पात्र है। हमारे राजा साहबान, भूतपूर्व जमींदार साहबान भी आज इस राय के हैं कि आर्थिक विषमता मिटनी चाहिए। तो यह इस बात का प्रमाण है कि वह भी मूल रूप से इस विधेयक का समर्थन करते हैं। केवल मतभेद उनका यह है जैसा कि मैंने कहा कि यह शहरों से पहले शुरू होना चाहिये

था, बड़े-बड़े मिल मालिकों से शुरू होना चाहिये था। मैं और मेरे अन्य अनेक साथी इस राय के हैं कि इस विधेयक के द्वारा जो लक्ष्य निश्चित किया गया है यह विधेयक उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं करता, विधेयक अपने लक्ष्य और उद्देश्य से बहुत दूर रह गया है। इसलिए जैसा मैंने निवेदन किया, इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई नहीं दे सकता। केवल इसके लिये बधाई दे सकता हूं कि एक वातावरण ऐसा बन गया है कि आर्थिक विषमता मिटनी चाहिये। अब आप समझ गए होंगे श्री वीरेन्द्रशाह जी।

मान्यवर, इस विधेयक के कारणों व उद्देश्य में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि सीमा निर्धारण का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम समाज के उपेक्षित और सब से दुःखी खेतिहर मजदूर वर्ग को कुछ आराम देने जा रहे हैं। उन्हें कुछ राहत देंगे या यों कहिये कि उस तरीके पर समाजवाद की सही मायने में स्थापना देहात में करेंगे। उसका रूप यह होगा कि उत्पादन के साधन उत्पादक के हाथ में होने चाहिये। लेकिन कृषि जिस पर हमारे देश का आर्थिक ढांचा निर्भर करता है उस में अभी तक उत्पादन का साधन उत्पादक के हाथ में नहीं है। उत्पादक खेतिहर मजदूर हैं और उत्पादन का साधन भूमि है। उस भूमि का मालिक खेतिहर मजदूर न होकर, खेती पर काम करने वाले न हो कर, राजे महाराजे हैं। तो यह कदम हमारे समाजवाद की परिभाषा को पूरा करने के लिये आवश्यक और अत्यावश्यक था मान्यवर, मुझे बड़ी आशा थी। अब वह निराशा में बदल गई। इस विधेयक के विषय में सोचा करता था और यह समझता था कि जब सीमा निर्धारण का विधेयक आयेगा तो इस प्रान्त में किसी न किसी रूप में खेती पर काम करने वाले खेतिहर मजदूर खेती के वास्तविक मालिक हो सकेंगे और वह खेती जिसको वह बोते हैं उसके सही मायने में उपभोग कर सकेंगे लेकिन यह विधेयक मेरी उस आशा को पूरा नहीं करता वह इसलिये पूरी नहीं होती कि विधेयक को प्रस्तुत करते हुये माननीय मन्त्री जी ने भी यह नहीं बताया कि वह इस विधेयक के द्वारा कितनी जमीन प्राप्त कर सकेंगे या इस प्रस्तुत विधेयक के द्वारा और कितने लोगों को अथवा कितने खेतिहर मजदूरों को वह भूमि दिला सकेंगे जिस भूमि पर कि वह काम करते हैं।

मान्यवर, क्या ही अच्छा हो कि माननीय मन्त्री जी जब इस विवाद का उत्तर दें तो वह अपने जवाब में यह स्पष्ट करें कि इस विधेयक को बनाने के पहले अपने लक्ष्य और उद्देश्य की पूर्ति के लिये अपने सामने कभी ऐसे आंकड़े इकट्ठे कराके रखे हैं कि इस विधेयक के जरिये से इतनी एकड़ भूमि प्राप्त कर सकेंगे, तो मुझे शान्ति व प्रसन्नता होगी और मेरी आशा कुछ तो पूरी होगी लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। यह हो सकता है कि मेरी दृष्टि का दोष हो या मेरी तुच्छ बुद्धि का दोष हो। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि २ या ३ या ४ फीसदी खेतिहर मजदूरों से ज्यादा को उस भूमि का मालिक बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा जिस पर वह काम करते हैं लेकिन जैसा चित्र इस विधेयक का अवलोकन करने के बाद सामने आता है उससे मालूम होता है कि इस प्रान्त में एक प्रतिशत खेतिहर मजदूर भी उस भूमि के मालिक नहीं बन सकेंगे जिस पर वह काम करते हैं। मान्यवर, मैं पुनः खेद प्रकट करता हूं कि इस विधेयक के लिये माननीय मन्त्री जी या उनकी सरकार को बधाई नहीं दे सकता।

मान्यवर, जहां तक सीमा निर्धारण की नीति के विरोध का प्रश्न है, जैसा मैंने कहा कि सभी इस राय के हैं कि आर्थिक विषमता मिटनी चाहिये। मैं इस पर सदन का समय नहीं लेना चाहता। माननीय वीरेन्द्रशाह, मुख्य रूप से माननीय राघवेन्द्रप्रताप सिंह, और उनके साथी माननीय बलदेव सिंह जी और खासतौर पर श्री सीताराम जी शुक्ल से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह उस समय की याद करने की कृपा करें जिस समय पर उन्होंने गांधी जी की सेना में भरती होकर इस देश को ४० करोड़ जनता की परतन्त्रता की बेड़ियों को काटने के लिये सहयोग दिया था। उस समय उनके सामने क्या चित्र था। क्या वह आज संतुष्ट हैं अपने फार्मों पर काम करने वाले मजदूरों की दशा से? क्या वह उनकी उस आशा को पूरा कर रही है जिसको लेकर उन्होंने इस देश की आजादी हासिल करने में सहयोग दिया था? क्या आज वह इस बात से संतुष्ट हैं कि उनके फार्मों पर काम करने वाले मनुष्य किसी रूप में

[श्री महीलाल]

भी, अपने जीवन के किसी अंग में भी मानवता का उपयोग कर रहे हैं? मैं उनसे नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा और आग्रहपूर्वक प्रार्थना करूंगा कि वे इस प्रश्न पर विचार करें। इस जटिल समस्या को सोचें कि क्या आज उनके यहां काम करने वाले लोगों की दशा संतोषप्रद है। इधर के बैठने वाले नहीं, या इधर बैठने वालों की नीति का समर्थन करने वालों का अथवा दूसरे सदस्यों का नहीं, बल्कि वे स्वयं अपने यहां के लोगों के साथ बैठ कर विचार करें, वे कहां तक संतुष्ट हैं अपने मजदूरों की दशा से। जैसा माननीय मंत्री जी ने प्रातः कहा था, जिस उदारता से आपने जमींदारी विनाश बिल में सहयोग दिया उससे अधिक आप इसमें सहयोग देंगे। जैसा मैंने निवेदन किया राघवेन्द्रप्रताप सिंह जी, बलदेवसिंह जी तथा सीताराम जी ने जो त्याग और तपस्या इस देश के लिये की है, वे उसी दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार करेंगे।

एक बड़ी शिकायत माननीय वीरेन्द्रशाह जी ने की और उनके सहयोगियों ने भी की कि यह आर्थिक विषमता मिटाने का प्रश्न देहात में ही उठता है और उठता रहा है। वे इस बात को भूल जाते हैं कि इस प्रदेश की असंख्य जनता, अथवा इसका विशाल बहुमत गांवों में ही रहता है, शहर में नहीं और जब वह कोई कदम उठाने की सोचेंगे तो वह इस बात का विचार करेंगे कि कदम ऐसा उठना चाहिये कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिन्दगी में परिवर्तन या क्रांति आ सके। जब वह इस बात को मान लेंगे और मैं समझता हूं कि मान भी लेंगे, उनकी तरफ से मुझे कोई संदेह नहीं है, तो वह अवश्य इस बात को मानेंगे कि हम सब इस मत के हैं कि ऐसी विधि होनी चाहिये जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन स्तर में अंतर आये। स्वभावतः और स्वाभाविक रूप से वह इसका समर्थन करेंगे कि यदि आर्थिक विषमता मिटाने की आवश्यकता सब से ज्यादा कहीं है तो वह बेहात में ही है। शहरों, कारखानों और इंडस्ट्रीज के मजदूरों तथा खेतिहर मजदूरों की दशा में जमीन आसमान का अन्तर है। खेतिहर मजदूरों पर जो अत्याचार होते हैं। उनकी निर्धनता और गरीबी के कारण, इस सब का मान्यवर, एकमात्र कारण आर्थिक विषमता है। इधर के ही सदस्य नहीं वरन् सभी लोग यह समझते हैं और चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके, जितने कम समय में हो सके, हमारा जनतंत्र सफलीभूत हो, हमारे समाज का हर सदस्य अपने स्थान पर मान और इज्जत पा सके और उसका जीवन स्तर ऊंचा हो सके। जब हम इस राय के हैं और इससे भी इन्कार नहीं है कि शहर का रहने वाला गरीब से गरीब आदमी, चाहे वह रिक्शे वाला ही हो उसकी आय का भी, साधारण औसत तीन रुपये रोज से कम नहीं है और देहात में रहने वाला खेतिहर मजदूरों का जो औसत है वह हम सब जानते हैं। औसत अगर हम निकाल लें तो पश्चिमी जिलों में खेतिहर मजदूर को १ रुपया, सवा रुपया रोज मिलता है। मैं नहीं जानता कि कहां तक ठीक है लेकिन इस सदन के पूर्वी जिलों के माननीय सदस्यों की जबानी सुना है कि ६ आना, ८ आना और कहीं-कहीं ४ आना तक मजदूरी पूर्वी जिलों में मिलती है। अगर पश्चिमी जिलों में २ रुपया रोज भी मान लें जबकि साधारणतया रुपया, सवा रुपया, और डेढ़ रुपया खास फसल के मौकों पर उनकी आय होती है तो शहर के रहने वाले गरीब से गरीब रिक्शा चलाने वाले की भी आय का औसत ढाई-तीन रुपया से कम नहीं पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि सब से अधिक गरीब वर्ग अगर समाज का है तो वह खेतिहर मजदूर है और इसी दृष्टिकोण को लेकर जो लोग हमारे इस विधेयक की मूल रूप से या सीमा निर्धारण की विधि से इन्कार करते हैं उन्हें उदारता-पूर्वक विचार करना चाहिये और इसमें पूरा-पूरा सहयोग देना चाहिये कि जिससे जितनी जल्दी हो सके हमारे उस उपेक्षित खेतिहर मजदूर के जीवन में क्रांति आये।

एक बात खासतौर से वीरेन्द्रशाह जी ने कही कि हम भी चाहते हैं कि खेतिहर मजदूरों की हालत सुधरे। जैसा मैंने कहा, इन्कार इससे हो नहीं सकता। हम सभी चाहते हैं कि हमारे समाज की सबसे नीचे वर्ग की दशा सुधरे उसके लिये उन्होंने सुझाव दिया कि बड़े-बड़े मिल, उद्योग शुरू करें, उनमें उन खेतिहर मजदूरों को लगाया जाय। लेकिन मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह व्यावहारिक रूप से अपने सुझाव को देखें कि वह कहां तक कार्य रूप में परिणत हो सकता है, बड़े-बड़े उद्योगों को चलाने के लिये कितने रुपये की आवश्यकता है और उसका

प्रबंध वह किस प्रकार करेंगे ? क्या आज वह इस बात को पसन्द करेंगे कि टैक्सेज बढ़ाये जायें ? इस बात का क्या वह स्वागत करेंगे कि जनता से रुपया वसूल करके ज्यादा से ज्यादा हम बड़े उद्योगों को चला सकें ? क्या ही अच्छा हो, मैं बड़ा ही सौभाग्य का दिन समझूंगा जब हमारे देश में बड़े-बड़े उद्योग होंगे और हमारे देश की बेकारी उनके द्वारा दूर होगी। लेकिन आज की परिस्थितियों में खेतिहर मजदूर के लिये इससे ज्यादा अच्छा और आवश्यक दूसरा कदम नहीं हो सकता है कि जिस जमीन पर वह काम करता है उसको उसका मालिक होना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब थोड़ा सा आंकड़ों के साथ माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जो इस सीलिंग का विरोध कर रहे हैं या इस निर्दोष विधेयक से जिन्हें बड़ा भय मालूम होता है और जिसे मैं निष्प्रभावशाली समझता हूं अपने पूरे समाज को सामने रख कर देखें जिसके अन्दर वह रहते हैं कि उस समाज की क्या दशा है। अभी कुछ दिन पहले हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थ विभाग के कुछ लोगों ने खोज की और बड़ी गहराई में जाकर वह खोज हुई है। देहात-देहात और घर-घर वे गये और लोगों से अलग-अलग बातचीत की। उन्होंने नतीजा निकाला कि गांवों में ४५ प्रतिशत किसान ऐसे हैं जिनके जीवन का स्तर साधारण गरीब से बहुत नीचा ह, उन्होंने अपनी यह राय दी है। उस समय तक इस सरकार का यह निश्चय समाचार-पत्रों में प्रकाशित हो चुका था कि ४० एकड़ पर यह सरकार सीलिंग करने जा रही है। "उस सर्वेक्षण ने सिद्ध किया है कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित ४० एकड़ की उच्चतम जोत सीमा से व्यावहारिक लाभ नहीं होगा।" किसी राजनीतिक दल के सम्बन्ध में न रखने वाले हमारे विद्यार्थीगण, अर्थशास्त्र के पंडितों ने देहात में जाकर वहां की सही स्थिति का चित्रण किया है। इसमें कहा गया है कि जोतों की उच्चतम सीमा केवल १५ एकड़ रखना उपादेय होगा जिससे वर्तमान सम्पूर्ण कृषि भूमि का लगभग १० प्रतिशत पुनर्वितरण और सहकारी खेती के लिये उपलब्ध हो सकेगा। यह अनुभव हमारे होनहार भावी नागरिकों का हुआ है जिनके कंधों पर इस देश और इस प्रदेश का शासन भार आने वाला है, उनकी राय है कि १५ एकड़ की सीमा होनी चाहिये। हमारे देश के आयोजना आयोग ने यह सिफारिश की थी दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये कि किस तरह से खेतिहर मजदूरों की सही स्थिति को जानने के लिये हर प्रान्त में अलग-अलग खेतिहर मजदूर मंडलों की स्थापना की जाय लेकिन उसकी स्थापना हमारी सरकार ने नहीं की। अगर उसकी स्थापना की गई होती तो सरकार के सामने और समाज के सामने उनकी सही स्थिति आ गई होती और उनकी सिफारिशों से खेतिहर मजदूरों का उत्थान हो सकता। मैं निवेदन करूंगा मंत्री जी से कि आयोजना आयोग की उस सिफारिश को कार्य रूप में परिणत करन की कृपा करें। अगर उस मंडल की स्थापना हो गई होती तो उसकी सिफारिशों के अनुरूप आज यह बिल लाया गया होता।

जहां तक निर्धनता का प्रश्न है इसके और कारणों के साथ एक कारण यह भी बताया गया है कि देश का आर्थिक ढांचा कृषि पर निर्भर करता है और जिन देशों की आर्थिक व्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है उसकी आय औसतन बहुत कम रहती है उन देशों के मुकाबिले में जिनकी आर्थिक व्यवस्था उद्योग और दूसरी चीजों पर निर्भर होती है। यह प्रश्न निर्विवाद है इसलिये जब हमको अपने देश की औसत आय बढ़ानी है तो हमें विचार करना होगा कि खेती पर कम बोझ हो। इसको करने का यही तरीका है कि जो लोग खेती करते हैं वही असली मालिक हों। जो लोग बैठे-बैठे खेती के नाम पर खाते हैं वह उस पर बोझ हैं, खेतिहर मजदूर उस पर बोझ नहीं है। जो बड़े-बड़े फार्मों के मालिक हैं वह अर्थ व्यवस्था को कमजोर बनाने के लिये उत्तरदायी हैं। इसलिये यह प्रश्न जितना गम्भीर है उतनी ही गम्भीरता से इस पर विचार करना चाहिये। इस प्रकार से विचार करन पर इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि स्वेच्छापूर्वक वह अपनी बड़ी-बड़ी जोतों को बिना किसी मुआवजे के खेतिहर मजदूरों को अर्पण कर दें जो कि उसके सही रूप में आज मालिक होने चाहिये। आज संसार में हमारे देश की औसत आय, केवल दो देशों को छोड़कर, बाकी सब देशों से कम है और वे हैं हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और बर्मा।

एक सदस्य—और आयरलैन्ड ?

श्री महीलाल—आयरलैन्ड की बात बताऊंगा तो उसमें ही सारा समय लग जायगा। यह निर्विवाद है कि इस वर्तमान विधेयक से उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती जिसके लिये इस बात की आवश्यकता है कि खेती पर बोझ कम हो और उसके जरिये से हम अपनी नेशनल इनकम बढ़ा सकें। उसके लिये जरूरी यह था कि हमारा यह विधेयक उतना क्रांतिकारी होता जितना क्रांतिकारी फैसला इस सदन ने और इस सरकार ने लिया था और वह फैसला यह था कि एक परिवार के लिये साढ़े १२ एकड़ भूमि काफी है। सीलिंग इस सदन के सिद्धांतों के मुताबिक साढ़े १२ एकड़ होनी चाहिये थी लेकिन वह साढ़े १२ एकड़ न होकर ४० एकड़ इस विधेयक के द्वारा आयी है। यह निवेदन करने में मुझे दुख होता है और चाहते हुये भी इस ४० एकड़ की सीमा को स्वीकार करने में असमर्थ हूं और इसीलिये मैंने माननीय मंत्री जी को बधाई नहीं दी। केवल ४० एकड़ ही एक कारण नहीं है यदि कुछ और गहराई में जाया जाय और इसकी धाराओं और उपधाराओं को देखा जाय तो कितनी ही और बातें हैं जो उचित नहीं हैं।

एक सदस्य—आपकी क्या राय है ?

श्री महीलाल—मालूम होता है कि आप का शरीर यहां है, मस्तिष्क दूसरे स्थान पर है। मैं तो अपनी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक इस जगह पर ही पहुंचा हूं कि वह साढ़े १२ एकड़ एक परिवार के लिये होनी चाहिये और बुन्देलखंड के लिये जिसके बारे में राजा वीरेन्द्रशाह जी ने कहा वह १२८ एकड़ तक पहुंच जायगी। सर्किल रेट के हिसाब से ५ रुपये या उससे ज्यादा पर ४० एकड़, तीन से ५ रुपये तक उसका ड्योढ़ा यानी ६० एकड़ तक और ३ रुपये से कम पर दूना यानी ८० एकड़ तक होगी।

श्री अध्यक्ष—अब आप अपना भाषण दूसरे दिन जारी रखें।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२७ अगस्त, १९५१।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १–२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७५७ पर)

राज्य में दिनांक ३१–१२–५८ को रीजनवाइज कुल ७६ श्रम निरीक्षक कार्य कर रहे थे जिनका विवरण निम्न प्रकार है––

१––कानपुर रीजन	११
२––इलाहाबाद रीजन	१३
३––आगरा रीजन	१२
४––लखनऊ रीजन	१०
५––मेरठ रीजन	११
६––गोरखपुर रीजन	९
७––बरेली रीजन	१०
योग	७६

राज्य में मासिक (Month-wise) १–७–५८ से ३१–१२–५८ तक प्रत्येक रीजनवाइज श्रम निरीक्षकों ने निम्नलिखित निरीक्षण किये:––

क्षेत्र	मास		निरीक्षकों की कुल संख्या
१––कानपुर रीजन	जुलाई	१९५८ ई०	१,३७८
	अगस्त	,,	१,४६३
	सितम्बर	,,	१,४२१
	अक्तूबर	,,	१,४९५
	नवम्बर	,,	१,५१४
	दिसम्बर	,,	१,७९८
२––इलाहाबाद रीजन	जुलाई	,,	९३२
	अगस्त	,,	१,२३४
	सितम्बर	,,	१,२४३
	अक्तूबर	,,	१,१६५
	नवम्बर	,,	१,२५८
	दिसम्बर	,,	१,०६९
३––आगरा रीजन	जुलाई	,,	१,५९५
	अगस्त	,,	१,६५०
	सितम्बर	,,	१,९०९
	अक्तूबर	,,	२,०८७
	नवम्बर	,,	२,३५२
	दिसम्बर	,,	१,९६२
४––लखनऊ रीजन	जुलाई	,,	१,११६
	अगस्त	,,	१,१७१
	सितम्बर	,,	१,१३७
	अक्तूबर	,,	९२१

क्षेत्र	मास		निरीक्षकों की कुल संख्या
५—मेरठ रीजन	नवम्बर	१९५८ ई०	१,१५३
	दिसम्बर	,,	१,०१८
	जुलाई	,,	९०९
	अगस्त	,,	९१०
	सितम्बर	,,	१,१००
	अक्तूबर	,,	१,२१०
	नवम्बर	,,	१,६२३
	दिसम्बर	,,	१,११२
६—गोरखपुर रीजन	जुलाई	,,	७१३
	अगस्त	,,	५९३
	सितम्बर	,,	७०४
	अक्तूबर	,,	७९३
	नवम्बर	,,	७४१
	दिसम्बर	,,	७६९
७—बरेली रीजन	जुलाई	,,	९६८
	अगस्त	,,	१,१०१
	सितम्बर	,,	१,०६५
	अक्तूबर	,,	६८७
	नवम्बर	,,	८९८
	दिसम्बर	,,	१,२५४
योग			५१,१८८

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७५७ पर)

तालबेहट परगना के विकास हतु स्वीकार की गई योजनाओं की सूची

१—अल्प सिंचाई योजना	अनुमानित व्यय
	रु०
(१) मुचेरा तालाब	८५,०००
(२) कन्टूरबन्धी निर्माण के लिये स्वीकृत २ लाख रुपये में से तालबेहट परगने में कन्टूरबन्धी का निर्माण	८,०००
(३) लघु उद्योग-धन्धों के लिये ऋण	३६,०००

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६१ पर)

विभाग का नाम	गजटेड अफसर व उसके पद का नाम	पद पर कार्य करने की तिथि	टिप्पणी
१	२	३	४
सहायता तथा पुनर्वासन	श्री आर० एस० दास, आई० ए० एस० सचिव, सहायता तथा पुर्नवासन	अपने पद के अतिरिक्त २ सितम्बर, १९५४ से भारत सरकार के अधीन रीजनल सेटिलमेन्ट कमिश्नर का कार्य भी करते हैं ।	इस अतिरिक्त काम करने के लिये उन्हें ३०० रु० प्रति मास honorarium मिलता है ।
श्रम (ख) विभाग	श्री एम० सी० पन्त, अतिरिक्त श्रम आयुक्त ।	अपने पद के अतिरिक्त, २२ अक्तूबर १९५८ से केन्द्रीय प्राविडेन्ट फन्ड कमिश्नर, श्रम मंत्रालय भारत सरकार की देखभाल के अधीन रीजन प्राविडेन्ट फन्ड कमिश्नर का कार्य भी करते हैं ।	इस अतिरिक्त काम करने के हेतु उन्हें १५० रु० स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव एकाउन्ट आफ दी एम्प्लाईज प्राविडेन्ट फन्ड संस्था से मिलता है ।
सामान्य प्रशासन विभाग (पुनर्संगठन)	श्री सीता राम निगम, इन्सपेक्टरेट आफ आफिसेज ।	अपने कार्य के अतिरिक्त लखीमपुर-खीरी कालोनाइजेशन स्कीम तथा कांस एडिक्शन स्कीम के एकाउन्ट का कार्य भी जिस दिन से कार्यालयों के मुख्य निरीक्षक का कार्यभार संभाला है, देखते हैं यह कार्य १९५६ से संभाला है ।	इस कार्य के लिये उन्हें ९२ रु० माहवार का विशेष वेतन मिलता है ।
स्वायत्त शासन विभाग (ख)	श्री जे० पी० अग्रवाल, अधिशासी अभियन्ता (स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग) ।	अपने पद के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के वैयक्तिक सहायक का कार्य भी २७ अगस्त, १९५४ से कर रहे हैं ।	इस कार्य के लिये उन्हें १०० रु० मासिक विशेष वेतन मिलता है ।
चिकित्सा (ख) तथा जन स्वास्थ्य विभाग	श्री सी० एम० पान्डे, असिस्टेन्ट ड्रग कन्ट्रोलर, उत्तर प्रदेश ।	अपने पद के अतिरिक्त अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला क पद का कार्य भी अप्रैल, १९५७ से कर रहे हैं ।	इस कार्य करने के लिये ७५ रु० प्रतिमास मिलते हैं ।

		अपने पद के अतिरिक्त सेक्रेटरी स्टेट मेडिकल तथा काउन्सिल उत्तर प्रदेश का कार्य भी करते हैं। यह कार्य अगस्त, १९५७ से कर रहे हैं।	इस कार्य के लिये २०० रु० मिलते हैं।
	श्री हरस्वरूप कुलश्रेष्ठ, सीनियर मेडिकल अफसर, स्टेट आयुर्वेदिक कालेज लखनऊ।	अपने पद के अतिरिक्त सेक्रेटरी आयुर्वेद एवं तिब्बी एकेडेमी के कार्य को भी ३१-१०-५७ से देखते हैं।	इस कार्य के लिये उन्हें ५० रु० प्रतिमास मिलते हैं।
चिकित्सा (क) विभाग	श्री बी० एस० दरबारी, असिस्टेन्ट डायरेक्टर प्लानिंग।	अपने पद के अतिरिक्त सेक्रेटरी स्टेट हेल्थ बोर्ड तथा काउन्सिल उत्तर प्रदेश का कार्य भी ३० नवम्बर, १९५७ से देखते हैं।	इस कार्य के लिये १०० रु० मिलता है।
सहकारिता विभाग	श्री नवलकिशोर भार्गव, दुग्ध विकास अधिकारी सहकारी समितियां, लखनऊ।	२४ अक्तूबर, १९५३ से जेनरल मैनेजर सेन्ट्रल डेरी फार्म, अलीगढ़ का कार्य भी करते हैं।	इस कार्य के लिये इन्हें पशुपालन विभाग से १२५ रु० प्रतिमास मिलता है।
	श्री जगमोहन प्रसाद मिश्र, शिक्षा एवं प्रसार अधिकारी, सहकारी समितियां, लखनऊ।	१ जुलाई, १९५५ से अवैतनिक सम्पादक यू० पी० कोआपरेटिव जर्नल और सहकारिता का कार्य भी करते हैं।	इस कार्य के लिये १०० रु० प्रतिमास मिलते हैं।
	श्री प्रजापति जोशी, औषधि विशेषज्ञ, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश रानीखेत।	१ जुलाई, १९५३ से आफिसर इन्चार्ज कोआपरेटिव ड्रग फैक्टरी रानीखेत का कार्य भी करते हैं।	इस कार्य के लिये इन्हें १०० रु० प्रतिमास मिलता है।
शिक्षा (ख) विभाग	डा० बी० एस० हैकरवाल, अतिरिक्त सचिव।	यह अपने कार्यभार के अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान समिति के सचिव के पद का कार्य भी अप्रैल, १९५६ से कर रहे हैं।	इस कार्य के लिये इन्हें २४० रु० प्रतिमास मिलता है।
उद्योग (घ) विभाग	श्री अशोक दर, सहायक अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तर प्रदेश।	इस कार्य के अतिरिक्त मई, १९५६ से गवर्नमेंन्ट प्रेस में आपरेन्टिस स्कीम के अन्तर्गत शिक्षक का कार्यभार भी कर रहे हैं।	इस कार्य के हेतु इन्हें ३५ रु० प्रतिमास मिलता है।
	श्री ओम प्रकाश, तेल विशेषज्ञ, उत्तर प्रदेश सरकार।	खाद्य तथा एग्रीकल्चर मन्त्रालय भारत सरकार के अन्तर्गत आफिसर इन्चार्ज, केन्द्रीय कन्ट्रोल लैबरेटरी का कार्य भी करते हैं।	इस कार्य के लिये इन्हें १०० रु० प्रति मास मिलता है। यह special pay सितम्बर, १९३८ से दी जा रही है।

विभाग का नाम	गजटेड अफसर व उसके पद का नाम	पद पर कार्य करने की तिथि	टिप्पणी
१	२	३	४
हाई कोर्ट	श्री एस० डी० सिंह, डिस्ट्रिक्ट तथा सेशन्स जज, कानपुर ।	इस कार्य के अतिरिक्त १२ नवम्बर, १९५६ से डेवलपमेन्ट बोर्ड ट्रेब्युनल कानपुर के चेयरमैन का कार्य भी करते हैं ।	इस कार्य के हेतु इन्हें १५० रु० प्रतिमास मिलता है ।
	श्री आर० पी० दीक्षित, ज्वाइन्ट रजिस्ट्रार हाईकोर्ट, इलाहाबाद ।	जून, १९५५ से Part time official liquidator का कार्य भी करते हैं	इस कार्य के लिये ३०० रु० Remuneration मिलता है ।
	श्री के० एन० तिवारी, डिप्टी रजिस्ट्रार, हाईकोर्ट, लखनऊ बेन्च ।	प्रिवेन्टिव डिटेशंन ऐक्ट के अन्तर्गत रजिस्ट्रार एडवाईज़री बोर्ड का पद भी संभालते हैं । यह पद दिसम्बर, १९५४ से संभाल रहे हैं ।	इस काम के हेतु ५० रु० प्रतिमास मिलता है ।
कृषि (क) विभाग	डा० ए० एन० पाठक, असिस्टेन्ट एग्रीकलचरल केमिस्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ।	इस पद के अतिरिक्त एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री के प्रोफेसर का कार्य भी दिसम्बर, १९५० से कर रहे हैं ।	इस कार्य के लिये ४० रु० विशेष वेतन मिलता है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६९ पर)

पद	स्वीकृत पदों की कुल संख्या	कितने पद भरे हैं	कितने कर्मचारी हरिजन हैं
१	२	३	४
१—सीनियर स्टेशन इन्चार्ज	७	७	..
२—जूनियर स्टेशन इन्चार्ज	२०	१८	..
३—ट्रैफिक इन्सपेक्टर ..	ऐसा कोई पद रोडवेज में नहीं है		
४—असिस्टेंट ट्रैफिक इन्सपेक्टर	३५	३३	१
५—क्लीनर कन्डक्टर	४१	२१	३
६—कन्डक्टर्स	३९५	३४३	३४
७—ड्राइवर्स	५०३	३८०	१८
८—क्लीनर्स	८०	५४	२
९—चपरासी	४०	३१	१
१०—चौकीदार	१६३	८१	१

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१४२ एल० ए०—१९५९—८४५ ।